लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

अंक 14, शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 1972/10 अग्रहायण, 1894 (शक)

No. 14, Friday, December 1, 1972/Agrahayana 10, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या	S. Q. Nos.	
261. काफी बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन-मानों को युक्तिसंगत बनाना	Rationalisation of Pay Scales of Coffee Board Employees	1-2
262. विदेशी स्वामित्व वाले बागानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign owned Plantations	3-5
263. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभाग के हैडक्लर्कों और निरीक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of the posts of Head Clerks and Inspectors of Central Excise and Customs Department	5-6
264. जीवन बीमा निगम के कारोबार में वृद्धि	Increase in L.I.C. Business ...	6-10
267. राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks.	10-14
268. कृषि क्षेत्र में कराधान	Taxation on Agriculture sector	14-15
273. केलों का निर्यात	Export of Bananas	15-16
274. एयर इंडिया द्वारा खर्चे में कमी करने हेतु कार्यवाही	Steps to effect economy in expenditure by Air India	16-17
275. केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा विदेशी–दौरे	Foreign Tours by Ministers of Central Government	17-18
276. सरकार का मिलों से उचित दर की दुकानें खोलने के लिए कहना	Mills asked by Government to open Fair Price Shops	18-19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या	S. Q. Nos.	
265. गुजरात क्षेत्र में 1969 में कठिनाई से नीचे उतरने वाले एवरो विमान वी० टी० डी०-एक्स० एन० को दिया गया ठीक स्थित में होने का प्रमाण-पत्र	Certificate of fitness given to Avro Aircraft VTD-XN which had undergone heavy landing in 1969 in Gujarat Region	20-21
266. बालयोगेश्वर के सामान में से निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of contraband articles found in the baggage of Balyogeshwar	21
269. भारतीयों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा बेचने की अवधि में कमी	Reduction in period for sale of Foreign Exchange acquired by Indians	22
270. बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा उत्पादन शुल्क और बिक्री कर का अपवंचन	Evasion of Excise Duty and Sales Tax by Big-Industrial Houses	22
271. नेपाल तथा बंगला देश को पारगमन सुविधाएं	Transit Facilities to Nepal and Bangladesh	22-23
272. लद्दाख को पर्यटक–यातायात के लिए खोलना	Opening of Ladakh for Tourist Traffic	23
277. राज्य व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों में आयात किए गये माल का मूल्य	Value of Goods Imported by S. T. C. during the last Three Years	23-24
278. देश की राजधानी से सभी राज्यों का सम्पर्क स्थापित करने के लिए देश में नये हवाई अड्डे स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up New Airports in the Country to link All States with Union Capital	24
279. रुपये का ब्रिटेन के पौंड स्टर्लिंग से संबंध समाप्त करना (डीलिंकिंग)	Delinking of Rupee from British Pound Sterling	24
280. एशियाई व्यापार मेले में प्रवेश करने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए रियायती टिकट देने के संबंध में दिल्ली प्रशासन का अनुरोध	Request from Delhi Administration for Concessional Entry Tickets to Economically Backward Classes in Asian Trade Fair	24-25

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या	U. S. Q. Nos.	
2592. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात–आयात	Exports and Imports through State Trading Corporation	25
2593. भारत में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for minor Irrigation Projects in India	25-26
2594. विदेशों में भारतीय प्लास्टिक वस्तुओं की लोकप्रियता	Popularity of Indian Plastic Goods abroad	26
2595. मीडियम किस्म के कपड़े का उत्पादन	Production of Medium Variety of Cloth ..	26
2596. बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का मूल्यांकन	Evaluation of advances made by Banks ..	27
2597. भारतीय काजू निगम की सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन	Reconstitution of C. C. I. Advisory Council	27-28
2598. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम से ऋण	Loans to Central Government Employees from L.I.C.	28-29
2599. अवशिष्ट रुई का निर्यात	Export of Cotton Waste	29
2600. औद्योगिक वित्त ब निगम की निर्यात प्रधान कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता देने की योजना	I. F. C. Scheme for Financial Assistance to Export Oriented Textile Mills	29-32
2601. ऊन का आयात	Import of Wool	32
2602. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में कृषकों को दिए गए ऋण	Loans sanctioned by Nationalised Banks to Agriculturists in Madhya Pradesh	32-33
2603. ऊनी कपड़े का निर्यात	Export of Woollen Cloth	33
2604. करेंसी नोटों का परिचालन	Re. Circulation of Currency Notes	34
2605. मध्य प्रदेश में खजुराहों, उदयगिरी तथा बाघ की गुफाओं को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिये बसों और आवास गृहों की कमी	Shortage of Buses and Residential Accommodation for Tourists visiting Khajuraho, Udaigiri and 'Bagh Ki Gufas' in Madhya Pradesh	34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या	U. S. Q. Nos.	
2606. बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश में अधिक पूंजी–निवेश	Investment of more Capital by L.I.C. in Madhya Pradesh —	34-35
2607. ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Rural areas —	35
2608. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं द्वारा दिए गए ऋण	Loans advanced by Branches of Nationalised Banks and S.B.I. in Madhya Pradesh —	35
2609. पश्चिम बंगाल की मिलों की ओर से कपड़ा पंजीकरण प्रमाणपत्रों को समाप्त करने का आवेदन पत्र	Application for revocation of Textile Registration Certificate from West Bengal Mills —	35-36
2611. एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अधीन फर्मों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Firms under Monopolies and Restrictive Trade Practices Act ...	36
2612. आसाम में पटसन निगम के कार्यकरण में असंगतियाँ	Anomalies in working of Jute Corporation in Assam —	36-37
2613. केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में वर्काला स्थान को पांचवी योजना में एक पर्यटन–स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव	Proposal to develop Varkala in District Trivandrum, Kerala as a Tourist Centre during Fifth Plan —	37
2614. सरकारी उद्योगों में डिज़ाइनों की तकनीकी जानकारी की आवश्यकता	Need of Know-how for Designs in Public Enterprises —	37-38
2615. श्रीलंका से भारतीय चलचित्र खरीदने की मांग	Demand from Sri Lanka to buy Indian Films —	38
2616. तेजपुर स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा–शुल्क विभाग द्वारा जालसाजी के एक मामले की जाँच	Enquiry into a case of Forgery by the Central Excise and Customs Department, Tezpur —	39

अता० प्र० संख्या	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
		U. S. Q. Nos.	
2617.	उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को रियायत देना	Concessions to Public Sector Industries for achieving Greater Production	39-40
2618.	सरकारी क्षेत्र के कारखानों की क्षमता का उपयोग	Utilisation of Capacity in Public Sector Units	40
2619.	काश्मीर में 'ध्वनि–प्रकाश' कार्यक्रम	'Son-Et-Lumiere' in Kashmir	40-41
2620.	संयुक्त उपक्रमों की स्थापना हेतु विदेशों में निर्यात की गई तकनीकी जानकारी मशीनरी तथा सलाहकार सेवाओं का मूल्य	Value of Technical Know-how, Machinery and Consultancy Services exported for setting up Joint Ventures Abroad.	41
2621.	फिल्म आयात निगम	Film Import Corporation	41
2622.	भारत में विदेशी पूंजी निवेश	Foreign Investment in India	42
2623.	भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक सहयोग के लिए करार	Agreement for Commercial Co-operation between India and E.E.C.	42
2624.	भारत स्थित अमरीकी सहायता मिशन में भारतीय कर्मचारियों की संख्या कम करना	Reduction in Indian staff of U. S. Aid Mission in India	43
2625.	सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि	Increase in D. A. to Government Employees	43
2626.	मैसूर नगर में चामुंडी पहाड़ियों के समीप नेहरु लोक स्थापित करने की योजना	Scheme to have Nehru Lok near Chamundi Hills in Mysore City	44
2627.	गत दो वर्षों के-दौरान विदेशों में संयुक्त उद्योगों से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned from Joint Ventures abroad during the last two years.	44
2628.	होटलों के बिलों की विदेशी मुद्रा में अदायगी से विदेशी मुद्रा की आय में वार्षिक वृद्धि	Annual increase in Foreign Exchange earnings due to payment of hotel bill in Foreign Exchange.	44

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या	U. S. Q. Nos.	
2629. थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि	Rise in Whole sale Price Index ...	44-45
2630. भारत–जापान आर्थिक सहयोग संबंधी नीति में परिवर्तन	Change in Policy regarding Indo-Japan Economic Co-operation. .	45
2631. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डालरों की खरीद	Purchase of Dollars by Reserve Bank of India. ...	45
2632. प्राथमिकता की सामान्य योजना से विकासशील देशों को लाभ के बारे में ब्रिटेन के मुख्य विपणन वार्ताकार का वक्तव्य	British Chief Market Negotiator's statement regarding Advantages of G.S.P. to the Developing Nations. ...	46
2633. राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य–करण के बारे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्त विचार	Views expressed by Chief Minister of Tamilnadu regarding functioning of Nationalised Banks ...	46
2634. तमिलनाडु के फिल्मी सितारों द्वारा स्वेच्छा से आय घोषणा योजना के अंतर्गत की गई घोषणाएं	Disclosures made under voluntary disclosure schemes, by Film Stars of Tamilnadu ..	47
2635. आंध्र प्रदेश समुद्र तट पर तूफान की पूर्व सूचना देने वाले अन्य रडार की स्थापना	Installation of another Cyclone warning Radar on Andhra Pradesh Coast	47
2636. एयर इंडिया द्वारा नई दिल्ली में अशोक रोड पर भवन का निर्माण	Construction of Building by Air India on Ashok Road, New Delhi	47-48
2637. इंडियन एयरलाइंस द्वारा 'स्काईट्राम' तथा 'स्काई बस' सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to start 'Sky-tram' and 'Sky-bus' service by Indian Airlines	48
2638. चीनी मिलों द्वारा राजनैतिक दलों को चंदा	Donation to Political Parties by Sugar Mills.	48
2639. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वस्तु ऋण पर नियंत्रण में ढील	Relaxation on Control on Commodity Credit by Reserve Bank of India.	49

अता० प्र० संख्या	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
		U. S. Q. Nos.	
2640.	यूगोस्लाविया माल डिब्बा ठेका	Yugoslavia Wagon Contract	49-50
2641.	एच० एस० — 748 (एवरो) विमान : कार्य निष्पादन से संबंधित तकनीकी समिति का प्रतिवेदन	Report of Technical Committee on Performance of HS 748 (AVRO) Aircraft	50
2642.	केन्या में कागज मिल की स्थापना	Setting up of Paper Mill in Kenya	50-51
2643.	सूती कपड़े निर्यात को नियंत्रण में लेना	Take-over of Export of Textile Cloth	51
2644.	मंत्रियों तथा सरकारी कार्यालयों के पास आयातित कारें	Imported Cars with Ministers and Government Offices	51
2645.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मीटरोलाजी द्वारा पूना और मद्रास में कृत्रिम वर्षा का प्रयोग	Artificial Rain Tests in Poona and Madras by Indian Institute of Tropical Meteorology	51
2646.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभों में कर्मचारियों का सम्मिलित किया जाना	Employees participation in the Profits of Public Sector Undertaking including Nationalised Banks	52
2647.	दुग्ध उत्पादों का निर्यात	Export of Milk Products	52
2648.	इस्पात कारखानों के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों के लिए नियंत्रक कम्पनियाँ	Holding Companies for Public Sector Enterprises other than Steel plants	52-53
2649.	बिना तराशे हुए हीरों का आयात	Import of rough diamonds	53-54
2650.	बैलाडीला से जापान को निर्यात किया गया लौह अयस्क	Iron Ore from Bailadilla exported to Japan	54

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या	U. S. Q. Nos.	
2651. कम्पनियों के लाभ और लाभांशों पर नियंत्रण	Curbs on companies' profits and dividends	54-55
2653. इस्पात के अन्तर्राष्ट्रीय और देशीय मूल्य में अंतर की प्रतिपूर्ति	Re-imbursement of difference in International and Indigenous price of Steel	55
2654. रूस तथा अरब देशों से इलाइची की मांग	Demand for Cardamom from Russia and Arabian countries	55-56
2655. इंडियन एयरलाइंस द्वारा एवरो विमान चलाने के कारण हुई हानि के मुआवजे के लिए राज सहायता देने का अनुरोध किया जाना	Request for subsidy to compensate for losses due to operation of Avro Aircraft by Indian Airlines	56-57
2656. राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ली जाने वाली विदेशी व्यापार की वस्तुएं	Items of Foreign Trade likely to be taken over by S.T.C.	57-58
2657. कपड़ा निर्यात निगम की स्थापना	Setting up of Textile Export Corporation	58
2658. आय–कर विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर पदोन्नति	Promotion of Staff working in Income-tax Department on the basis of their Confidential Report	58-59
2659. भारत में विमान कम्पनियों द्वारा लोकल कम्पलाइंस एक्शन कमेटी स्थापित किया जाना	Setting up of Local Compliance Action Committee by Airlines serving in India	59
2660. भारत आये विदेशी पर्यटकों से भारत में की गई विमान यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान लेने की व्यवस्था	Payments from Tourist in Foreign currencies for Domestic Flights	59-60
2661. चैकोस्लोवकिया और जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ व्यापार करार	Trade Agreements with Czechoslovakia and GDR ..	60-61

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		U. S. Q. Nos.	
2662.	इंडियन एयरलाइंस के मंजूरी ढांचे की समीक्षा के बारे में इंडियन एयरलाइंस के संघों के साथ हुआ करार	Agreement reached with Unions of Indian Airlines regarding Review of Indian Airlines Wage Structure	61
2663.	एशिया—72 मेले में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्तियों को निर्बाध विदेशी मुद्रा का नियंतन	Allocation of Free Foreign Exchange for Indian Participants of Asia 72 Fair	61-62
2664.	एयर इंडिया की पश्चिम की और पूर्व की विमान सेवायें	West-bound and East-bound Services of Air India	62
2665.	एयरइंडिया के लिए नए विमानों की खरीद	Purchase of New Planes for Air-India	62
2666.	प्रत्यक्ष करों पर वांचू समिति की सिफारिशें	Recommendations of Wanchoo Committee on Direct Taxes	63
2667.	पर्यटकों के आकर्षण के लिए लकादीप तथा अन्य द्वीप समूहों का सर्वेक्षण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना	U.N.D.P. Experts invited to survey Laccadives and other Islands for attraction of Tourists. ..	63
2668.	सारनाथ में पर्यटकों के लिए पर्याप्त आवास व्यवस्था	Proper Accommodation Arrangements for Tourists at Sarnath	63-64
2669.	बौद्ध-गया के विकास के लिए योजना	Scheme for Development of Bodh Gaya ..	64
2670.	विश्व के केले के निर्यात में भारत का भाग	India's Share in World Banana Exports. ..	64-65
2671.	मुद्रा सप्लाई में वृद्धि	Increase in growth of Money Supply	65
2672.	एयर इंडिया द्वारा वर्ष 1972—73 के दौरान विमान क्रय करने का प्रस्ताव	Number of Planes proposed to be purchased by Air India during 1972-73	65
2673.	इंडियन एयर लाइंस के विमानों में फलाइट रिकार्डर का प्रयोजन	Purpose for which Flight Recorders are installed in Aeroplanes of Indian Airlines ..	65

2—2 LSS/ND/72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.

2674.	एशिया–72 में अपने मंडप लगाने वाले राज्यों के नाम	Names of States which have erected their Pavilions in Asia 72.	66
2675.	एशिया–72 की प्रदर्शनी में पेय जल की कमी	Shortage of Drinking Water at Asia '72	66
2676.	प्रस संवाददाताओं द्वारा नई दिल्ली स्थित स्टट बैंक आफ इंडिया से रुपया निकालने का कथित समाचार	Alleged withdrawal of Money by Press Correspondents from S. B. I., New Delhi.	66-67
2677.	रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों से होने वाले व्यापार में गिरावट	Decline in Trade with Soviet Union and East European Countries	67-68
2678.	एशिया व्यापार मेला, 1972 में विदेशों के स्टालों में प्रदर्शित वस्तुओं को खरीदने के लिए मंजूर की गई विदेशों मुद्रा	Amount of Foreign Exchange sanctioned for purchasing articies exhibited at the Stalls of Foreign Countries in Asian Trade Fair 1972.	68
2679.	लीबिया और दुबई के साथ व्यापार का विस्तार	Expansion of Trade with Libya and Dubai	68
2680.	एशियन रिज़र्व बैंक	Asian Reserve Bank	68-69
2681.	कृषि सम्पत्ति पर कराधान के बारे में राज समिति के प्रतिवेदन का राज्यों को परिचालन	Circulation of Raj Committee Report on Taxation of Agricultural Wealth in States.	69-70
2682.	यूगोस्लाविया के साथ संयुक्त उद्यम	Joint venture with Yugoslavia.	70
2683.	नक्काशी की हुई लकड़ी के निर्यात के नौतल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर नकद प्रोत्साहन	Cash Incentive on f. o. b. value on Export of Wood Carvings.	70
2684.	भारतीय पर्यटक विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटलों में पर्यटकों को समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं की सप्लाई	Supply of Newspapers and journal to Tourists in Hotels being run by I.T.D.C.	70-71

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या	U. S. Q. Nos.	
2685. पूर्वी जर्मनी और चेकोस्लावाकिया से इस्पात और अखबारी कागज का आयात	Import of Steel and Newsprint from East Germany and Czechoslovakia. ..	71-72
2686. भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र को दिया गया वार्षिक अनुदान	Annual Grants given to Indian Investment Centre. ..	72
2687. 'इंडियन एक्सप्रैस न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटड (बम्बई) द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताएं	Financial Irregularities by Indian Express Newspapers Private Limited, Bombay. —	72-73
2689. भारतीय आय-कर विधियों के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधिपति और दिल्ली के उच्च-न्यायालय के न्यायाधिपति के दृष्टिकोण	Views of Chief Justice of India and Chief Justice of Delhi High Court regarding Indian Income-tax Laws. ...	73
2690. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा विभिन्न फिल्म निर्माताओं से धन की वसूली	Amount to be realised by I.M.P.E.O. from various Film Producers.	74
2691. पड़ोसी देशों के साथ व्यापार	Trade with neighbouring Countries.	74-75
2692. राज्य व्यापार निगम द्वारा कथा चित्रों का व्यापार अपने हाथ में लिया जाना	Feature Film Trade taken over by S.T.C. —	76
2693. फिल्म के कुल निर्यात में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का अंश	Share of Indian Motion Pictures Export Corporation in the total Film Exports ..	76-77
2694. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण के रूप में दी गई सहायता	Loan assistance given by Industrial Finance Corporation —	77-79
2695. राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों द्वारा किये जाने वाले असाधारण सौदों को रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to prevent unusual deals by Directors of Nationalised Banks. —	79-80

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या	U. S. Q. Nos.	
2696. भारत में इस्पात, पैट्रोलियम और विद्युत परियोजना के लिए विदेशी सहायता	Foreign assistance for Steel, Petroleum and power Projects in India. ..	80
2697. विदेशों से भेजी गई विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण करने हेतु भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का पुनरीक्षण	Revision of Foreign Exchange Rules by Reserve Bank of India to Control Foreign Exchange remittances from Abroad.	80-81
2698. कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Textile Mills	81-82
2699. मूल्य में वृद्धि और बोनस आदि के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry re: rise in price and Bonus etc. ..	82
2700. भारतीय जूट प्रतिनिधिमंडल का बंगला देश का दौरा	Indian Jute Delegation's visit to Bangladesh.	82-83
2701. भारत में विदेशी कम्पनियां	Foreign Companies in India.	83
2702. चमड़े के जूतों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned through Leather-shoe Export. ...	83-84
2703. चाय उद्योग के लिए आवश्यक भट्टी के तेल की कमी	Scarcity of Furnace oil required by Tea Industry. ...	84
2704. इंडियन एयरलाइंस में फ्लाईट रिकार्डर युक्त विमानों की संख्या	Number of Aircraft with Indian Airlines fitted with Flight Recorders	84-85
2705. बड़े व्यवसाय गृहों को ऋण देने संबंधी प्राक्रिया	Procedure of Lending to big houses	85-86
2706. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देना	Advancing of Loans to Farmers by Nationalised Banks.	86
2707. बनामी साझीदारी के द्वारा करों का अपवंचन	Evasion of Taxes by way of Benami Partnerships.	86
2708. विदेशों से अचार तथा चटनियों की मांग में वृद्धि	Increase in demand of pickles and sauces from abroad.	87

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या	U. S. Q. Nos.	
2709. ऊन के आयात को सरकारी अधिकार में लेना	Take over of Wool Import	87
2710. चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने के लिए एयर इंडिया द्वारा किया गया अध्ययन	Studies carried out by Air India regarding improvement of facilities at the four major international airports in the Country.	87-88
2711. पांचवी योचना में निर्यात में होने वाली वृद्धि को संभावित दर	Expected growth rate of exports in Fifth Plan.	88
2712. बंगला देश से होने वाले वस्तु विनिमय व्यापार में कमी	Shortfall in Barter deal with Bangladesh.	88-89
2713. एशियाई मेले में उद्घाटन के समय अधूरे मंडप	Incomplete Pavilions at Asian Fair at the time of Inauguration ...	89-90
2714. 'इकाफे' देशों को निर्यात	Exports to ECAFE Countries	90-92
2715. टैलीविजन सेट चोरी-छिपे भारत में लाना	Smuggling of T.V. Sets into India.	92
2716. श्री आर० पी० गोयनका की कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Companies under Shri R.P. Goenka ...	93
2717. बड़े उद्योगों में लगी विदेशी पूंजी	Foreign Capital Investment in Big Industries ...	93
2718. केरल राज्य के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना	Raising of Additional resources for Kerala State ...	93-94
2719. भारत-बंगला देश व्यापार	Indo-Bangladesh Trade. ...	94
2721. वित्त मंत्री की विभिन्न देशों की यात्रा	Visit to different Countries by Finance Minister. ...	94-95
2722. विदेशों से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from Foreign Countries. ...	95-96
2723. एयर इंडिया के विमानों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में रिक्त स्थानों की संख्या	Number of Vacant Seats in International Flights of Air India Planes. ...	96

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या	U. S. Q. Nos.	
2724. उत्तर बिहार में राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in North Bihar.	96-97
2725. साड़ियों का निर्यात	Export of Saris.	97-98
2726 विदेशों फिल्मों के आयात के संबंध में वर्तमान नीति	Present Policy of Importing Foreign Films. ..	98
2727 चमड़े के सामान के लिए मंडियां खोजने के लिए भेजा गया प्रतिनिधिमंडल	Delegation to Explore markets for Leather Goods.	98-99
2729. राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा आर्थिक गतिविधियों के कुछ क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए राज्य सरकारों की गारंटी	State Government's Guarantees for financing Certain Areas of Economic Activity by Nationalised Banks. ..	99
2730. उत्तर तथा दक्षिण कनारा में लीड बैंकों का कार्यकरण	Functioning of Lead Banks in North and South Kanara.	99-100
2731. राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण लेने वालों के खाते	Borrower's Accounts in Nationalised Banks.	100
2732. राष्ट्रीयकृत बैंकों की विशेषतायें	Distinguishing Features of Nationalised Banks.	100-101
2733. आमों का निर्यात	Export of Mangoes.	101
2734. देश में पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up a Tourism Training Institute in the Country	102
2735. स्वीडन के विदेश व्यापार मंत्री से हुई बातचीत	Discussion held with Swedish Foreign Trade Minister.	102
2736. उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य सूचकांक की गणना	Calculation of Price Index of Consumer Goods ..	102-103
2737. विदेशी परामर्शदाताओं/ठेकेदारों की दी गई गारंटी की राशी	Amount guaranteed to Foreign Consultants/Contractors. ..	103-104

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या	U. S. Q. Nos.	
2738. ऊँचे ग्रेड के लोह अयस्क के लिए मंडियां खोजने के लिए पश्चिम यूरोपीय देशों को खनिज तथा धातु व्यापार निगम का प्रतिनिधिमंडल	MMTC Delegation to West European Countries to explore Markets for High Grade Iron Ore.	.. 104-105
2739. लौह और मेंगनीज अयस्कों के निर्यात के लिए विदेशों/विदेशी फर्मों के साथ खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किए गए दीर्घावधि ठेके	Long term contracts entered into by MMTC With Foreign Countries/Firms for export of Iron and Manganese Ore	.. 105-106
2740. नैशनल एंड ग्रिन्डलेज बैंक के विदेशी शयरधारी	Foreign shareholders of National and Grindlays Bank.	.. 106-107
2741. नेशनल एंड ग्रिन्डलेज द्वारा नई शाखायें खोलना	Opening of New Branches by National and Grindlays Bank.	107
2742. नेशनल एंड ग्रिन्डलेज़ बैंक द्वारा छिपे लाभ का उपयोग	Appropriation of Concealed Profits by National and Grindlays Bank.	108
2743. भारतीय व्यापार गृहों द्वारा विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों का अधिग्रहण	Acquisition of Foreign controlled Companies by Indian Business Houses.	108
2744. नेशनल एंड ग्रिन्डलेज बैंक की गतिविधियां	Activities of National and Grindlays Bank.	.. 108-109
2745. शल्य चिकित्सा में काम आने वाले औजारों का निर्यात करने के लिए सोवियत संघ के साथ करार	Contract with Soviet Union for exporting Surgical Instruments.	.. 109-110
2746. निगमित, क्षेत्र के नाम कर की बकाया राशि	Arrears of Tax due from the Corporate Sector.	.. 110-112
2747. काजू का आयात करने के लिए विदेशी नौवहन कम्पनियों के जहाजों को काम में लाना	Engaging ships of foreign Shipping Co. for importing cashew nuts.	112

आता प्र० संख्या	विषय	Sub ject	पृष्ठ/Pages
		U. S. Q. Nos.	
2748.	श्रीलंका से सुपारी का आयात	Import of Arecanuts from Ceylon ..	113
2749.	विदेशी प्रचार फर्म के माध्यम से नारियल जटा बोर्ड द्वारा विज्ञापन देना	Coir Board advertisements through foreign advertising firm. ..	113
2750.	निर्यात-प्रधान इंकाइयों के विस्तार पर प्रतिबंधों संबंधी शिकायतें	Complaints Regarding Restrictions on Expansion of Export Oriented Units. ..	114
2751.	1973 में पश्चिम जर्मनी में होने वाले अंतराष्ट्रीय मेले में शामिल होने का प्रस्ताव	Proposal to participate to 1973 International Fair to be held in West Germany. ..	114
2752.	विदेशों में भंडागार खोलने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत करना	Disapproval of proposal regarding Opening of Warehouses abroad. ...	114-115
2753.	भारत में तथा विदेशों में यात्रा एजेंटों तथा उनके परिवारों को एयर इंडिया द्वारा मानार्थ पास दिए जाने के बारे में मार्गदर्शी निदेश	Guide Lines for issue of Complimentary Passes by Air-India to Travel Agents and their Families in India and abroad. ..	115-116
2754.	मानार्थ पास देने के लिए इंडियन एयरलाइंस को मार्गदर्शी निदेश	Guide-Lines to Indian Airlines for Issue of Complimentary Passes. ..	116-117
2755.	ऊन के आयात पर नियंत्रण	Check on Wool Imports.	117
2756.	दिल्ली हवाई अड्डे पर "कंट्रोल टावर"	Control Tower at Delhi Airport ..	117-118
2757.	मोतीहारी, मुजफ्फरपुर तथा पटना को जोड़ने वाली नियमित विमान सेवायें	Regular Air Services Linking Mutihari, Muzaffarpur and Patna.	118
2758.	बिहार में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय धन का उपयोग	Utilisation of Central Funds for Development of Tourism in Bihar. ..	118-119

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
आता० प्र० संख्या	U. S. Q. Nos.	
2759. इंडियन मोशन पिक्चर्ज एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा भारतीय फिल्मों का निर्यात	Export of Indian Films by I.M.P.E.C.	119
2760. टैरिफ संबंधी बाधाओं को समाप्त करना	Dismantling of Tariff Barriers	120
2761. चीन को नमक की तस्करी	Smuggling of Salt into China ...	120
2762. चीन को अन्न की तस्करी	Smuggling of Food grains into China ..	120-121
2763. रबड़ के मूल्य संबंधी अधिसूचना	Notification of Rubber Price	121
2764. केरल में नारियल जटा उद्योग में संकट	Crisis in Coir Industry in Kerala ..	121-122
2765. हथकरधा उद्योगों के लिए केरल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता	Assistance sought by Kerala Government for Handloom Industries	122
2766. आय-कर कानूनों में परिवर्तन	Changes in Income-tax Laws	122
2767. केरल राज्य काजू विकास निगम द्वारा बंद पड़ काजू कारखानों को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of closed Cashew Factories by Kerala State Cashew Development Corporation ..	122-123
2768. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्राप्त वित्तीय सहायता	Financial assistance received by Indian Institute of Public Administration ..	123
2769. निषिद्ध वस्तुओं की जब्ती	Seizure of Contraband Goods ..	123-124
2770. अलौह धातुओं के आयात के लिए दीर्घावधि करार	Long Term Agreement for Importing non-ferrous metals ...	124-125
2771. रूस तथा ब्रिटन को चश्मों के फ्रेमों का निर्यात	Export of Frames for Spectacles to U.S.S.R. and U.K.	125
2772. कृषि क्षेत्र के बारे में रिजर्व बैंक के अध्ययन दल की सिफारिश	Recommendations of the Study Group of the Reserve Bank re: Agricultural Sector ...	125-126

विषय	subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या	U. S. Q. Nos.	
2773. विकास परियोजनाओं के लिए भारत और मारिशस में समझौता	Agreement between India and Mauritius for Development Projects	126
2774. राज्य व्यापार निगम में उच्च स्तर पर परिवर्तन करने का प्रस्ताव	Proposal for top level changes in S.T.C.	127
2775. बंगलादेश को साड़ियों तथा कपड़े का निर्यात	Export of Saris and Cloth to Bangla Desh	127
2776. मशीनों और उपकरणों के आयात संबंधी उदार नीति	Liberal policy in regard to import of Machinery and Components	127-128
2777. कर-दाताओं द्वारा छिपी आय और धन को स्वेच्छा से प्रकट करना	Voluntary Disclosure of Concealed Incomes and Wealth by Tax Payers	128
2778. 'टैन्थ ओवरसीज इम्पोर्ट फेयर' बर्लिन में बुक किए गए आर्डर	Orders booked at 10th Overseas Import Fair, Berlin	128
2779. तम्बुओं जैसी सैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम को प्राप्त किया देश	Orders received by S.T.C. for Export of Military Soft Wares	128-129
2780. विदेशों में इत्र आदि का व्यापार	Trade in Perfumery abroad	129
2781. कम्पनियों के विलय, एकीकरण और अधिग्रहण के लिए आवेदन-पत्र	Applications for Merger Amalgamations and Taking Over of Companies	129-130
2782. जीवन बीमा निगम की ओर बकाया दावे	Outstanding L.I.C. Claims	131-132
2783. इत्र आदि के निर्यात के संवर्धन संबंधी प्रतिवेदन	Report on Development of Perfumes Export	131-132
2784. बंगला देश के शरणार्थियों की सहायताथ लगाए गए कर से आय	Revenue from Levies for Relief to Bangladesh Refugees	132

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता०प्र० संख्या	U. S. Q. Nos.	
2785. बम्बई हवाई अड्डे पर एक नये टर्मिनल के लिए योजनायें तथा बम्बई हवाई अड्डे के लिए 30 करोड़ रुपए की परियोजना	Plans for a new Terminal at and Rupees Thirty crore project for Bombay Airport	... 132-133
2786. गलीचा-अस्तर पर निर्यात शुल्क समाप्त करना	Slashing of Export Duty on Carpet-backing	133
2787. होटल ऋण विकास निधि के अंतर्गत मंजूर किए गए ऋणों की राशि	Amount of loans sanctioned under Hotel Loan Development Fund	.. 133-134
2788. राष्ट्रीय बचत अभियान के दौरान संग्रह	Collections under National Savings Drive	.. 134-135
2789. दिल्ली, बम्बई तथा पंजाब में कार्य करने वाली यात्रा एजेंसियों द्वारा दिए गए संदिग्ध पारपत्र	Dubious Passports provided by Travel Agencies operating in Delhi, Bombay and Punjab	135
2790. अनेक कम्पनियों द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licence by various Companies	... 135-136
2791. राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण की आलोचना	Criticism on Working of Nationalised Banks	.. 136
ऊविलम्बनीय लोक–महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to the Matter of Urgent Public Importance	.. 136
नेवेली लिगनाइट निगम का ब्रिकेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र को बंद करने का प्रस्ताव	Proposal by the Neyveli Lignite Corporation to close down the Briquetting and Carbonisation Plant	.. 136-141
श्री सी० टी० दण्डपाणि	Shri C.T. Dandapani	136, 137-138
श्री शाह नवाज खां	Shri Shahnawaz Khan	136-137, 139-140
विशेषाधिकार का प्रश्न (मद्रास हवाई अड्डे पर श्री के० मनोहरन, संसद सदस्य पर कथित आक्रमण)	Question of privilege	.. 141
	(Alleged Assault on Shri K. Manoharan, M.P. at Madras Airport)	... 141-146
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	.. 146-148
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	148

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा का कार्य	Business of the House	.. 148-152
कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधयक-पुर:स्थापित	Coal Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill—Introduced	.. 152-153
बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला, सांविधिक संकल्प तथा बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक—	Statutory Resolution Re. Disapproval of Payment of Bonus (Amendment) Ordinance and Payment of Bonus (Amendment) Bill—	.. 153-155
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	153
श्री हुकम चंद कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	.. 153-154
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R.K. Khadilkar	154
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	155
विधेयक पुर : स्थापित—	Bills Introduced—	
(1) खाद्य अपमिश्रण (संशोधन) विधेयक (धारा 2, 3, आदि का संशोधन)— श्री पी० वेंकटासुब्बैया का	Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill (Amendment of Sections 2, 3, etc.) by Shri P. Venkatasubbaiah	155-156
(2) बाल-विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक (धारा 2, 3 आदि का संशोधन)— डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय का	Child Marriage Restraint (Amendment) Bill (Amendment of Sections 2,3, etc.) by Dr. Laxminarain Pandeya	156
(3) नारियत जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक (धारा 4, 8 आदि का संशोधन)— श्री सी० के० चन्द्रप्पन का	Coir Industry (Amendment) Bill (Amendment of Sections 4, 8 etc.) by Shri C.K. Chandrappan	156
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 290 क का लोप)— श्री आर० पी० उलगनम्बी का	Constitution (Amendment) Bill (Omission of article 290A) by Shri R.P. Ulaganambi	.. 156-157
(5) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 324 का संशोधन)— श्री आर० पी० उलगनम्बी का	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 324) by Shri R.P. Ulaganambi	157

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 240 तथा प्रथम अनुसूची का संशोधन)—श्री बी० के० दासचौधरी का	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 240 and First Schedule) by Shri B.K. Daschowdhury	.. 157-165
विचार करने का प्रस्ताव–जारी	Motion to consider—Contd.	.. 157-165
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkande Rai	157,158-159
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	162
श्री रामरतन शर्मा	Shri R.R. Sharma	163
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Diwary	164
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	160
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	.. 160-161
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	.. 161-164
श्री मूलचंद डागा	Shri M.C. Daga	161
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	161
श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	161
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	161
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin	161,162,163,164
राष्ट्रीय राइफल प्रशिक्षण योजना विधयक— श्री एस० सी०सामंत का	National Rifle Training Bill by Shri S.C. Samanta	.. 165-172
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	.. 165-172
श्री एस० सी० सामंत	Shri S.C. Samanta	.. 165-166
श्री अजीत कुमार साहा	Shri Ajit Kumar Saha	.. 168-169
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B.K. Daschowdhury	.. 167,168
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	.. 169-170
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	170
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	.. 167,170
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	.. 171-172

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री मूलचंद डागा	Shri M.C. Daga	.. 172
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan	.. 172
श्री वसंत साठे	Shri Basant Sathe	.. 172
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	.. 172
आधे–घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	
आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता के एक निदेशक के निवास स्थान पर छापा	Raid on the Residence of a Director of Anand Bazar Patrika, Calcutta	.. 172-175
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	173-174,175
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K.C. Pant	.. 174,175

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 1972, 10 अग्रहायण, 1894 (शक)
Friday, December 1, 1972/Agrahayana 10, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई
The Lak Sabha met at one minute past eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

काफी बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन मानों को युक्तिसंगत बनाना

*261. **श्री पम्पन+गौडा :**
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड के कर्मचारियों ने बंगलौर में उनके मंत्रालय में उपमंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि वेतन आयोग के फैसले से पूर्व उनके वेतनमानों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में निर्णय किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमान के सुव्यवस्थीकरण की प्रस्थापनाओं पर तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करते समय विचार किया जाएगा। बोर्ड के वर्तमान वेतनमानों में यदि कोई विषमयताएं हैं तो उन पर उसी समय विचार किया जाएगा।

श्री पम्पन गौडा : प्रश्न यह है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से पूर्व वेतन-मानों को युक्तिसंगत बनाया जायेगा और वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद नहीं। मेरे विचार से प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री ए० सी० जार्ज : मेरे विचार से उत्तर दे दिया गया है। यदि माननीय सदस्य इस बारे में और स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि काफी बोर्ड के कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अन्य सरकारी कर्मचारियों और सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संस्थाओं की तुलना में कुछ ऐसे ग्रेड हैं जिनमें असंगतियां तथा असमानताएं हैं। उनका

आशय यह है कि यदि नये वेतनमान बाद में क्रियान्वित किये गये तो क्या इन असंगतियों और असमानताओं को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों में शामिल किया जायेगा। हमने यह आश्वासन दिया है कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों की जांच की जायेगी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका मंत्रालय इस बात से सहमत हो गया है कि असंगतियां हैं? आपने उत्तर दिया है कि "यदि असमानताएं हुई तो उनकी ओर ध्यान दिया जायेगा"। यह उत्तर स्पष्ट नहीं है। क्या मंत्रालय इस बात से सहमत है कि कुछ असंगतियां हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं और उनके बारे में उनका क्या रुख है?

श्री ए० सी० जार्ज: काफी बोर्ड के अपने कर्मचारियों से उचित औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने को ध्यान में रखते हुए, जिनकी मैं इस अवसर पर प्रशंसा करना चाहूंगा, हमने वेतनमान उप-समिति नियुक्त की है जिसके बारे में माननीय सदस्य को मेरे से अधिक जानकारी है। उप-समिति की सिफारिशों की विदेश व्यापार मंत्रालय ने जांच की थी और हम उनमें से कुछ सिफारिशें स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। लेकिन माननीय सदस्य यह जानते हैं कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने से पूर्व नये वेतन मानों को क्रियान्वित करने के बारे में कुछ बाधाएं हैं। अतः ये असंगतियां उसी समय दूर की जायेंगी।

Shri Hukam Chand Kachwai: I want to know whether the Government have adopted some policy for fixing a minimum wage of the Coffee Board Employees and what is the difference that the Government propose to keep between it and the minimum living wage?

श्री ए० सी० जार्ज: प्रश्न न्यूनतम मजूरी के बारे में नहीं है। उन्हें उचित मंजूरी दी जा रही है। विचाराधीन शिकायत अन्य सरकारी एजेंसियों की तुलना में असमानता के बारे में है। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम इसे शीघ्र दूर करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai: My question has not been answered. I want to know the minimum living wages fixed for the Coffee Board employees. I also want to know the difference between their wages and the minimum living wage.

Mr. Speaker: Pleas tell if there is a minimum living wage.

श्री ए० सी० जार्ज: हमने न्यूनतम निर्वाह वेतन निर्धारित नहीं किया है। हम उन्हें उचित वेतन देते हैं।

श्री ए० पी० शर्मा: यह सर्वविदित तथ्य है कि चाय बोर्ड और काफी बोर्ड के कर्मचारी तीसरे वेतन आयोग के अन्तर्गत नहीं आते। क्या वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद बोर्डों और उनके कर्मचारियों के बीच वेतन आयोग के वेतन मानों को क्रियान्वित किया जायेगा अथवा वे स्वतः ही लागू हो जायेंगे?

श्री ए० सी० जार्ज: हमारा इसे स्वतः क्रियान्वित करने का विचार नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधियों और बोर्ड के बीच अवश्य विचार विमर्श होगा।

विदेशी स्वामित्व वाले बागानों का राष्ट्रीयकरण

†

*262. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री वरके जार्ज :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तथा देश के अन्य भागों में विदेशी स्वामित्व वाले चाय, रबड़ तथा इलाइची बागानों का बिना मुआवजा दिये राष्ट्रीयकरण करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). भारत में विदेशी स्वामित्व वाले बागानों का प्रबन्ध ग्रहण करने की इस समय कोई प्रस्थापना नहीं है। तथापि, इस सम्बन्ध में केरल सरकार से प्राप्त एक अध्यादेश के मसौदे पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

श्री बी० के० दासचौधरी : सरकार ने बहुत सीधी सी बात कह दी है कि विदेशी स्वामित्व वाले बागान का राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन बागान के स्वामियों, विशेषकर विदेशी स्वामित्व वाले बागान के मालिकों ने, इस देश में लाखों पौंड का लाभ कमाया है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उक्त लाभ का थोड़ा सा भी भाग का भारत में पुनः निवेश नहीं किया जाता है सरकार को इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में क्या बाधाएं हैं ? दूसरे, क्या सरकार ने ऐसे आंकड़े एकत्र किये हैं जिनसे यह पता लगे कि विदेशी स्वामित्व वाले बागान के मालिक अपने उद्योग का आधुनिकीकरण नहीं कर रहे हैं। जिससे इन उद्योगों में रोजगार की और अधिक व्यवस्था की जा सके।

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक उक्त उद्योग को अपने नियंत्रण में लेने का प्रश्न है, हमने नीति के अनुरूप यह निर्णय लिया है कि इन बागान को नियंत्रण में नहीं लिया जायेगा। यह सच है कि विदेशी बागान के मालिकों ने, चाहे वे रबड़, चाय अथवा काफी बागान मालिक हों, अपने लाभ विदेशों में भेजे हैं और वे उसका यहां निवेश नहीं करते। जहां तक उक्त उद्योग का आधुनिकीकरण करने का प्रश्न है, न केवल बागान के विदेशी मालिकों ने, बल्कि बागान के भारतीय मालिकों ने भी अपने बागान का आधुनिकीकरण नहीं किया है अथवा वे हमारी कुछ योजनाओं से लाभ नहीं उठा रहे हैं। हाल ही में हमने चाय, रबड़ और काफी उद्योग का आधुनिकीकरण करने की एक योजना तैयार की है। उक्त योजनाओं के लिये सरकार से उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा मुझे आशा है वे इनका लाभ उठायेंगे।

श्री बी० के० दासचौधरी : केरल सरकार द्वारा भेजे गये प्रारूप अध्यादेश की मुख्य बातें क्या हैं ? क्या सरकार उक्त अध्यादेश को उसी रूप में स्वीकार करेगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : चूंकि यह मामला विचाराधीन है अतः मैं इस मामले में इस अवस्था में इसकी मुख्य बातों को नहीं बताऊंगा उनकी चर्चा नहीं करूंगा। इस समय हम राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं और इस मामले के राजनीतिक आशय हैं।

श्री बी० के० दासचौधरी : उन्हें इस बारे में विवरण देने की आवश्यकता नहीं। उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : इसकी मुख्य बात यह है कि वे बागान को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह उत्तर दिया गया है कि चूंकि यह नीति सम्बन्धी मामला है, अतः सरकार केरल के अध्यादेश के बारे में फैसला करने में कुछ समय लेगी, क्या यह सच नहीं है कि प्रारूप अध्यादेश सरकार को एक वर्ष से भी पहले भेजा गया था? संसद् के गत सत्र में और इस सत्र में भी सरकार ने वही उत्तर दिया है कि मामला विचाराधीन है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि उक्त मामले पर वे कब तक विचार करते रहेंगे और क्या वह इस मामले पर कोई निर्णय भी लेंगे। क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीयकरण की व्यवहार्यता के मामले पर इन्हें केरल सरकार से एक विशेषज्ञों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न के द्वारा जानकारी दी नहीं जाती। आप नियम जानें। प्रश्न जानकारी प्राप्त करने के लिये होना चाहिये।

श्री एल० एन० मिश्र : यह सच है कि हमें केरल सरकार से प्रारूप अध्यादेश एक वर्ष पूर्व नहीं बल्कि लगभग 9 महीने पूर्व प्राप्त हुआ था। हम केरल सरकार से विचारविमर्श कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि हम इस मामले को कब तक अन्तिम रूप दे देंगे। यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है बल्कि उसका राजनीतिक आशय भी हैं। इस मामले पर एक अथवा दो दिन में निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसमें कुछ समय लगेगा।

श्री वयालार रवि : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल राज्य में उत्पादन में कमी हुई है और जोतों का विखण्डन बहुत तेजी से हो रहा है, क्या सरकार केरल राज्य में न केवल विदेशी स्वामित्व वाले बागान को बल्कि सब बागान को अपने नियंत्रण में लेने के लिये कानून शीघ्रता से बनायेगी?

श्री एल० एन० मिश्र : प्रश्न विदेशी स्वामित्व वाले बागान को नियंत्रण में लेने का है। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हम सब बागान को अपने नियंत्रण में ले लें। जहां तक विदेशी स्वामित्व वाले बागान का प्रश्न है, यह मामला अभी विचाराधीन है। भारतीय बागान को नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि क्या केरल सरकार का मुआवजा देकर अथवा मुआवजा दिये बिना समस्त बागान उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री एल० एन० मिश्र : हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अमृत नाहटा : क्या यह सच है कि विश्व बैंक जैसी अनेक एजेंसियां विदेशी स्वामित्व वाले बागान के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं और यदि हां, तो क्या इसी कारण सरकार को इस मामले में निर्णय लेने में इतनी अधिक देरी हो रही है?

श्री एल० एन० मिश्र : जी नहीं। हमारे ऊपर इस मामले में कोई दबाव नहीं डाला गया है। हम स्वयं ही इस बारे में सोच रहे हैं कि इसके आशय क्या होंगे ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क विभाग के हैडक्लर्कों और निरीक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

*263. **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क विभाग के हैडक्लर्कों और निरीक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका दर्जा कब तक बढ़ा दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीमाशुल्क विभाग में हैडक्लर्कों के पदों को जून 1968 में उस समय समाप्त कर दिया गया था जब उस विभाग में अराजपत्रित कार्यालय पर्यवेक्षी संवर्गों का कार्यालय अधीक्षक तथा उप कार्यालय-अधीक्षक नाम के केवल दो ग्रेडों में पुनर्गठन किया गया था। सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में हैडक्लर्कों के पदों का दर्जा बढ़ाने का फैसला नहीं किया है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क विभागों के निरीक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल नहीं उठता।

Shri Ramavatar Shastri: Office Superintendent is promoted in place of Administrative Officer. If it is so, I want to know the Strength of Office Superintendents Administrative Officers and Deputy Officer Superintendents in the Customs and Excise Departments?

श्री के० आर० गणेश : उस समय आफिस सूपरिन्टेन्डेंन्टों की संख्या 67 है और डिप्डी आफिस सूपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या 612 है। आपने ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स के बारे में पूछा है। समस्त राजपत्रित अधिकारियों के संवर्ग की स्वीकृत संख्या 133 है, जिसमें चीफ एकाउन्टस आफिसर्स एसिस्टेंट, चीफ एकाउन्टस आफिसर्स, ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स, एक्जामिनर ऑफ एकाउन्टस शामिल हैं।

Shri Ramavatar Shastri: The Hon. Minister has stated that the sanctioned strength of the Administrative Officers is 133 and those of office Superintendents is 67. They are promoted in place of Administrative Officers. I want to know how many persons have since been promoted in place of Administrative Officers.

Secondly, some difficulties have arisen due to the decision of the Supreme Court regarding promotion of non-gazetted employees. Keeping this decision into view, I want to know whether Government propose to prepare some revise seniority list in which all these people may be included? The Hon. Minister has also stated that he does not want to up grade the post of Inspectors. But he did not give any reasons in support thereof. He may kindly give the reasons in this regard.

श्री के० आर० गणेश : मैं समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं। वह बहुत ही विद्वान सदस्य हैं लेकिन पहली बार उन्हें उचित तौर पर यह बतलाया नहीं गया है कि उन्हें क्या पूछना चाहिए। मेरे पास उन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं जो संगठन पूछता रहा है।

Mr. Speaker: The Hon. Member's Question is how many persons have been upgrade to those 133 posts ?

श्री के० आर० गणेश : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क विभाग की एसोसियेशन समय समय पर यह अभ्यावेदन देती रही है कि विभिन्न स्तरों पर गतिरोध है।

Shri Ramavatar Shastri: I want to know whether the Supreme Court has given any decision in this matter and due to that their seniority has been affected?

श्री के० आर० गणेश : इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि अनेक स्तरों पर गतिरोध हैं और उन अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप ऐसे निर्णय लिये गये हैं जिनसे उक्त गतिरोध काम किया जा सके। अतः इस मामले में वरिष्ठता सूची का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन तथ्य यह है कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हम उनकी जांच कर रहे हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में और स्वयं निकासी प्रक्रिया समिति द्वारा की जा रही जांच के संदर्भ में उस मामले में कुछ निर्णय लिये जायेंगे।

Shri Ramavatar Shastri: I could not follow the Hon. Minister.

श्री के० आर० गणेश : सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय संबंधी विशेष प्रश्न के लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी।

Shri Hukam Chand Kachwai: He has stated the strength of Excise officers and custom officers as 612 and more than 200 respectively. They are not promoted departmentally. Most of the persons on these posts are directly appointed, so their departmental promotions are stopped. I want to know their decision regarding proportional of promotions from outside and from the department.

श्री के० आर० गणेश : मेरे पास इस समय जो जानकारी है उसके अनुसार उसके लिए एक श्रेणी निर्धारित है और एक अनुपात निर्धारित किया गया है जिस में से पदोन्नतियां की जायेंगी और अन्य श्रेणी में सीधे भर्ती की जायेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह अनुपात क्या है। यदि माननीय मंत्री के पास उस बारे में अभी जानकारी नहीं है तो वह उसकी जानकारी बाद में दे सकते हैं।

जीवन बीमा निगम के कारोबार में वृद्धि

†

*264. **श्री रामभगत पस्वान :**
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों में जीवन बीमा निगम का कारोबार काफी बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो एन्डोमैन्ट पालिसियों पर प्रीमियम कम न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). एक विवरण पत्र सदन-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। जीवन बीमा निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों में किये गये नये कारोबार के आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

(करोड़ रुपयों में)

1967–68	844.47
1968–69	929.35
1969–70	1036.08
1970–71	1303.08
1971–72	1639.89

(ख) जीवन बीमा निगम ने कुछ लाभ-रहित बीमा पालिसियों की प्रीमियम-दरें एक फरवरी, 1970 से और कुछ अन्य लाभ-रहित बीमा पासिलियों की प्रीमियम-दरें एक मार्च, 1971 से घटा दी हैं, क्योंकि दरों में ऐसी कमी के लिये जीवनांकिक गणना से औचित्य था। इस प्रकार की पालिसियों में, दोनों, सम्पूर्ण जीवन पालिसियां तथा सांवधिक पालिसियां सम्मिलित हैं। स-लाभ (दोनों, सम्पूर्ण जीवन और सांवधिक) पालिसियों के संबंध में भविष्य में व्यय की प्रवृत्ति की अनिश्चितता के कारण जीवन बीमा निगम ने, विस्तारपूर्वक समीक्षा करने के बाद, यह निर्णय किया है कि इन पालिसियों के संबंध में प्रीमियम दरों के संशोधन के विचार को तब तक मुल्तबी रखा जाय जब तक व्यय की प्रवृत्ति स्थिर नहीं हो जाती, विशेष रूप से इसलिए भी कि स-लाभ पालिसी-धारकों के बीच समानता का व्यवहार बोनस वितरण के माध्यम से किया जा सकता है।

श्री राम भगत पस्वान: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सांवधि पालिसियों के अलावा अन्य पालिसियों पर प्रीमियम की दरों में कमी करने की वांछनीयता पर विचार करेंगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रोमियम में कटौती करने की शिफारिश की है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में कब निर्णय किया जाएगा?

श्रीमती सुशीला रोहतगी: प्रशासनिक सुधार आयोग तथा मोरारका समिति ने भी प्रीमियम दरों में कमी करने की सिफारिश की है, पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश यह है कि प्रीमियम में उल्लेखनीय कमी की जाये ताकि निगम गैरसरकारी क्षेत्र में भी पदार्पण कर सके।

सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है तथा राष्ट्रीय हितों को दृष्टी में रखते हुए क्योंकि हम पूंजी निवेश को पालिसी धारियों के हितों की बजाय राष्ट्रीय हितों के लिये उपयोग में लाते हैं, आयोग की उक्त सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री राम भगत पस्वान: क्या बीमा व्यवसाय में उच्च वर्ग के लोगों के अंशदान से वृद्धि हुई हैं अथवा देश के दूरवर्ती गांवों के आम व्यक्तियों के अंशदान के फलस्वरूप उक्त वृद्धि हुई है।

श्रीमति सुशीला रोहितगी : गत दो वर्षों के दौरान तो जीवन बीमा निगम के कारोबार में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है हालांकि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के कार्य के बीच असमानता है तथा निश्चय ही वहां सुधार किये जाने की गुंजाईश है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Is it a fact that one of the factors responsible for the increase in the LIC business is that efforts are made to give more policies towards the end of the year and such policies lapse within a month or so, and that that business too is added up in the total business? Has she tried to look into it?

Shrimati Sushila Rohatgi: Well, it is true that there has been an increase in the number of lapsing policies. It has been the policy of the L.I.C., in their own interest, that minimum number of policies should be allowed to lapse because a lot of expenditure is involved in starting them. So it is in their interest that the minimum number of policies get lapsed.

श्री पी० वेंकटासुब्बैय्या : जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा किया जा रहा है, तो क्या जीवन बीमा निगम ने उन परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का, ग्रामीण आवास योजनाओं जैसी योजना से विकास करना हो, बजाये इसके कि धनराशी कर निवेश.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बडा ही स्पष्ट है जबकि पालिसियों के प्रीमियम को न घटाने के कारण.....

श्री पी० वेंकटासुब्बैय्या : मेरा अनुपूरक प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम के कारोबार में वृद्धि से संबंधित है। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बोमा निगम की शाखाओं के खुलने से उसके कारोबार में वृद्धि होने के फलस्वरूप क्या उक्त योजनाओं को साथ में लेने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार कार्य हों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यद्यपि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संगत नहीं है तथापि माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं उन्हें बता दूं कि जीवन बीमा निगम ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिये वहां अपनी शाखायें खोलने तथा उन एककों को गहन कार्य को दिये सुदृढ़ बनाने के लिये अनेक ठोस कदम उठाये हैं। चलती-फिरती गाडियों द्वारा भी हम प्रचार के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता पहुंचाना है।

श्री रणबहादुर सिंह : क्या जीवन बीमा निगम ने लगभग 6,000 से कम की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में आवास ऋण देने की कोई रीति बनाई है अथवा बनाने का विचार है ? इस समय तो निगम केवल बड़े महानगरों में ही उक्त ऋण दे रहा है, क्या निगम छोटे कस्बों को भी उक्त ऋण देगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न को बहुत ही व्यापक बना रहे हैं जब कि यह एक सीमित सा प्रश्न है। केवल जीवन बीमा निगम का नाम ले लेने से तो प्रत्येक प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं हो जाता, फिर भी यदि मंत्री महोदय जवाब देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। मुख्य प्रश्न तो प्रीमियम में कमी करने के बारे में है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जीवन बीमा निगम के दो कार्य हैं। एक है पालीसियाँ देना तथा दूसरा है पूंजी निवेश। क्या मंत्री महोदय पूंजी निवेश तथा पालिसियों की संख्या के जोन-वार आंकड़े बतायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह आपको स्पष्ट रूप से पता है कि यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्षमा करें श्रीमन्, यह तो बिलकुल संगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुझ से तर्क मत कीजिये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मंत्री महोदया ने कहा है कि पूंजी निवेश की नीति का उद्देश्य पालीसीधारियों के हितों को नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों को सेवित करना है। क्या मैं जान सकता हूं कि जीवन बीमा निगम ने पूंजी निवेश के बारे में क्या क्या राष्ट्रीय प्राथमिकतायें निश्चित की हैं ?

श्रीमति सुशीला रोहतगी : राष्ट्रीय प्राथमिकतायें तो सभी जगह एक समान हैं। उसका उद्देश्य तो सारे राष्ट्र की सेवा करना है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह तो संतोषजनक उत्तर नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : देश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। पालीसीधारियों के हितों की देखभाल करना तो जीवन बीमा निगम की आधारभूत नीति है। अब हम पूंजी निवेश की बात करते हैं तो स्वाभाविक ही है कि हम राष्ट्रीय हितों को देखेंगे तथा यह सुनिश्चय करेंगे कि हमारा पूंजी निवेश सुरक्षित है। तथापि समाज की सेवा और देश की सेवा के संदर्भ में हमें प्राथमिकतायें रखनी होती हैं। इस के लिये हम निश्चय ही ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं तथा आवास योजनाओं, जल प्रदाय योजनाओं आदि के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ऋणों की ओर ध्यान देते हैं। इस आधार पर भी पूंजी निवेश किया जाता है। इस प्रकार समाज की इस प्रकार की कुछ सेवायें भी राष्ट्रीय प्राथमिकतायें हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रत्येक प्रश्न पर 15 मिनट ही लगाने की आदत न बना लें। सामान्यतः मैं देखता हूँ कि हम प्रतिदिन प्रश्न काल के दौरान पांच या छः से अधिक प्रश्न नहीं ले पाते हैं।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

एक माननीय सदस्य : वह कटक से आये हैं जहां उपद्रव हुए हैं.....

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं कटक से आऊं या कलकत्ता से, मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रश्न के लिए भाग से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

श्री जोतिर्मय बसु : मेरा भी यही प्रश्न था। भाग (क) के अन्तर्गत ही मेरा प्रश्न आता है, परन्तु आपने अनुमति नहीं दी। श्रीमन् मैं आपसे बहस तो नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री पीलू मोदी अनुपस्थित हैं। श्री गिरिधर गोमांगो--अनुपस्थित--वह तो कभी उपस्थित नहीं रहते। मैं पिछले दिनों से प्रश्न काल के दौरान रोज ही उनका नाम पुकारता हूँ परंतु वह कभी भी उपस्थित नहीं होते। वह तो कभी परवाह ही नहीं करते।

फिर, श्री शिव कुमार शास्त्री, शायद वह भी उन्हीं के साथ गये हैं। वह भी अनुपस्थित हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

*267. † **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राज्यवार कितनी नई शाखाएं खोली हैं ; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी शाखाएं खोली गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1970 और 1971 दो वर्षों के दौरान 2269 कार्यालय खोले। इन कार्यालयों का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1970 और 1971 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोले गये 2269 कार्यालयों में से 1512 कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये थे।

विवरण

14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (राज्यवार) 1970 और 1971 के दौरान खोले गये कार्यालयों की संख्या

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्रों के नाम	के दौरान शाखाओं की संख्या	
	1970	1971
1. आन्ध्र प्रदेश	66	35
2. असम	32	22
3. बिहार	65	58
4. गुजरात	146	125
5. हरियाणा	23	10

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्रों के नाम	के दौरान शाखाओं की संख्या	
	1970	1971
6. हिमाचल प्रदेश	19	14
7. जम्मू और कश्मीर	13	2
8. केरल	66	30
9. मध्य प्रदेश	85	68
10. महाराष्ट्र	156	167
11. मैसूर	129	66
12. उड़ीसा	24	14
13. पंजाब	29	23
14. राजस्थान	53	36
15. तमिलनाडु	133	82
16. उत्तर प्रदेश	136	137
17. पश्चिम बंगाल	70	50
18. चण्डीगढ़	—	1
19. दिल्ली	17	24
20. गोआ, दमन और दीव	10	8
21. पाण्डीचेरी	5	5
22. मणीपुर	1	3
23. त्रिपुरा	5	1
24. दादर और नागर हवेली	2	1
25. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह	—	2
जोड़ :	1,285	984

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : नई शाखाओं में पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये है जिसके फलस्वरूप वे लोगों को ऋण आदि देने के सारे कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। इन नई शाखाओं में पर्याप्त कर्मचारी कब नियुक्त किये जायेंगे ताकि वे पूरे कार्य को निपटा सकें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : धीरे धीरे हमें नई शाखाओं की आवश्यकताओं को देखना है ; मैं मानता हूं कि प्रारंभिक चरण में कर्मचारियों संबंधी कुछ कठिनाईयां थीं परन्तु अब अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये जा रहे हैं।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : नगरीय तथा ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को ऋण देते समय अनेक औपचारिकताओं तथा प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा ताकि नगरीय तथा ग्रामीण गरीब लोगों को इसका लाभ पहुंचे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं उनसे सहमत हूं की उक्त प्रक्रियायें पहले भी तथा अब भी कुछ क्लिष्ट हैं। परन्तु उन्हें सरल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। यह भी प्रयास है कि निर्धारित फार्म स्थानीय भाषाओं में हों ताकि लोगों को सब बातों का पता रहे, परन्तु चाहे कितना भी सरलीकरण किया जाये, आखिर तो यह ऋण देने का मामला है तथा स्वाभाविक ही है कि कुछ तो न्यूनतम जानकारी की आवश्यकता रहती ही है; और अनेक बार लोग जानकारी देने में बड़ी परेशानी महसूस करते हैं जोकि वे सरलता से नहीं दे सकते।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या मंत्री महोदय को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि ग्रामीण वर्ग के लोगों को ऋण देने से इनकार किया गया अथवा किसी न किसी बहाने से उनके लिये उन्हें निरुत्साहित किया गया? यदि हां, तो इन लोगों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह तो बड़ा ही व्यापक प्रश्न है। मैं तो यह कह सकता हूं कि हम तो लोगों की शिकायतें दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री डी० एन० तिवारी : यह देखा गया है कि जहां जहां बैंकों की शाखाऐं खोली गई हैं, वहां वहां लोगों ने भारी मात्रा में पूंजी जमा कराई है और जरूरतमन्द कृषकों को कुछ ऋण भी मिल सके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार प्रत्येक अंचल तथा बड़े बड़े व्यापारिक केन्द्रों में शाखायें क्यों नहीं खोल रही है? क्या सरकार ने इसके लिए कोई मानदंड बनाया है अथवा नहीं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वस्तुत : यहीं मानदंड है। मैं इसे तनिक विस्तार से स्पष्ट करूंगा। आपने 'लीड बैंक' योजना का नाम सुना होगा। उन जिलों के कार्यभारी लीड बैंकों का दायित्व है कि वे उन क्षेत्रों का आर्थिक सर्वेक्षण करें। सर्वेक्षण का पहला कार्य है उत्पादन क्षेत्रों तथा उत्पदान केन्द्रों का पता लगायें। वे क्षेत्र चाहे अंचल हों, बाजार हों अथवा व्यापारिक या औद्योगिक गतिविधियों के केन्द्र हों। सर्वोच्च प्राथमिकता शाखा खोलने की उन्हीं जिलों को दी जाती है। हम अभी तक उत्पादन के सभी केन्द्रों में शाखायें नहीं खोल पाये हैं, परन्तु इस दिशा में कदम जरूर उठाया जा चुका है। यहीं हमारी नीति है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या विस्तार की गति इस बीच कुछ ढीली पड़ गई है क्योंकि वसूली की गति कम हो गई है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर 'हां' में है परन्तु कारण वह नहीं जो माननीय सदस्य ने बताया है। इस वर्ष उत्पादन की दर ही कुछ कम है। हम पहले खोली गई शाखाओं का समन्वय करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की थी कि यद्यपि हम शाखाएं खोल चुके हैं परन्तु वहां कर्मचारियों की कमी है। यह सुप्रशिक्षित कर्मचारी प्रदान करने का प्रश्न है। यही समस्या थी। सच पूछिये तो दूसरे वर्ष में हमने भर्ती तथा प्रशिक्षण का एक विस्तृत कार्यक्रम हाथ में लिया है। इस कार्य के पश्चात् मेरे विचार से वृद्धि की दर किसी स्तर पर स्थिर हो जायेगी। मैं यह नहीं कह सकता कि यह निरन्तर बढ़ती जायेगी। इसका समन्वय तथा स्थायीकरण किया जाना है। अत: पहले प्रश्न का उत्तर हां में है परन्तु दूसरे का उत्तर नकारात्मक है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वसूली की दर घट गई है।

श्री रामगोपाल रेड्डी : विवरण को देखने से लगता है कि शाखाओं की वृद्धि में अत्यन्त असमानता है । क्या इसके फलस्वरूप विकास में और अधिक असन्तुलन नहीं बढ़ेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : न जाने वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे हैं ?

श्री राम गोपाल रेड्डी : आप असम, महाराष्ट्र तथा गुजरात को देखिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही असम, महाराष्ट्र तथा गुजरात में अधिक हैं। परन्तु उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश अथवा दिल्ली को देखिये। पहले आंकड़ों की तुलना में केवल कुछ राज्यों को छोड़कर, वर्ष 1971 में वृद्धि की दर कुछ कम ही रही है। मेरे पास कुछ और जानकारी है। गत दो वर्षों में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली गई कुल 2,269 शाखाओं में से 1,500 शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अब यदि क्षेत्रवार देखा जाये तो कुछ क्षेत्रों ने तो वस्तुतः अच्छा कार्य किया है। उदाहरण के लिए उत्तर क्षेत्र को लीजिये। यदि आप शाखाओं की वृद्धि की दर को देखें तो तुल्नात्मक दृष्टि से अब वहां कहीं अधिक शाखाएं हैं। यदि 1970-71 में बढ़ौतरी के आंकड़े देखे जायें तो ये अपेक्षाकृत कम हैं परन्तु यदि इसकी गति देखें तो यह बेहतर है। इस दृष्टिकोण से पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में अधिक तेजी से बढ़ौतरी हुई। हां, बम्बई में तो पहले से ही यह गति काफी तेज थी।

श्री गोटखिण्डे : विवरण से पता चलता है कि शाखाएं खोलने के मामले में कुछ राज्यों ने प्रगति की है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में यद्यपि इनकी संख्या काफी है, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कितनी शाखाएं वृहत् बम्बई और मद्रास में और कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है ?

अध्यक्ष महोदय : एक सामान्य प्रश्न में से आप आंकड़े आदि मांग रहे हैं। इस के लिए आप पृथक प्रश्न क्यों नहीं भेजते ?

श्री गोटखिण्डे : मंत्री महोदय उत्तर देने पर सहमत हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विशेषकर महाराष्ट्र के बारे में मैं आंकडें नहीं दे सकूंगा। शायद यह ठीक है कि बम्बई को धन जमा करने वालों और व्यापारिक केन्द्रों को आकर्षित करने के लिए अधिक हिस्सा मिलता है।

परन्तु उदाहरण के लिए 1970-71 में, 1512 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने के मुकाबले अर्ध-नागरीय क्षेत्रों में 425 और शहरी क्षेत्रों में केवल 165 शाखाएं ही खोली गईं। मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जैसे पत्तनों में इन शाखाओं की संख्या कुल 2269 शाखाओं में से 167 है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि इन 167 में से बम्बई में सब से अधिक शाखाएं खुली होंगी।

Shri R. R. Sharma: Has he received complaints regarding non-availability of loans to farmers and Harijan from those nationalised Banks? If so, what steps have been taken in this regard?

Mr. Speaker: This question relates to opening of Branches.

Shri R. R. Sharma: This is related to the main question. When Branches are opened, the loans shall have to be given.

Mr. Speaker: Let the Branches be opened.

प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर : 1970 में हिमाचल प्रदेश में 19 शाखाएं खोली गई थीं और 1971 में 14 शाखाएं खोली गईं। अनेक अन्य स्थानों पर ये शाखाएं खोलने के प्रस्ताव लम्बित हैं। तो क्या इस वर्ष कमी पूरी करके प्रस्तावित स्थानों पर शाखाएं खोल दी जाएंगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सुझाव मात्र है। हम इस पर विचार करेंगे।

कृषि क्षेत्र में कराधान

*268. **श्री एस० एम० बानर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने चौथी योजना में 168 करोड़ रूपयों की कमी की पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में और प्रत्यक्ष कर लगाने का विभिन्न राज्यों को सुझाव दिया है।

(ख) यदि हां, तो उसपर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या केन्द्र ने इस सम्बन्ध में कोई निदेश दिये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस प्रकार का कोई पत्र राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं भेजा गया है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी, नहीं। फिर भी, राज्य सरकारों को समय-समय पर विकास की गति में तेजी लाने के लिए अधिकतम अतिरिक्त साधन जुटाने की सलाह दी गई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इस सम्बन्ध में राज समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : राज समिति की रिपोर्ट अभी हाल में ही प्राप्त हुई है और हम जहां इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं वहां हमें पहले राज्यों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है क्योंकि उन्हीं के सहयोग से इस क्षेत्र में काम होना है। अतः मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह रिपोर्ट भेज दी है और उन्हें इसका अध्ययन करके उस कार्यवाही के बारे में पूछा है जो वे करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान कर अपवंचन करके और काले धन से व्यापार-गृहों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये गये बडे-बड़े भवनों की ओर गया

है यदि हां, तो क्या इन भवनों के वास्तविक स्वामियों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो अन्तर के बारे में है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस अन्तर को कैसे दूर किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : इन भवनों को गिराकर अन्तर बढ़ाने से।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आप से किसी भी क्षेत्र में जैसे गुड़गाव आदि स्थानों पर जाने का अनुरोध करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसानों पर कर लगे। करों से बचने के लिए ये व्यापार-गृह गांवों में ये भवन बना रहे हैं। यह मनोरंजन का साधन बना रखा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को कोई उत्तर देना है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं।

श्री समर मुखर्जी : क्या राज समिति की सिफारिशों पर राज्यों से कोई प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे तो अभी तक केवल यही पता चला है कि उन्होंने इस रिपोर्ट की प्राप्ति की सूचना ही भेजी है।

केलों का निर्यात

*273. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केला विकास निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस समय प्रति वर्ष केलों का कितना निर्यात होता है और गत तीन वर्षों में केलों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केलों का निर्यात निम्न प्रकार से हुआ :–

मूल्य लाख रू० में

1969–70 .	37.29
1970–71 .	37.46
1971–72 .	17.17

विवरण

कृषि मंत्रालय इस निगम की स्थापना के सम्बंध में कार्यवाही कर रहा है, जिस के मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्य होंगे :–

1. पैकेज क्षेत्रों से केलों के विपणन (निर्यातों सहित) की व्यवस्था करना ;

2. दीर्घावधि आधार पर केलों की सप्लाई प्राप्त करने के लिए उपजकर्ताओं अथवा उपजकर्ता सहकारी समितियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना ;

3. वैज्ञानिक रोपण, परिवहन तथा फलों के लदान तथा उतारने के मामले में उत्पादकों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना ;

4. पैकिंग सदनों की स्थापना तथा आवश्यक अवस्थापना (सहायक सड़क, परिवहन, रोपवेज़ आदि) का निर्माण करना ;

5. उत्पादकों/उत्पादक संगठनों के लिए आवश्यक निविष्ट साधनों, वित्तीय सहायता तथा ऋण की व्यवस्था करना ;

6. पैकिंग के लिए गत्ते के डिब्बों के उचित प्रकार के विनिर्माण तथा प्रयोग का सुनिश्चित करना ;

7. निर्धारित समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करने तथा साथ ही कुल मिला कर समुद्री भाड़ा दरों में किफायत करने के विचार से दीर्घावधि आधार पर केला नौकाओं को किराये पर लेना ;

8. चुने हुए विदेशी क्रेताओं के साथ प्रतिबद्ध बिक्री करार करना ; तथा

9. प्रभावशाली संवर्धन तथा प्रचार करने के लिये उपाय करना।

श्री एम० कातमुत्तु : उत्तर से स्पष्ट है कि केलों का निर्यात विशेषकर 1971-72 में घटकर 17.17 लाख रुपये का रह गया है। अक्समात् हुई इस कमी के क्या कारण हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमारी निर्यात मंडियां मुख्यत: जापान, फारस की खाड़ी में स्थित देश और ईरान हैं। गत नवम्बर-दिसम्बर में खाड़ी के देशों और ईरान को माल पहुंचाने में विघ्न पड़ा था विशेषकर जापान को। फिलिपीन्स, जो इस क्षेत्र में हमारा मुख्य प्रतिद्वन्दी है, माल-भाड़े में अंतर के कारण सस्ते मूल्य पर माल दे सकता है।

इस समय यदि हमें उसका मुकाबला करना है तो हमें 50 प्रतिशत राजसहायता देनी पड़ेगी। प्रस्तावित केला विकास निगम बन जाने पर हम आन्तरिक व्यापार में इस कमी को पूरा कर लेंगे और जापानी मंडी पर यह निगम बन जाने पर अधिकार किया जा सकता है।

श्री एम० कातमुत्तु : इन तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : जैसाकि बताया जा चुका है 37.29 लाख, 37.46 लाख और 17.17 लाख रुपये।

Steps to effect Economy in Expenditure by Air India

*274. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** be pleased to state:

(a) whether Air India has taken any steps to effect economy in expenditure and if so, the nature of the steps taken ; and

(b) the extent to which the expenditure has been cut down during the last three years as a result of the economy measures?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इण्डिया ने व्यय में कमी करने के लिए कई उपाय किये हैं जिन में ये सम्मिलित हैं: यदि सर्वथा अनिवार्य ही न हो तो नई भर्त्ती पर कड़ी रोक; कुछ विमान सेवाओं में कटौती और कई 'आन-लाइन' कार्यालयों को बदल कर 'आफ़-लाइन' कार्यालयों का रूप देना; यात्रियों के लिए निःशुल्क भू-परिवहन व्यवस्था (फ्री ग्राउण्ड ट्रांसपोर्टेशन) की समाप्ति; और प्रशासनिक तथा प्रचार संबंधी खर्चों पर कड़ा नियंत्रण।

(ख) 1971-72 के दौरान इससे होने वाली बचत का अनुमान 192 लाख रुपये लगाया गया है।

Shri M. C. Daga: In 1Ac., the number of Directors has been raised from 9 to 15. Will this nor and to the burden of Administrative expenditure ?

Dr. Karan Singh: No Sir. No appreciable expenditure is incurred on Directors. They get something only when there is any meeting.

प्रो० मधुदण्डवते : क्या हाल ही में बम्बई में एयर इण्डिया का कार्यालय बदलकर नारीमान पायंट ले जाने से बचत हुई है या खर्चा बढ़ा है?

डा० कर्णसिंह: नारीमान प्वांट स्थित भवन एयर इण्डिया का अपना है। किराये के भवन से तो मेरे विचार से अपने भवन में जाने से बचत ही होगी।

Foreign Tours by Ministers of Central Government

275. Shri Hukam Chand Kachwai. Will the Minister of FINANCE **वित्त मंत्री** be pleased to state the total amount of money in Indian and foreign currency spent on the foreign visits of Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers of the Central Government during the last three years?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : केन्द्रीयसरकार के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों द्वारा विदेशों के दौरों में विदेशी मुद्रा में खर्च के सम्बन्ध में जो सूचना तत्काल उपलब्ध है, उसके अनुसार, वर्ष 1969-70 और 1970-71 में खर्च की रकमें इस प्रकार थीं :—

1969-70	2,89,314 रुपये
1970-71	4,21,899 रुपये

उक्त वर्षों में भारतीय मुद्रा में खर्च की गई रकम के बारे में और मंत्रियों, राज्य मंत्तियों तथा उप-मंत्रियों द्वारा वर्ष 1971-72 में किये गये विदेशों के दौरों में भारतीय और विदेशी मुद्रा में खर्च की गई रकम के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

Shri Hukam Chand Kachwai: It has been told in the statement that a sum of Rs. 2,89,314 in foreign exchange was spent during 1969-70 while an amount of Rs. 4,21,899 was spent during 1970-71. It means that the amount was doubled during the later year. May I know the reason for such big increase? I would like to know whether all the Ministers have decided to go on foreign tours.

श्री के० आर० गणेश : इसका स्पष्ट कारण यह है कि अधिक शिष्टमंडल और अधिक मंत्रीगण विदेशों के दौरों पर गये।

अध्यक्ष महोदय : वह बंगला देश वर्ष था।

Shri Hukam Chand Kachwai: As regards the amount spent to Indian currency on Ministers' visits, it has been told that the information is being collected. In this connection, I would like to know the difficulties being faced by Government in collecting the required information. What are the reasons on account of which the Minister, is not giving the figure?

श्री के० आर० गणेश : भारतीय मुद्रा से संबंधित आंकड़े विभिन्न मंत्रालयों से एकत्र करने होते हैं। ये आंकड़े वित्त मंत्रालय के पास नहीं होते। ये गृह मंत्रालय के बजट खाते में रखे जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि आप आंकड़े सभा पटल पर रख देंगे।

श्री के० आर० गणेश : जैसे ही आंकड़े उपलब्ध होंगे, वे सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

सरकार का मिलों से उचित दर की दुकानें खोलने के लिए कहना

†

276. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

श्री एम० कल्याणसुन्दरम :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रित (कंट्रोल) किस्म के कपड़े का खुदरा व्यापार करने के लिए सरकार ने किन-किन मिलों से उचित दर की दुकानें खोलने के लिए कहा है; और

(ख) गत दो महीनों में किन-किन स्थानों पर उचित दर की दुकानें खोली गई है?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) सभी मिश्रित मिलों से अपने आस पास के बाहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दस-दस खुदरा दुकानें खोलने के लिए कहा गया है। जिन मिलों के प्रबंध को सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अपने नियंत्रण में ले लिया गया है उनसे सीधे ही ऐसा करने के लिए कहा गया है। ऐसी मिलों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण (1) सभा-पटल पर रखा जाता है। (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3881/72) सरकार के अनुरोध पर इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन ने भी अपने अधीन सभी मिश्रित मिलों को इसी प्रकार की कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं।

(ख) जिन स्थानों पर सरकार के प्रबंध अधीन मिलों द्वारा खुदरा दुकानों खोली गई है उनके नाम दर्शाने वाला एक विवरण (ii) भी सभा पटल पर रखा जाता है। (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3881/72)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या इन दुकानों से लट्ठा और मोटा कपड़ा भी मिल सकेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : आम लोगों को जिस लट्ठे और मोटे कपड़े की जरूरत होती है, वह इन दूकानों पर उपलब्ध होगा। ये कपड़े न केवल कम्पोजिट मिलों द्वारा खोली गई दूकानों से मिलेंगे अपितु राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा खोली गई दुकानों से भी उपलब्ध होंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में कुछ कताई मिलों का नाम भी लिखा है। क्या उन मिलों से भी उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए कहा गया है जो हथकरधा बुनकरों को उचित मूल्य पर धागा दिया करेंगी।

श्री एल० एन० मिश्र : जी नहीं। धागे के लिए अलग से व्यवस्था है। ये मिल नाम से कताई मिल लगते हैं, वस्तुतः इनमें कपड़ा भी तैयार होता है। जिन मिलों में कपड़ा तैयार किया जाता है केवल उनसे ही दुकानें खोलने को कहा गया है। केवल धागा तैयार करने वाले मिलों से कपड़े की दुकानें खोलने के लिए नहीं कहा जा सकता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वक्तव्य में 10 ऐसी दुकानों का उल्लेख है जो धागे की बिक्री किया करेंगी।

श्री एल० एन० मिश्र : जैसा कि मैंने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था, धागे के वितरण की व्यवस्था अलग है। धागे का वितरण भी नियंत्रित है और उसका वितरण सहकारी संघों या राज्य सरकारों द्वारा की गई अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, Sir, a mill's function is to produce cloth. Then I do not understand the reasons why mills are being asked to open their departmental shops. Is it not a centralisation of powers? Can Government not ask mills to supply cloth at fair price so that more fair price shops could be opened?

Shri L. N. Mishra: Atalji, you have asked a very intelligent Question....

Shri Atal Bihari Vajpayee: Thank you for the certificate.

Shri L. N. Mishra: It appears as if it is in the interest of poor people, but it is not so in reality. The fact is that the prices charged at departmental shops are less than those charged at the shops opened by middlemen. Mills earn more profits and evade taxes by getting shops opened by middlemen. Moreover, it is easy for the Central Government or State Governments to exercise effective control on mills retail shops. On the otherhand, it is difficult to have other shops under effective control.

श्री वसन्त साठे : सम्पूर्ण देश में मिलों द्वारा कितनी दुकानें खोली गई हैं?

श्री एल० एन० मिश्र : सभी कम्पोजिट मिलों को दस-दस दुकानें खोलनी होगी। राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने, जो एक सरकारी उपक्रम है, 6 सप्ताह में 282 दुकानें खोली हैं। हमारा लक्ष्य तीन महीने के समय में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1500 दुकानें खोलने का है। हम कुछ चलती-फिरती दुकानें खोलने का भी प्रयास करेंगे जिनके द्वारा मोटा कपड़ा और बीच के दर्जे का कपड़ा बेचा जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात क्षेत्र में 1969 में कठिनाई से नीचे उतरने वाले एवरो विमान वी० टी० डी० एस० एन० को दिया गया ठीक स्थिति में होने का प्रमाण-पत्र

*265. **श्री पीलू मोदी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरो विमान वी० टी० डी० एक्स० एन०, जो गुजरात क्षेत्र के एक हवाई अड्डे पर 1965 में एक बार बड़ी कठिनाई से नीचे उतरा था, को तत्कालीन मुख्य परीक्षक, बम्बई ने ठीक स्थिति में होने का प्रमाणपत्र दे दिया था ;

(ख) क्या बाद में कानपुर स्थित 'एच० ए० एल०' कारखाने ने इस मामले की जांच की थी तथा विमान को दोषपूर्ण पाया था और उसकी मरम्मत की थी, और यदि हां, तो मरम्मत के व्यय का किसने भुगतान किया था ;

(ग) क्या उक्त घटना के परिणामस्वरूप डी० जी० सी० ए० ने तत्कालीन मुख्य परीक्षक की स्वीकृति को वापस ले लिया है ; और

(घ) इंडियन एयरलाइन्स ने उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) बम्बई से कांडला तक एक अनुसूचित सेवा का परिचालन करते समय 20 सितम्बर 1969 को एवरो विमान वी० टी० डी० एक्स० एन० ने कांडला पर एक झटके के साथ अवतरण किया। इसका एक विमान संधारण इंजीनियर ने व्यापक रूप से अवतरण निरीक्षण किया और उसे 'अंडर कैरिज' नीचे किये हुए बंबई के लिये फेरी-फूलाई करने की अनुमति दे दी। बम्बई में इसका निम्नलिखित मरम्मत का कार्य किया गया जिसको कि कांडला में इसका निरीक्षण करने वाले संधारण इंजीनियर ने सिफारिश की थी :–

(क) इस का बांयां फ्यूअल कलेक्टर टेंक बदल दिया गया ;

(ख) एक रिट्रेक्शन टेस्ट किया गया और चेतावनी प्रकाश सूचक की जांच की गयी और उसे सन्तोषजनक पाया गया ; और

(ग) लैंडिंग गियर के ऊपर बायीं ओर के नसेल की इमबोर्ड स्किन में एक छोटी सी दराड़ पाई गयी।

2. इस मरम्मत कार्य के पूरा हो जाने के बाद विमान ने 23 सितम्बर 1969 को हैदराबाद के लिये एक अनुसूचित यात्रीसेवा परिचालित की। हैदराबाद पहुंचने पर विमान को एक विस्तृत संरचनात्मक निरीक्षण के लिये भूमिस्थ किया गया। यह निरीक्षण हिन्दुस्थान एयरोनाटिक्स लि०, कानपुर के विशेषज्ञों के एक दल के साथ मिल कर किया गया और यह निर्णय किया गया कि विमान को और आगे जांच और मरम्मत के लिये फेरी कर के कानपुर ले जाया गए। कानपुर में निरीक्षण के उपरान्त विमान में बड़ा व्यापक मरम्मत कार्य किया गया।

3. इस मामले की एक पूरी जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि बम्बई का प्रमुख निरीक्षण अधिकारी विमान को बम्बई से हैदराबाद की अनुसूचित सेवा परिचालित करने की अनुमति प्रदान करने के लिये उत्तरदायी था तथा कांडला के विमान संधारण इंजीनियर ने विमान के झटके से उतरने के बाद पूर्णतया गहन निरीक्षण नहीं किया था। तदनुसार नागर विमानन के महानिदेशक ने प्रमुख निरीक्षण अधिकारी, बम्बई की मान्यता समाप्त कर दी और इण्डियन एयरलाइन्स ने उसे क्वालिटी कंट्रोल कार्यों से वर्जित कर दिया। उसकी डिप्टी चीफ इंजीनियर के रूप से पुष्टि भी 7-1/2 महीने के लिये रोक दी गयी। नागर विमानन के महानिदेशक ने कांडला के विमानन संधारण इंजीनियर का लाइसेंस निलम्बित कर दिया और इण्डियन एयरलाइन्स ने उस की ऊंचे ग्रेड पर, जिसके लिये वह अनुमोदित किया जा चुका था, पदोन्नति रोक दी।

बालयोगेश्वर के सामान में से निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

*266. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क अधिकारियों ने बालयोगेश्वर का कुछ सामान पकड़ा है जिसमें विदेशी चलार्थ (करंसी), घड़ियां तथा अन्य वस्तुएं हैं और यदि हां, तो उनका संक्षेप में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) श्री प्रेम पाल सिंह, उर्फ बाल योगेश्वर के सचिव श्री बिहारी सिंह द्वारा पालम हवाई अड्डे पर 7-11-1972 को सीमाशुल्क संबंधी जांच के लिए दिये गये ब्रीफ केस से निम्नलिखित वस्तुएं पकड़ी गई जिनकी घोषणा नहीं की गई थी। उक्त ब्रीफ-केस बाल-योगेश्वर के असबाब के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था :-

(1) जवाहिरात जिनका मूल्य लगभग 43 हजार रूपये हैं।	भारतीय बाजार दरपर
(2) 24 घड़ियां जिनका मूल्य लगभग 18 हजार रूपये हैं।	भारतीय बाजार दरपर
(3) अमेरिकी डालरों, पाऊंड स्टर्लिंग, स्विस फ्रेंक, आस्ट्रेलिया के डालर तथा जापान के येन में विदेशी मुद्रा।	लगभग 1,96 हजार रू०
(4) अमेरिकी डालरों में यात्री चैक	लगभग 46 हजार रू०

(ख) तथा (ग) आगे जांच-पड़ताल जारी है।

भारतीयों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा बेचने की अवधि में कमी

*269. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री वी० माधाबन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने भारत में विदेशी मुद्रा बेचने की अवधि कम कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित नई अवधि कितनी है और यह निर्णय लेने के क्या कारण हैं।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). पर्यटन आदि से होने वाली विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने की दृष्टि से कई उपाय किये गये हैं और उनमें से एक के अनुसार यह जरूरी है कि निवासियों द्वारा प्राप्त की गयी या लायी गयी सारी विदेशी मुद्रा 7 दिनों की अवधि में अभ्यार्पित कर दी जाय।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा उत्पादन शुल्क और बिक्री कर का अपवंचन

*270. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्क और बिक्री कर बचाने के उद्देश्य से कुछ बड़े औद्योगिक गृहों ने देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं खोल रखी हैं और अपने उत्पादन को उपभोक्ताओं अथवा दुकानदारों को बेचने के बजाय वे उसे अपनी शाखाओं को ही वास्तविक मूल्य से बहुत कम मूल्य पर बेच रहे हैं, और इस प्रकार वे बड़े पैमाने पर करों को बचाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कुछ औद्योगिक गृहों ने, सामान्य व्यापार प्रयोजनों के लिए देश के विभिन्न भागों में शाखाएं खोल रखी हैं। एक औद्योगिक गृह के एक कारखाने द्वारा, प्रश्न में उल्लिखित ढंग से कर का अपवंचन करने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुयी है। शिकायत की अभी जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के बारे में कर लगने योग्य सही मूल्य का निर्धारण करने के लिए व्यापक व्यवस्था है। जहां तक बिक्री कर का सम्बन्ध है, तृतीय पक्ष को की गई वास्तविक बिक्रियों को अपनी शाखाओं को माल के अन्तरण की आड़ में केन्द्रीय बिक्री कर के अपवंचन को रोकने के लिए, संसद ने हाल ही में एक विधेयक पास किया है।

नेपाल तथा बंगला देश को पारगमन सुविधाएं

*271. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल तथा बंगला देश को इन दोनों देशों के मध्य व्यापार के लिए पारगमन सुविधायें प्रदान करने के बारे में कोई करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा ये दोनों देश किन-किन मार्गों का उपयोग करेंगे ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) . नेपाल को बंगला देश सहित किसी भी देश के साथ व्यापार करने की सुविधाएं कलकत्ता के मार्ग से उपलब्ध है।

2. नेपाल तथा बंगला देश के बीच स्थल मार्ग से होकर व्यापार की सुविधाएं देने के लिए भी भारत के अपनी रजामंदी व्यक्त की है। ब्यौरों पर चर्चा चल रही है।

लद्दाख को पर्यटक-यातायात के लिए खोलना

*272. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार के पर्यटन तथा लद्दाख सम्बन्धी मामलों के मंत्री ने, पर्यटन विकास परिषद् के माध्यम से हाल ही में केन्द्र सरकार से लद्दाख को पर्यटन यातायात के लिए खोलने का अनुरोध किया था ताकि अपने देश के पर्यटन तथा बौद्ध धर्म को मानने वाले विदेशी पर्यटन इस देश के इस दूरस्थ क्षेत्र की कला कृतियों को देख सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मामले पर सामान्य तथा विचार विमर्श किया गया है।

(ख) सुझाव विचाराधीन है।

Value of goods imported by S. T. C. during the last three years

***277. Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) the value of goods imported by the State Trading Corporation from foreign countries during the last three years;

(b) the main items of imports; and

(c) the percentage of expenditure incurred on the import of the articles?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) The value of goods imported by the S. T. C. in the last three years was as follows:—

	Rs. Crores
1969—70	150.18
1970—71	141.90
1971—72	171.80

(b) The main items imported by the S. T. C. were :

(i) Drugs and Pharmaceuticals
(ii) Chemicals
(iii) Oils and fats
(iv) Industrial Products
(v) Industrial raw materials

(c) The percentage of total expenditure (overheads and other expenses) incurred by the S.T.C. to sales in the last three years was as follows:—

1969—70	2.1 per cent
1970—71	2.7 per cent
1971—72	2.4 per cent

देश की राजधानी से सभी राज्यों का सम्पर्क स्थापित करने के लिए देश में नये हवाई अड्डे स्थापित करने का प्रस्ताव

*278. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या देश की राजधानी का सभी राज्यों से विमान द्वारा सम्पर्क स्थापित करने के लिए देश में नये हवाई अड्डे स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पांचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए किन-किन स्थानों के नाम सरकार के विचाराधीन हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) मेघालय के अतिरिक्त अन्य सभी 20 राज्यों का दिल्ली के साथ सीधा अथवा परोक्ष वैमानिक सम्पर्क विद्यमान है। बारापानी (शिलांग) में निर्माणाधीन विमानक्षेत्र के बन कर तैयार हो जाने पर मेघालय का भी दिल्ली से वैमानिक सम्पर्क स्थापित कर दिया जायेगा।

रुपये का ब्रिटेन के पौंड स्टर्लिंग से संबंध समाप्त करना (डीलंकिंग)

*279. **श्री एच० एन० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुपये का ब्रिटेन के पौण्ड स्टर्लिंग से सम्बन्ध समाप्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध को समाप्त करने से भारत की विदेशी मुद्रा की स्थिति में किस सीमा तक सुधार होगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) रुपया किसी विशिष्ट मुद्रा से जुड़ा हुआ नहीं है। भारतीय रुपये की केन्द्रीय दर सुविधा की दृष्टि से ब्रिटिश पौण्ड स्टर्लिंग के रूप में व्यक्त की जाती है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित ही नहीं होते।

Request from Delhi Administration for concessional Entry Tickets to economically backward classes in Asian Trade Fair

***280. Shri Hari Singh:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Administration has requested his Ministry that students, Harijans, farmers and persons belonging to economically backward classes may be given concessional entry tickets for the Asian Trade Fair;

(b) if so, the extent to which concession has been given; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) to (c). Asia '72 is giving concessional entry tickets at 50% to groups of 25 or more children/students/farmers/workers/Harijans, and persons belonging to economically backward classes etc. on the basis of certificates from the sponsoring organisations. Request for the same had also been received from the Delhi Administration.

Exports and Imports through State Trading Corporation

2592. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) the commodities imported by the State Trading Corporation during the last two years on which more than 15 per cent profit was earned;

(b) the percentage of increase in exports during the said period; and

(c) how the percentage of imports compared with that of exports during the said period?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George): (a) The S. T. C. earned more than 15 per cent trading profit during 1970-71 and 1971-72 on the following items:—

1970—71

(i) Some Agricultural Commodities
(ii) Chemicals
(iii) Engineering goods (Electric hoists)
(iv) General Industrial Products (Corkwood)
(v) Art Silk Yarn

1971—72

(i) Some Agricultural Commodities
(ii) Chemicals, Drugs & Pharmaceuticals
(iii) Industrial Products

(b) & (c) :

	Year	Total value Rs. (crores)	Percentage increase over the previous year
Exports	1970—71	70·6	+28%
	1971—72	78·6	+11%
Imports	1970—71	141·9	—5.5%
	1971—72	171·8	+21·1 %

भारत में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से ऋण

2593. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न भागों में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये ऋण हेतु विश्व बैंक से कोई बात-चीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) उक्त ऋण का उपयोग किन जिलों अथवा परियोजनाओं के लिये किया जायेगा।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारत सरकार ने गुजरात, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, मैसूर और महाराष्ट्र की कृषि-ऋण-परियोजनाओं के लिए, विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 2170 लाख डालर के ऋण प्राप्त किए हैं। इन ऋणों का काफी बड़ा भाग, अलग-अलग किसानों द्वारा लघु सिंचाई में निवेश किए जाने के लिए है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण प्राप्त करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली सहायता की रकम अभी तय की जानी है।

विदेशों में भारतीय प्लास्टिक वस्तुओं की लोकप्रियता

2594. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्लास्टिक वस्तुएं विदेशों में भी लोकप्रिय होती जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में वहां से औसतन कितनी विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जिन देशों की प्लास्टिक वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, उनके नाम ये हैं : सूडान, ब्रिटेन, यूगोस्लाविया, सोवियत संघ, तंजानिया, सं० रा० अमरीका, ईरान, संयुक्त अरब गणराज्य, कीनिया तथा श्रीलंका।

विगत तीन वर्षों के दौरान औसत रूप से प्रति वर्ष 432.44 लाख रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

मिडियम किस्म के कपड़े का उत्पादन

2595. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपड़ा मिलों को इस बात के लिए विवश करने का है कि वे अपने कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत कपड़ा मीडियम किस्म का बनाएं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) फिलहाल ऐसी कोइ प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों का मूल्यांकन

2596. **श्री नरेन्द्र कुमार सालवे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कृषकों तथा लधु उद्योग को बैंकिंग व्यवस्था द्वारा दिये गये ऋणों का मूल्यांकन करने के बारे में 17 अगस्त, 1972 के 'इक्नामिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें निर्दिष्ट असंतुलनों को ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) निर्दिष्ट असन्तुलन के एतिहासिक कारण हैं और वे आधारमूत ढ़ाँचे में क्षेत्रीय अन्तर और विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। वे पहले से चली आ रही एक परम्परा हैं। राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकिंग सुविधाएं समाज के कमजोर वर्गों को मुश्किल से उपलब्ध थीं। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की ऋण देने की नीतियों और प्रक्रियाओं में काफी परिवर्तन हुआ है। बैंकों ने अब परम्परागत प्रतिभूति वाले रास्ते को छोड़ कर आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण, ऋण के प्रयोजन पर अधिक जोर देने, परियोजना की आर्थिक सक्षमता और तकनीकी सम्भाव्यता के रास्ते को अपनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों और बैंक रहित केन्द्रों में अधिक शाखाएं खोलने और युक्तियुक्त बनाने तथा विशेष रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रक्रियाएं सरल बनाने से असन्तुलन में सुधार लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी समस्या की विशालता को देखते हुए असमानता में कमी करने और असन्तुलनों को सुधारने के कार्य में काफी समय लगेगा इससे पहले कि बैंकिंग उद्योग के नये दृष्टिकोण के प्रभाव को पूरी तरह अनुभव किया जाय।

भारतीय काजू निगम की सलाहकार परिषद का पुनर्गठन

2597. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारतीय काजू निगम को 16 सदस्यों वाली सलाहकार परिषद सलाह देती है और जिस के सभी सदस्य गैर-सरकारी उत्पादक हैं ;

(ख) सदस्यों के नाम और उनके पते क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार परिषद को इस प्रकार से पुनर्गठित करने का है कि उसमें काजू श्रमिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 14 सदस्यों की एक स्थायी सलाहकार समिति है जिसमें राज्य स्वामित्व वाले केरल राज्य काजू विकास निगम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य है। सदस्य काजू निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा नामित किये जाते हैं।

सदस्यों के नाम तथा पते निम्नांकत हैं :

1. एन० रामन पिल्ले, अध्यक्ष, केरल राज्य काजू विकास निगम, क्विलोन।
2. डी० बालसुब्रह्मण्यम, पियर्स लैस्लाई इंडिया लि०, कालीकट।
3. आर० फर्नेन्डीज, मंगलौर।
4. पी० गंगाधरन पिल्ले, क्विलोन।
5. के० जर्नाधनन पिल्ले, क्विलोन।
6. एम० आर० कामत, क्विलोन।
7. के० करुणाकरन, क्विलोन।
8. एस० एच० मुसालियर, क्विलोन।
9. सुजीर गणेश नायक, क्विलोन।
10. एन० सुन्दरेश्वरन, क्विलोन।
11. जी० शंकरन नायर, क्विलोन।
12. के० गोपिनाथन नायर, क्विलोन।
13. के० पी० जोहन, इरीनागलाकुडा, क्विलोन।
14. सी० आई० लुकास, कोटरकरा, क्विलोन।

(ग) तथा (घ) यह भारतीय काजू निगम की स्थायी सलाहकार समिति है जिसके सवस्य काजू निर्यात संवर्धन परिषद् नामित करती है। इस समिति के पुनर्गठन के किसी प्रस्ताव की सरकार को जानकारी नहीं है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम से ऋण

2598. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपनी भविष्य निधि में से जीवन बीमा के वार्षिक/अर्धवार्षिक प्रीमियम की अदायगी कर रहे हैं हालांकि इसकी अनुमति देने वाले आदेश अब रद्द किये जा चुके हैं।

(ख) क्या जीवन बीमा निगम को सीधे ही अपने प्रीमियम की अदायगी करने वाले पालीसी धारी भविष्य निधि से इस उद्देश्य के लिये ऋण ले सकते हैं जबकि दूसरों को भविष्य निधि के माध्यम से उक्त अदायगी करने की अनुमति नहीं दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जीवन बीमा पालिसियों का भुगतान सामान्य भविष्य निधि से करने की सुविधा को 17 दिसम्बर 1960 से अर्थात् सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 के प्रकाशन की तारीख से समाप्त कर दिया गया था। परन्तु जो कर्मचारी 17 दिसम्बर 1960 से पूर्व अपनी पालिसियों का भुगतान सामान्य भविष्य निधि से कर रहे थे, उनको उन पालिसियों के लिए जिनका भुगतान पहले से ही भविष्य निधि से हो रहा था, इस सुविधा का लाभ चालू रखा गया है। उपर्युक्त तारीख अर्थात् 17 दिसम्बर 1960 के बाद किसी नयी पालिसी की किस्त के भूगतान के लिए सामान्य भविष्य निधि से रुपये निकालने की अनुमति नहीं है।

अवशिष्ट रुई का निर्यात

2599. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवशिष्ट रुई का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस उत्पादन का मूल्य बहुत कम होने के कारण 1963 में 2.35 लाख गांठों से घटकर 1971 में 13,000 गांठें रह गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कपास की भारी फसल होने की सम्भावना को दृष्टि से क्या सरकार का विचार अवशिष्ट रुई पर निर्यात शुल्क में कमी करने का है जिससे इसका निर्यात प्रतियोगी मूल्य पर किया जा सके ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1963 में सूत बैस्ट की 2,35,000 गांठों के निर्यात की तुलना में 1971 वर्ष के दौरान इसकी 19,000 गांठों निर्यात की गई थीं। यह जरूरी नहीं है कि इस गिरावट का कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्राप्त कीमत ही हो। भारत से निर्यातित सूत बैस्ट का प्रयोग विदेशों में कताई के प्रयोजनों के लिए नहीं होता बल्कि कागज, शल्यचिकित्सा के लिये रुई का उत्पादन करने और गद्दी तथा गद्दों के भरने में उपयोग किया जाता है। आयात करने वाले कुछ देशों में इस प्रयोजन के लिये सूत बैस्ट का स्थान कुछ अन्य वस्तुओं ने ले लिया है। सूत बैस्ट की देश में भी खपत बढ़ गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस साल रुई की भरपूर फसल होगी या नहीं। सूत बैस्ट का निर्यातों पर निर्यात शुल्क घटाने की अभी कोई प्रस्थावना नहीं है।

आद्योगिक वित्त निगम की निर्यात प्रधान कपड़ा मिलों का वित्तीय सहायता देने की योजना

2600. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम ने निर्यात प्रधान कपड़ा मिलों के लिए एक उदार वित्तीय सहायता योजना आरम्भ की है, यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत इन कपड़ा मिलों को सहायता के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यातोन्मुख सूती वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु सरकार ने एक योजना बनाई है। इस योजना की मुख्य बात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, औधागिक वित्त निगम से प्रारम्भ में कुल 5 करोड़ रुपये तक के ऋण देने के लिये प्रबन्ध करने का अनुरोध किया गया है। फिर भी, यदि ड्राफ्ट निगम के साधनों से अधिक राशि के लिये हो और उसके लिए धन के विशेष आबंटन के रूप में सरकार की सहायता की आवश्यकता हो, तब वह मामला सरकार के विचारार्थ भेजा जा सकता है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अभी कोई ऋण नहीं दिया गया है।

विवरण

निर्यात अभिमुख सूती वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें :

1. इस योजना के अन्तर्गत केवल वही सूती वस्त्र एकक होंगे जिन्होंने गत दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के दौरान अपने उत्पादन का 15 प्रतिशत से अधिक भाग का निर्यात किया हो, ये एकक चाहे मिश्रित किस्म की, बुनाई की अथवा कताई की मिल हों ;

2. औद्योगिक वित्त निगम, सूती वस्त्र उद्योग के निर्यात अभिमुख एककों से आधुनिकीकरण हेतु ऋण के लिये प्राप्त होने वाले सभी आवेदनपत्रों को निपटायेगा ;

3. औद्योगिक वित्त निगम आवेदनकर्ता एककों की आर्थिक तथा तकनीकी क्षमता का निर्धारण करने और साथ ही ऋणों की सुरक्षा के लिये अपनी सामान्य कसौटी अपनाएगा ;

4. ऋणों के चुकाने की अवधि 15 वर्ष होंगी जिसमें 3 वर्ष की ऋण स्थगत अवधि भी शामिल होंगी। 15 वर्ष की यह अवधि समुचित मामलों में प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर 18 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ऋण स्थगत अवधि समाप्त हो जाने के बाद ऋण चुकाया जाएगा। हां, ब्याज की अदायगी ऋण स्थगत अवधि के बिना छमाही की जायेगी ;

5. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के निर्यात अभिमुख एककों को दिये जाने वाले ऋणों का मार्जिन 25 प्रतिशत होगा ;

6. केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक वित्त निगम को निगम द्वारा अलग अलग मिलों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में होने वाली हानि के 80 प्रतिशत भाग के लिये गारंटियां देगी ;

7. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ब्याज की रियायती दर अर्थात् सामान्य दर से 1 प्रतिशत कम उन एककों से ली जाएगी जिनके कार्य परिणामों से गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनमें लगी पूंजी के 12 प्रतिशत से कम लाभ हुआ है और जिनके सम्बन्ध में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वित किये जाने के बाद 4 अथवा 5 वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यचालन प्रायोजनाओं से भी उतने ही लाभ हुए हैं। तथापि, जब कि एक विशेष एकक का लाभ गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उसके पूंजीगत परिव्यय से बढ़ जाता है और जब इस कारण ऐसे सम्बन्धित एकक शुरू से ही 1 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपदान के लिये पात्र नहीं होंगे तो ऐसे एककों को योजना के अन्तर्गत अनुमत अन्य रियायतों जैसे कि ऋणों पर मार्जिन की घटी दर, हानियों के लिए सरकारी गारंटी आदि के दिये जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि एक बार एक मिल को 1 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर का लाभ देने के लिये स्वीकार कर लिया जाता है तो बाद में यदि उसका लाभ 12 प्रतिशत से अधिक होता है तो उसे यह रियायत देने के लिये मना नहीं किया जाएगा। तथापि, जिन एककों के लाभ का स्तर 12 प्रतिशत से अधिक का है, उन्हें अपने निर्यातों में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अनेक कार्यचालन पर निगरानी रखी जानी चाहिए।

8. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ब्याज की रियायती दर के लिये पात्र मिल से आशय की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी कि वह ऋणों की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने उपदान के 15 प्रतिशत अथवा उससे अधिक भाग का निर्यात करती रहेगी और यह कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में इस शर्त को पूरा करने में वह मिल असफल रहती है तो वह आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज की रियायती दर के लिये पात्र नहीं होगी। तथापि, यदि कमी को आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाता है तो अगले वर्षों के लिये उपदान देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार को सम्बन्धित एकक से निर्यात दायित्व की कमी के बराबर सूत और/अथवा कपड़े को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निर्यात कीमत पर अपने अधिकार में लेने और उसे किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से निर्यात करने का अधिकार होगा ;

9. जिन मिलों को औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पहले ऋण दिये गये थे उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान के निर्यात निष्पादन के बारे में वस्त्र आयुक्त द्वारा एक प्रमाणपत्र हर वर्ष 30 जून तक औद्योगिक वित्त निगम को दिया जाएगा ताकि औद्योगिक वित्त निगम यह निर्धारित कर सके कि किन मामलों में रियायती दर की सुविधा नहीं दी जानी है ;

10. केन्द्रीय सरकार ब्याज की रियायती दर के लिये उपदान देगी ;

11. आवेदनपत्र वस्त्र आयुक्त द्वारा समय समय पर आमंत्रित किये जाएंगे जो कि औद्योगिक वित्त निगम द्वारा निर्धारित संगत प्रपत्रों में होंगे और ये आवेदनपत्र ऐसे और

दस्तावेज तथा जानकारी के साथ, जो कि आवेदनपत्र मांगने के नोटिस में अथवा वस्त्र आयुक्त द्वारा, अथवा औद्योगिक वित्त निगम द्वारा निर्धारित किये जाएं, वस्त्र आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत किये जाएंगे ;

12. इन आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही वस्त्र आयुक्त द्वारा आवेदनकर्ता मिलों के निर्यात निष्पादन के क्रम में की जाएगी और ऋणों के देने के सम्बन्ध में और यदि अनुमत हो तो व्याज की रियायती दर के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों के साथ उन्हें औद्योगिक वित्त निगम को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

ऊन का आयात

2601. **श्री डी० पी० जदेजा:**

श्री वेकारिया :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी कपड़े बनाए जाने के काम आने वाली ऊन का आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसका किन-किन देशों से आयात किया जाता है ; और

(ग) प्रत्येक मिल ने गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी-कितनी ऊन का आयात किया है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टीना, जर्मन संघीय गणराज्य, कनाडा, नेपाल, फ्रांस, नीदरलेंड्स, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, न्यूजीलैण्ड, स्वीडन, इटली, बेल्जियम, स्विटजरलैण्ड, सोवियत संघ, पोलैण्ड, जापान तथा उरूग्वे।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में कृषकों को दिये गये ऋण

2602. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में कृषकों को कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ; और

(ख) उक्त श्रेणी के कितने आवेदनपत्र अभी विचाराधीन हैं तथा उन पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सूचना सम्भव सीमा तक एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

ऊनी कपड़े का निर्यात

2603. **श्री वेकारिया :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन ऊनी कपड़ा मिलों के नाम तथा उनकी संख्या कितनी है जो ऊनी कपड़े का निर्यात कर रही हैं ;

(ख) इसका किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार, मिलवार तथा देशवार कितने कपड़े का निर्यात किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल तर रख दी जाएगी।

विवरण

(क) 1. रेमंड वूलेन मिल्स ;

2. मोडेला वूलेन मिल्स ;

3. श्री दिनेश मिल्स ;

4. बम्बई वूलेन मिल्स ;

5. श्री दिग्विजय वूलेन मिल्स ;

6. सुप्रीम वूलेन मिल्स ;

7. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर ;

8. बम्बई फाइन वसर्टेड मैन्यूफैक्चर्स ;

9. राधा सिल्क मिल्स ; बम्बई ;

10. ओरियेन्टल कार्पेट मैन्यूफैक्चर्स प्रा० लि०, अमृतसर ;

11. धारीवाल वूलेन मिल्स ;

12. खुशीराम द्वारकानाथ मिल्स लि०, बम्बई ;

13. विन्नी टैक्सटाइल्स लि०।

(ख) चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, हंगगढ़, बुल्गारिया, कनाडा, डेनमार्क, इथोपिया, दुबाई, बहरीन, हांगकांग, केनिया, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण यमन गणराज्य, सं० रा० अमरीका, जम्बिया, स्वीडन, ब्रिटेन, सूडान, मलावी, न्यूजीलैण्ड, कुवैत तथा नार्वे।

Circulation of Currency Notes

2604. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of currency notes of each denomination in circulation in the country as on the 1st December, 1972.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : As notes are issued by the various Issue Officers of the Reserve Bank of India for circulation, it takes some time to compile the figures of notes in circulation. The latest figures available, as on 1st October, 1972, are as follows:-

Denominations	Pieces
Re. 1/-	233,63,40,473
Rs. 2/-	31,26,37,353
Rs. 5/-	63,95,08,789
Rs. 10/-	169,72,88,495
Rs. 20/- (Old)	229
Rs. 20/- (New)	2,65,34,599
Rs. 100/-	23,23,42,332
Rs. 1000/-	3,59,885
Rs. 5000/-	39,852
Rs. 10000/-	16,683

Shortage of Buses and Residential Accommodation for Tourists Visiting Khajuraho, Udaigiri and 'Bagh Ki Gugas' in Madhyra Pradesh

2605. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether there has been shortage of buses and residential accommodation for tourist visiting Khajuraho, Udaigiri and 'Bagh Ki Gugas' (Tiger caves) during summer season for several years; and

(b) the action being taken by the Department of Tourism in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) Anticipating a substantial increase in tourist traffic to Khajuraho in the near future the India Tourism Development Corporation has extended the existing travellers lodge by adding 40 rooms. The State Government also proposes to put up additional accommodation at Khajuraho.

Invest of More Capital by L.I.C. in Madhya Pradesh

2606. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Life Insurance Corporation is taking steps to invest more capital in Madhya Pradesh to remove disparity in development;

(b) if so, the main features thereof and the criteria to be adopted by the Life Insurance Corporation at the time of investing capital in Madhya Pradesh; and

(c) whether there is any proposal concerning investment in Hoshangabad and East Nimar Districts and if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b). Keeping in view the interests of the community as a whole the LIC spreads its investments throughout the country. In making investments in a State it takes into account the investment opportunities available in the State as well as the business underwritten and premium income collected in that State. There has been a progressive increase in fresh investment made in Madhya Pradesh in recent years.

(c) Four Municipal Committees in the Hoshangabad District have applied for loans amounting to Rs. 15.33 lakhs for water supply and sewerage schemes. The applications are under consideration.

Opening of Branches of Nationalised Banks in Rural Areas

2607. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of branches of nationalised banks opened in rural areas of Madhya Pradesh so far;

(b) the amount of loans advanced by the nationalised banks in Madhya Pradesh for agricultural purposes during the last six months;

(c) whether the loan facilities provided by the banks to farmers in Madhya Pradesh are much less as compared to other states; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) The nationalised banks have opened 126 branches in rural areas of Madhya Pradesh from the date of nationalisation to 30th September, 1972.

(b) The latest available figure of the amount outstanding in respect of direct agricultural advances provided by the nationalised banks in Madhya Pradesh as at the end of March, 1972 was Rs. 417.33 Lakhs as against Rs. 371.55 lakhs in September, 1971 indicating an increase of Rs. 45.78 lakhs within six months.

(c) & (d). Admittedly, Madhya Pradesh was and continues to remain one of the States where advances to farmers are comparatively low. This has been on account of the legacy of the past and several socio-economic factors, poor infrastructure responsible for overall backwardness of the State and lack of adequate number of rural branches in the State. The banks are, however, endeavouring to improve the performance.

Loans advanced by Branches of Nationalised Banks and S. B. I. in Madhya Pradesh

2608. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of loan advanced by the various Branches of the nationalised banks and the State Bank of India for Industrial and agricultural purposes since 1969, Districtwise?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi): District-wise information as asked for by the Hon'ble Member, is not available. However, Statewise outstanding amount of advances of public sector banks for agricultural and Small scale Industrial Sectors as at the end of June, 69 and June, 72 are given in the enclosed statement, [*Placed in Library, See* L. T. 3882/72]

पश्चिम बंगाल की मिलों की ओर से कपडा पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को समाप्त करने का आवेदन-पत्र

2609. **श्री के० सूर्य नारायण** :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी कुछ कपड़ा मिलों ने कपड़ा पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को समाप्त करने के लिये आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिये जाने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). एक मिल अर्थात् मेसर्स हावड़ा काटन टेक्सटाइल मिल्स लि०, कलकत्ता ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने पंजीकरण के प्रतिसंहरण के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

(ग) यह मामला लाइसेंसिंग कमेटी को भेज दिया गया है और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के प्रतिसंहरण के बारे में उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अधीन फर्मों के विरुद्ध जांच

2611. **श्री के० सूर्य नारायण :**

क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के समक्ष, एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 10(क)(iii) के अन्तर्गत दायर किये गये आवेदन-पत्रों के बारे में 11 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त उत्तर के साथ सभा पटल पर रखे गये विवरण में वर्णित प्रत्येक मामले में आयोग ने क्या निष्कर्ष निकाले, और

(ख) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार अनुबन्ध द्वारा निर्देशित विषयों में से, आयोग को पांच विषयों में अपने निष्कर्ष अभी प्रदान करने हैं। काडबरी फ्राई (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र के मामले में, कम्पनी ने निर्बन्धनकारी प्रकृति के खंडों को हटाकार वितरकों के साथ नवीन अनुबन्ध किये हैं। इस तथ्य तथा आयोग के समक्ष कम्पनी के इस प्रस्तुतीकरण, कि इसे, इसके उत्पादों के लिये इसके वितरकों द्वारा अधिकतम अभिस्तावित मूल्यों की बजाय, न्यूनतर मूल्य लेने से, कोई आपत्ति नहीं होगी, आयोग ने एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई आदेश न करने का निर्णय करते हुये, इस आवेदन-पत्र का, अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में, निपटान कर दिया।

आसाम में पटसन निगम के कार्यकरण में असंगतियां

2612. **श्री रोबिन ककौटी :**

क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम क्षेत्रीय मुख्यालय में पटसन निगम के कार्यकरण में, विशेषकर इसकी विभिन्न सेवाओं में वास्तविक स्थानीय युवकों की नियुक्ति के मामले में, विभिन्न असंगतियों के बारे में उन्हें एक प्रतिनिधि मंडल और एक ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में वर्काला स्थान को पांचवी योजना में एक पर्यटनस्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव

2613. **श्री वयलार रवि :**

क्या **पर्यटन और नगर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में वर्काला स्थान की प्राकृतिक सुन्दरता तथा एक पर्यटक-केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की संभावना के बारे में मालूम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवी योजना में उसका विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

पर्यटन और नगर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार को वर्काला के प्राकृतिक सौन्दर्य की जानकारी है। परन्तु वर्काला का केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन की दृष्टि से विकास करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उद्योगों में डिजाइनों की तकनीकी जानकारी की आवश्यकता

2614. **श्री रण बहादुर सिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा किए गए एक अध्ययन से सरकारी उद्यमों में डिजाइन बनाने की क्षमता में अन्तर और निर्माण के कुछ चरणों में डिजाइनों के दस्तावेज तैयार करने के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी पर निरन्तर निर्भरता की ओर विशेष ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम कार्यालय ने, भारी इंजीनियरी, मशीनी औजार और जहाज निर्माण के क्षेत्र में चुने हुए सरकारी उद्यमों में डिज़ाइन संगठनों के ढांचे और कार्य का अध्ययन किया था। अध्ययन से पता चला कि उद्यमों ने आयातित डिजाइनों और प्रौद्योगिकीय जानकारी का इस्तेमाल कई उत्पादों के लिए किया था और देश की स्थितियों के अनुसार सफलतापूर्वक उनका अनुरूपण/परिष्करण किया था आयातित मदों के लिए आसानी से उपलब्ध देशी सामग्री का पर्याप्त रूप से आर्थिक प्रतिस्थापन किया गया जिससे काफी अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

अध्ययन से उद्यमों के कार्य-क्षेत्रों का भी पता चला। यह देखा गया कि आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयोजनार्थ उत्पादन को स्थानीय आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था। डिजाइन संगठनों ने अपने क्रियाकलाप में अत्यधिक विद्यमान नव-परिवर्तन होने के कारण, व्यावहारिक अनुसंधान और विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। अधिकांश डिजाइन-क्षमता "खपत योग्य" ढंग की थी, "नवपरिवर्तन" योग्य ढंग की नहीं थी। उत्पादन की लागत को कम करने और प्रौद्योगिकीय प्रगति को समाविष्ट करने के लिए उत्पादों के डिजाइनों में सुधार करने और उनका विकास करने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया गया। कुछ मामलों में, उद्यम इस योग्य नहीं थे कि वे डिजाइन तैयार करने वालों को रोक सकें अथवा प्रेरित कर सकें जिससे कि कुछ अनुभवी व्यक्ति तैयार किये जा सकें। कारखानों, डिजाइन संगठन और अन्य अनुसंधान संस्थाओं के स्तर पर उत्पादन और डिजाइन के मध्य अधिक निकट सम्पर्क स्थापित किया जाना है। डिजाइन संगठन को कंपनी की व्यापारिक आयोजनाओं पर आधारित भावी आयोजनाओं के अनुसार कार्य करना था। विदेशी सहयोग करार करने में इस बात का सुनिश्चयन किये जाने के लिए डिजाइनों और तकनीकी जानकारी का देश को स्थानांतरण हो, सावधानी बरती जानी चाहिए। इन निष्कर्षों से सभी सम्बद्ध उद्यमों को अवगत करा दिया गया है।

श्रीलंका से भारतीय चलचित्र खरीदने की मांग

2615. **श्री अरविन्द नेताम :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को श्रीलंका से भारतीय चलचित्र खरीदने के लिये कोई मांग प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं, परन्तु श्रीलंका फिल्म कार्पोरेशन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भारत से श्रीलंका को फिल्मों के निर्यात सम्बन्धी प्रक्रियाओं से अपने आप को अवगत कराने के प्रयोजनार्थ सितम्बर-अक्तूबर, 1972 में भारत का दौरा किया था।

तेजपूर स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क विभाग द्वारा जालसाजी के मामले की जांच

2616. **श्री कमला प्रसाद :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अगस्त, 1972, के **महाजाति** नामक स्थानीय (तेजपुर) समाचार पत्रिका में तेजपुर स्थित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क विभाग द्वारा 18 लाख रुपये की जालसाजी का पता लगाये जाने संबंधी मामले के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस मामले में इस बीच जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त राशि को वरामद करने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). यद्यपि सरकार ने उक्त समाचार नहीं देखा है जिसके बारे में बताया गया है कि वह तेजपुर की एक स्थानीय पत्रिका में छपा था, तथापि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय, शिलांग को ऐसे कुछ मामलों का पता चला है जिनमें कुछ चाय कारखानों द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों को भेजे गए ऐसे चालान हैं जिनमें स्टेट बैंक आफ इंडिया, तेजपुर में चाय के उत्पादन शुल्क की अदायगी दिखाई गई है और जो जाली मालूम पड़ते थे। मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच-पड़ताल जारी है।

(ग) लगभग 18½ लाख रुपये के अंतर्ग्रस्त शुल्क में से, 3,08,600 रु० चाय कारखानों से वसूल किये गये हैं तथा बकाया रकम के लिए मांग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शुल्क की वसूली होने तक संबंधित कारखानों के संयंत्र, मशीनरी तथा स्टाक में जमा चाय आदि को रोक रखने का आदेश दिया गया है। किन्तु, गौहाटी उच्च न्यायालय ने चाय के स्टाक तथा उत्पादित की जाने वाली चाय को रोक रखने के संबंध में जारी किये गए आदेश को स्थगित कर दिया है।

उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को रियायत देना

2617. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री अरविन्द नेताम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिये उनको रियायत देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त उद्योगों को क्या रियायत दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). आयात नीति में, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के रूप में उस प्रकार वर्गीकृत उद्योगों को कच्चे माल, मशीनी हिस्सों आदि के आयात के विषय में कुछ सुविधाएं दी जाती हैं और इन प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यम ये सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं।

इसके अलावा सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की क्षमता के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए, सीमित अवधि के लिए सीमित मूल्य अधिमान्यता सहित, जो अन्य सरकारी अधिकरणों द्वारा उनसे की जाने वाली खरीद के संबंध में दी जाएगी, कुछ रियायतें दी हैं और कुछ मामलों में ऋण की देनदारियों का भार कम करने के लिए उपयुक्त राहत प्रदान की है।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों की क्षमता का उपयोग

2618. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कारखानों की प्रगति में बाधा होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि उन की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) क्षमता के कम उपयोग के कारण सरकारी क्षेत्र के बहुत से कारखाने में कम उत्पादन हुआ है और उस के परिणामस्वरूप उनके कार्यचालन में वित्तीय कुपरिणाम हुए हैं। कुछ एक मामलों में जहां पर सरकारी क्षेत्र के कारखानों सरकारी क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं को कच्चे माल, संयंत्र और मशीनों के मुख्य पूर्तिकर्ता हैं, सुपुर्दगियों में विलम्ब के कारण उन परियोजनाओं का क्रियान्वयन कार्य पिछड़ गया है। इस प्रकार के क्षमता के कम उपयोग के मुख्य कारण दुर्लभ कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों और फालतू, पूर्जों की कमी, विवादग्रस्त श्रमिक परिस्थितियाँ, अधिक आधुनिक संयंत्रों के संचालन के लिए उत्पादन कुशलता, अनुरक्षण, रूपांकन और औजारीकरण आदि में तकनीकी सहायता के संबंध में लगने वाला समय, अनुरक्षण, अपर्याप्तताओं आदि के कारण उच्च उपकरणों को बन्द रखने के समय है। बहुत से मामलों में उपयुक्त माँग का न होना भी कम उत्पादन का कारण है।

अपनी क्षमता के उपयोग में सुधार करने के संबंध में उद्यमों को होने वाली समस्याओं पर लगातार नजर रखी जाती है।

क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों में बढ़िया उत्पादन आयोजन और नियंत्रण तकनीक, जहां पर आवश्यक है दुर्लभ कच्चे माल और मशीनों के हिस्सों का आयात, बढ़िया अनुरक्षण, उत्पादन प्रोत्साहन योजनाएं और श्रमिक उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, औद्योगिक संबंधों में सुधार करने के लिए उठाये गये कदम आदि शामिल हैं। जहाँ माँग ही मूल कारण है वहाँ निर्यात प्रोत्साहन उपाय और विविधिकरण कार्यक्रम भी शुरू किये गये हैं।

'Son et Lumiere' in Kashmir

2619. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether scenes of romance between the Emperor Jahangir and Nurjahan are being shown in Kashmir through 'Son et Lumiere' spectacle;

(b) the total expenditure incurred by Government on the production of the aforesaid programme; and

(c) the daily income from and expenditure on the said programme at present?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) The 'Son et Lumiere' spectacle unfolds the history of the Shalimar gardens, including Emperor Jahangir and Nurjahan.

(b) & (c). The total expenditure is expected to be approximately Rs. 27 lakhs. The average daily income from the spectacle is approximately Rs. 834/.

संयुक्त उपक्रमों की स्थापना हेतु विदेशों मे निर्यात की गई तकनीकी जानकारी मशीनरी तथा सलाहकार सवाओं का मूल्य

2620. **श्री सी० चित्तिबाबू :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिये अब तक निर्यात की गई तकनीकी जानकारी मशीनरी तथा सलाहकार सेवाओं का मूल्य कितना है तथा उनका स्वरूप क्या है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : वर्षवार जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार, विदेशों में स्थापित किये जाने हेतु संयुक्त उद्यमों में इक्विटी पूंजी में भारतीय हिस्से के अंशदान के रूप में अभी तक निर्यात की गई मशीनों, तकनीकी जानकारी तथा परामर्शी सेवाओं के कुल मूल्य 614 लाख रु० है।

जो मशीनें, तकनीकी जानकारी तथा परामर्शी सेवाएं निर्यात की गई हैं वे भारतीय औद्योगिक संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु अपेक्षित प्रकार की हैं, उदाहरणार्थ वस्त्र मिलें, कागज़ मिलें, इस्पात-रीरोलिंग मिलें, चीनी मिलें, सीमेंट संयंत्र, तेल-प्रभाजक संयंत्र, भेषजीय एकक, साबुन, वनस्पति, ग्लीसरीन, विनिर्माणक एकक, साईकिल तथा स्कूटर चेन एकक, मोटरगाड़ी रेडिएटर एकक, होटल आदि।

फिल्म आयात निगम

2621. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का फिल्म आयात निगम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम की क्या आवश्यकता है और क्या यह निगम वर्तमान फिल्म निर्यात निगम के अतिरिक्त होगा?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) फिल्म व्यापार निगम स्थापित करने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

(ख) अब चूंकि रूपक चित्रों के आयात तथा निर्यात दोनों का मार्गीकरण हो गया है, अत: इस कार्य को करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक अभिकरण की आवश्यकता है। वर्तमान कम्पनी अर्थात् इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन को मार्गीकरण एजेंसी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में नहीं है। इस लिये, एक नई कम्पनी जो पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में हो, स्थापित करनी पड़ेगी।

भारत में विदेशी पूंजी निवेश

2622. **श्री बनमाली पटनायक :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी पूंजी निवेश का विस्तार करने की सम्भावना उज्जवल नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी पहलू क्या है ; और

(ग) देश में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). चूंकि नयी विदेशी पूंजी लगाने के संबंध में चयनात्मक आधार पर अनुमति देने की सरकारी नीति में अभी हाल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में विदेशी पूंजी लगाये जाने की संभावना धूमिल हो गयी है। किन्तु, यदि माननीय सदस्य, इस प्रकार के निवेशों के संबंध में "विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक, 1972" की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं तो इस संबंध में कोई राय जाहिर करना समयपूर्व होगा।

भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक सहयोग के लिये करार

2623. **श्री डी० डी० देसाई :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सम्बन्धित "दस" के साझा बाजार के सम्बन्ध में नई नीति बनाने के लिये पश्चिम यूरोप में अपने देश के राजनयिक एवं वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को सहयोग देने के लिये कहा है ;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ कोई वाणिज्यिक सहयोग सम्बन्धी करार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो निर्यातों की सुरक्षित रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मंत्री (विदेश व्यापार) ने पश्चिम यूरोप से सम्बन्धित हमारी व्यापार समस्याओं पर बातचीत करने के लिये, सितम्बर 1972 में लंदन में विभिन्न पश्चिम यूरोप के देशों में कार्य कर रहे हमारे राजदूतों तथा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की एक बैठक की थी।

(ख) तथा (ग). वाणिज्यिक सहयोग करार की प्रस्थापना के बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय सक्रिय रुप से बातचीत की जा रही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के सन्दर्भ में भारत के व्यापार हित की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय, दोनों के साथ भी बातचीत चल रही है।

भारत स्थित अमरीकी सहायता मिशन में भारतीय कर्मचारियों की संख्या कम करना

2624. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित अमरीकी सहायता मिशन में भारतीय कर्मचारियों की संख्या 700 से घटाकर 157 की जाने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार इस बात पर सहमत हो गयी है कि भारत में अब अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के बहुत अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के कर्मचारियों की छंटनी हो रही है और भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के भारतीय कर्मचारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अनुमान है कि अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के भारतीय कर्मचारियों की संख्या जो 30 जून, 1972 को 784 थी, घट कर 30 जून 1972 तक 175 रह जायगी। यद्यपि सरकार रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए सदैव उत्सुक रहती है और वह इस मामले में भी सहायता करेगी तथापि सरकार यह महसूस करती है कि यह उसकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है कि वह अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के छंटनी किये गये भारतीय कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करे।

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

2625. **श्री एच० एम० पटेल :**

श्री डी० के० पंडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में और वृद्धि करने की मांग की गई; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : तीसरे वेतन आयोग की अन्तरिम सिफारिशों के अनुसार सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हाल ही में 1 अगस्त 1972 से मंजूर की गई अन्तरिम राहत की अन्तिम किस्त में श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 238 पर, बारह महीनों की औसत में 10 अंकों की वृद्धि को हिसाब में ले लिया गया है। अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर करने का, इस स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर नगर में चामुण्डी पहाडियों के समीप नेहरू लोक स्थापित करने की योजना

2626. **श्री एस० एस० सिद्दय्या** :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मैसूर नगर में चामुण्डी पहाड़ियों के समीप 'नेहरू लोक' स्थापित करने की योजना संबंधी मैसूर सरकार की सिफारिश पर विचार कर लिया है तथा उसको अनुमोदित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) . चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए 'नेहरू लोक' योजना मैसूर सरकार से 1966 में प्राप्त हुई थी, किन्तु योजना गत अन्य प्राथमिकताओं के कारण इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जा सका।

Foreign Exchange earned from Joint Ventures abroad during the last two years

2627. Shri M. S. Purty: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the amount of foreign exchange earned by India from joint ventures abroad during the last two years?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : Information is not available year-wise. According to information received, foreign exchange earnings so far by all our joint ventures abroad have been of the order of Rs. 114.130 lakhs by way of dividends technical know-how fees, managerial fees, royalty payments and Rs. 682.71 lakhs through additional exports towards joint venture projects.

Annual increase in Foreign Exchange earnings due to payment of Hotel Bills in Foreign Exchange

2628. Shri M. S. Purty :
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the estimate of annual increase in the foreign exchange earnings as a result of arrangements made by Government for payment of hotel bills by foreign tourists in foreign exchange?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : It is too early to make an ssessment, but it is anticipated that foreign exchange earnings will increase substantially.

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

2629. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

कुमारी कमला कुमारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 की तीसरी तिमाही में भी थोक मूल्य सूचकांकों में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो 1971 की इसी अवधि की तुलना में यह सूचकांक कितने अधिक हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) थोक मूल्यों के सूचकांक (1961-62=100) में इस प्रकार वृद्धि हुई है :—

जून 1972	—	197.9
जुलाई 1972	—	202.5
अगस्त 1972	—	207.5
सितम्बर 1972	—	207.8

(ख) जुलाई सितम्बर 1972 की तिमाही के थोक मूल्यों का औसत सूचकांक, 1971 की इसी अवधि की तिमाही की तुलना में 8.0 प्रतिशत अधिक है।

Change in Policy regarding Indo-Japan Economic Cooperation

2630. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether the policy of Japan for extending financial assistance and collaboration to India has undergone any change as a result of his last visit to Japan and if so, the nature thereof?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : No Sir. During my visit to Japan, there was only a broad discussion and exchange of views on political and economic relations between the two countries.

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा डालरों की खरीद

2631. **श्री राम प्रकाश :**

डा० रानेन सेन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने खुले बाजार में डालरों को खरीदने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ। 9 अक्टूबर 1972 से भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के उन अनुसूचित बैंकों से, जो विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिये प्राधिकृत हैं, स्थान पर हाजिर और छः मास तक की वायदा सुपुर्दगी के लिए अमरीकी डालर खरीदना शुरू कर दिया है।

(ख) यह खरीद इसलिए की जाती है ताकि उन भारतीय निर्यातकों को, जिनके माल के बीजक डालरों में होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को दिये जाने के लिए इन डालरों को लन्दन में स्टर्लिंग में बदलने के लिए अतिरिक्त व्यय न करना पड़े। इस प्रकार इन निर्यातकों को उनके डालरों की आय के उचित मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। इस खरीद से देश को उस कमीशन और दलाली को बचाने में भी मदद मिलेगी जो भारतीय रिजर्व बैंक को दिये जाने के लिए डालरों को स्टर्लिंग में बदलने के लिए लन्दन के बाजार में अन्यथा अदा करनी पड़ती।

प्राथमिकता की सामान्य योजना से विकासशील देशों को लाभ के बारे में ब्रिटेन के मुख्य विपणन वार्ताकार का वक्तव्य

2632. **श्री राम प्रकाश** :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 सितम्बर, 1972 के "फिनानसियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार क्या ब्रिटेन के मुख्य विपणन वार्ताकार श्री जाफरी रिप्पन ने विशिष्ट रूप से कहा है कि यूरोपीय श्रमिक समुदाय के विस्तार के बाद भारत सहित विकासशील देशों को यह आशा नहीं करनी चाहिये कि प्राथमिकता की सामान्य योजना उनकी व्यापार सम्बन्धी सभी समस्याओं के लिये राम-वाण सिद्ध हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत सरकार इस बात पर जोर देती रही है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विस्तार के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले हमारे अनेक समुत्थानों को अधिमानों की सामान्यीकृत योजना से लाभ नहीं पहुंचेगा। जान पड़ता है कि ब्रिटेन सरकार का भी ऐसा ही विचार है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के बारे में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा व्यक्त विचार

2633. **श्री राज राजसिंह देव** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1972 के इण्डियन एक्सप्रेस में 'करुणानिधि असेल्स नेशनलाइज्ड बैंक्स' (करुणानिधि द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की आलोचना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) सरकार ने समाचारपत्रों में छपे कुछ समाचार देखें हैं जिनमें यह कहा गया है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने 12 जुलाई, 1972 को पुडुकोट्टाई में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य की आलोचना की है।

(ख) 27 अगस्त 1972 को मद्रास में हुई दक्षिण क्षेत्र की प्रादेशिक परामर्शदात्री समिति की बैठक में जिन विषयों पर विचार किया गया था उन में तमिलनाडु स्थित बैंकों की समस्याएं भी शामिल थी। तमिलनाडु सरकार की ओर से कुछ मंत्रियों ने इस विचार-विमर्श में भाग लिया जिसमें उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिये। उक्त बैठक में विचारों का उपयोगी आदान प्रदान हुआ जिनसे दक्षिणी क्षेत्र में बैंकों के कार्य में सुधार करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यचालन पर निरंतर निगाह रखी जाती है ताकि राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बकों द्वारा दी जा रही सेवाओं में उत्तरोत्तर सुधार करने का सुनिश्चयन हो सके।

तमिलनाडु के फिल्मी सितारों द्वारा स्वेच्छा से आय घोषणा योजना के अन्तर्गत की गई घोषणा

2634. **श्री सी० चित्तिबाबू :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामिलनाडु के सिनेमा अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों द्वारा मार्च, 1965 से भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई स्वेच्छा से आय घोषणा योजनाओं के अन्तर्गत की गई घोषणाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) स्वेच्छापूर्वक की गई आय घोषणाओं के लिए उनमें से प्रत्येक को क्या प्रोत्साहन तथा रियायतें दी गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) . तामिलनाडु आयकर परिमण्डलों में जिन सिनेमा अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों का कर-निर्धारण किया जाता है उनके द्वारा की गई आय की घोषणा के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

आंध्र प्रदेश समुद्र तट पर तूफान की पूर्व सूचना देने वाले एक अन्य रडार की स्थापना

2635. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश समुद्र तट पर तूफान की पूर्व सूचना देने वाले एक अन्य रडार की स्थापना का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कहां ;

(ख) उनकी अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) इसकी कब तक स्थापना की जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ। राडार को मसूलीपटनम् पर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) राडार उपकरण की अनुमानित लागत 22 लाख रुपये हैं।

(ग) राडार 1974–75 के दौरान प्रतिस्थापित कर दिये जाने की आशा है।

एयर इण्डिया द्वारा नई दिल्ली में अशोक रोड पर भवन का निर्माण

2636. **श्री सूरज पण्डेय** :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने नई दिल्ली में जनपथ होटल के पीछे अशोक रोड पर अपने भवन के निर्माण के लिए नक्शा तैयार कर लिया है ;

(ख) क्या "बाल विकास" द्वारा कब्जा किया गया स्थान खाली कर दिया गया है ; और

(ग) क्या उक्त स्थान खाली करने के लिये कोई राशि मांगी गई थी तथा अदा की गई थी, और यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई थी और कितनी अदा की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा स्काईट्राम तथा स्काई बस सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव

2637. **श्री इसहाक सम्भली** :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लंदन तथा न्यूयार्क आदि के बीच स्काई ट्राम तथा स्काई बस सेवा चल रही है तथा उसमें मामूली किराया लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा भारत में ऐसी सेवाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक ब्रिटिश और दूसरी अमरीकी दो सम्पूरक (सप्लिमेंटल) विमान कम्पनियों ने सरकारों से उपयुक्त अनुमोदन प्राप्त हो जाने की अवस्था में अप्रैल, 1973, से लन्दन से न्यूयार्क के लिये विशेष न्यून एक-तरफे किराये आरम्भ करने के अपने आशय की घोषणा की है। दोनों विमान कम्पनियों के प्रार्थना-पत्रों को यू० एस० सिविल एयरोनाटिक्स बोर्ड का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दा

2638. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक चीनी मिल ने अपने कमाये हुए लाभ में से देश के प्रत्येक राजनैतिक दल को कितनी-कितनी धनराशि दान स्वरूप दी है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वस्तु ऋण पर नियंत्रण में ढील

2639. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को दिये गए वस्तु ऋण पर हाल में अपने नियन्त्रण में ढील दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऋण सुविधाओं में उदारता बरते जाने से किन प्रमुख वस्तुओं को लाभ मिलेगा ;

(ग) क्या इससे विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होंगी; और

(घ) यदि हाँ, तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ). पूर्ति और मूल्य स्थिति तथा फसल की सम्भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, अपने केन्द्रीय बैंक के एक कार्य के रूप में कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में उन्हें समय-समय पर निदेश जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियंत्रणों को सरल बनाने तथा उन्हें अधिक प्रभावकारी बनाने की दृष्टि से अपने वर्तमान निदेशो में 15 नवम्बर, को कुछ संशोधन जारी किये। इन संशोधनों के अनुसार वर्तमान नियंत्रणों में कोई ढील नहीं दी गयी है।

यूगोस्लाविया माल डिब्बा ठेका

2640. **श्री एम० कातमुत्तु :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूगोस्लाविया माल डिब्बा ठेके में कोई कठिनाई आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम कुछ बैंककारी आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने में असफल रहा है; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : संबंधित पक्षकारों के पारस्परिक समाधान के अनुरूप संविदा दायित्वों को पूरा करने में विलम्ब होने के कारण तीन माल डिब्बा निर्माता युगोस्लाविया में माल डिब्बों की असेम्बली के लिए प्रबन्ध पूरे नहीं कर सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) पौत लदान की अवधि के बारे में पुनः कार्यक्रम बनाने तथा अन्य सम्बद्ध मामलों को हल करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

एच० एस०–748 (एवरो) विमान के कार्य निष्पादन से सम्बन्धित तकनीकी समिति का प्रतिवेदन

2641. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एस०–748 (एवरो) विमान के कार्य निष्पादन से सम्बन्धित तकनीकी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का यह मत है कि एवरो विमान इण्डियन एयर-लाइन्स की परिचालन, आर्थिक अथवा यात्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है ; और

(ग) एच० एस०–748 में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, जिससे इण्डियन एयरलाइन्स और भारतीय वायुसेना में इसका उपयोग किया जा सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। रिपोर्ट की प्रति-लिपियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स महसूस करती है कि इस विमान का, तथा इसी तरह एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में कुछ अन्य प्रकार के विमानों को परिचालन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है।

(ग) एच० एस०–748 विमान के कार्य-निष्पादन की, उसके वितरण करने से पूर्व पूर्ण रूप से जांच की जाती है तथा वितरण के समय इसके कार्य-निष्पादन का इण्डियन एयरलाइन्स तथा भारतीय वायु सेना को प्रदर्शन भी किया जाता है।

केन्या में कागज मिल की स्थापना

2642. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत केन्या में एक कागज मिल की स्थापना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना पूर्णतया भारतीय होगी अथवा इसमें केन्या का हिस्सा होगा ; और

(ग) इस संयंत्र में भारत का क्या अंश होगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : कागज तथा लुग्दी बनाने के लिए केन्या में एक औद्योगिक संयुक्त उद्यम में भाग लेने के लिए,

भारत सरकार द्वारा ओरियंट पेपर मिल्स लि० को अनुमति दी गई है। यह परियोजना भारत के ओरियंट पेपर मिल्स लि० तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सहयोग से केन्या की सरकार द्वारा प्रायोजित की गई है। संयुक्त उद्यम कम्पनी की कुल इक्विटी अंश पूंजी 639 लाख रु० है जिसमें से 225 लाख रु० के शेयर भारतीय पार्टी के हैं।

सूती कपड़े के निर्यात को नियंत्रण में लेना

2643. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मिल में बने कपड़े के निर्यात को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). सरकारी क्षेत्र के एक निगम की स्थापना का विनिश्चय किया गया है जो शुरू में कुछ महत्व-पूर्ण स्थानों को सूती वस्त्रों के निर्यातों की व्यवस्था करेगा तथा जहां लाभदायक पाया जायेगा, वहां बल्क सौदे भी करेगा। निगम की स्थापना-हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

Imported Cars with Ministers and Government Offices

2644. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether there are more than 250 imported cars with the Ministers and Government Offices and about Rs. 1.12 lakh including Rs. 30,000 in foreign exchange were spent last year on their maintenance; and

(b) the number of such cars and the amount of expenditure on their maintenance three years ago?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b). The information is not readily available. It is being collected from the different Ministries/Departments and will be laid on the Table of the House. According to the information collected some time back, however, the number of imported cars with the Ministries (including those in use by Ministers) as in July 1971 was 38.

Artificial Rain Tests in Poona and Madras by Indian Institute of Tropical Meteorology

2645. **Shri M. S. Purty:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether any programme for carrying out artificial rain tests in Poona and Madras have been chalked out by the Indian Institute of Tropical Meteorology; and

(b) if so, the success achieved in the tests?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) . Yes, Sir. Preliminary arrangements for conducting the experiments are being made and the experiments are expected to commence from the next monsoon season. The aim of these experiments is to assess the feasibility of increasing rainfall in the Poona and Madras regions by cloud seeding.

Employees participation in the Profits of Public Sector undertakings including Nationalised Banks

2646. **Dr. Govind Das Richhariya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government are considering the question of giving a share to the employees in the profit of public sector undertakings including nationalised banks; and

(b) if so, the time by which necessary announcement will be made in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). Presumably, the Hon'ble Member is referring to the Bonus/*ex-gratia* payment received by employees of the public enterprises and the nationalised banks. In respect of the Central Government public enterprises, a minimum bonus of 8⅓% of salary is payable under the payment of Bonus Act 1965, as amended by the Payment of Bonus Ordinance 1972, irrespective of any allocable surplus. Where the allocable surplus exceeds the amount of minimum bonus, the enterprises are required to pay bonus commensurate with the employees' share of the allocable surplus subject to a maximum of 20% of the annual salary. Some public sector enterprises are, in fact, paying bonus at rates higher than the minimum required under the Act and Ordinance. Public Enterprises, which do not come under the Payment of Bonus Act/Payment of Bonus Ordinance, are also making *ex-gratia* payment at the rates prescribed in these statutes. In respect of the nationalised banks, the quantum of bonus is determined as a result of collective bargaining between the Union and the Management.

दुग्ध उत्पादों का निर्यात

2647. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश दुग्ध उत्पादों का निर्यात करने की स्थिति में है ; और

(ख) क्या दुग्ध उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय चालू मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इन वस्तुओं के निर्यात के लिए सरकार पर्याप्त निर्यात प्रोत्साहन दे रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) नीचे दिये गए उत्पादों के निर्यात के लिए, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई दरों पर, आयात प्रतिपूर्ति दी जाती है ;

(1) शिशु आहार, कोको रहित माल्टीकृत दुग्ध आहार।		20 प्रतिशत
(2) मक्खन तथा घी	—	10 प्रतिशत
(3) पनीर	—	20 प्रतिशत
(4) संघनित दूध	—	20 प्रतिशत
(5) आइसक्रीम तथा आइसक्रीम-चूर्ण	—	10 प्रतिशत

इस्पात कारखानों के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए नियंत्रक कम्पनियां

2648. **श्री श्रीकृष्ण मोदी** :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के लिए नियंत्रक (होल्डिंग) कम्पनियां स्थापित करने का है जैसा कि इस्पात संयंत्रों के लिए नियंत्रक कम्पनी स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के संगठनात्मक तथा प्रबन्ध ढांचे की लगातार समीक्षा की जाती है, ताकि उनकी प्रबन्ध तथा निगम सम्बन्धी प्रभावोत्पादकता में सुधार किया जा सके। सरकार ने यह फैसला नहीं किया है कि एक ही नमूने का ढांचा सभी सरकारी उद्यमों में प्रयोग में लाया जाएगा ; जो ढांचा उद्यम विशेष के लिए अधिकतम उपयुक्त होगा वही उस उद्यम के प्रयोग में लाया जाएगा।

सरकार हिन्दुस्तान स्टील और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लिए नियंत्रक कम्पनियां बनाने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, कुछ अन्य उद्यमों के संबंध में भी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

बिना तराशे हुए हीरों का आयात

2649. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ देशों से बिना तराशे हुए हीरों का आयात कर रही है ;

(ख) गत तीन वर्षों में सरकार ने कितने मूल्य के हीरों का आयात किया है ;

(ग) क्या हीरा व्यापारी एसोसियेशन ने सरकार को बिना तराशे हुए हीरों के आयात की नीति के विरुद्ध इस आधार पर अभ्यावेदन दिया है कि यह पक्षपातपूर्ण है ; और

(घ) यदि हां, तो अभ्यावेदन का सार क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के माध्यम से। अब इस कार्य को खनिज तथा धातु व्यापार निगम को अन्तरित कर दिया गया है जोकि भविष्य में बिना तराशे हुए हीरों का आयात किया करेगा।

(ख) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा आयातित हीरों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य (लाख रु०)
1970–71	86.74
1971–72	114.48
1972–73†	139.95

(†15 नवम्बर, 1972 तक)

(ग) तथा (घ). जी हां। एसोसियेशन ने अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत बिना तराशे हुए हीरों के आयात हेतु जारी किये गये अग्रिम लाइसेंसों और रजिस्ट्रीकृत निर्यातक नीति के अन्तर्गत जारी किये गये प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के बीच पक्षपात का आरोप लगाया है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

बैलाडीला से जापान को निर्यात किया गया लौह अयस्क

2650. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बैलाडीला खानों से कितना लौह अयस्क निकाला गया तथा जापान को निर्यात किया गया ;

(ख) उसके निर्यात से भारत ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ;

(ग) बैलाडीला खानों से जापान को कितने वर्षों तक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता रहेगा ; और

(घ) क्या जापान ने उसे निर्यात किये गये सम्पूर्ण लौह अयस्क का इस्पात नहीं बनाया है तथा वह भविष्य के लिए भण्डार बना रहा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

(मात्रा लाख मे० टनों में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	कीमत (करोड़ रु०)
1969–70	26.3	29.2	20.7
1970–71	31.7	32.9	23.8
1971–72	37.5	36.5	25.7

निर्यातों को सुकर बानने हेतु लौह अयस्क के स्टाक लदान पत्तनों पर रखे जाते हैं। इन स्टाकों की लगातार नये उत्पादन से प्रतिपूर्ति की जाती है। अतः प्रत्येक वर्ष में किये गये वास्तविक निर्यातों के आंकड़े उत्पादित मात्रा से मेल नहीं खाते।

(ग) बैलाडीला लौह अयस्क की सप्लाई के बारे में जापान के साथ की गई वर्तमान संविदा अप्रैल, 1980 में समाप्त होगी।

(घ) जहां तक सरकार को जानकारी है, जापान द्वारा खरीदा जाने वाला बैलाडीला लौह अयस्क पूर्णत : इस्पात में परिवर्तित किया जाता है।

कम्पनियों के लाभ और लाभांशों पर नियंत्रण

2651. **श्री राम भगत पास्वान:** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में कम्पनियों के लाभ तथा लाभांशों पर नियंत्रण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेडडी) : (क) अभी तो नहीं, श्रीमान्

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

इस्पात के अन्तर्राष्ट्रीय और देशीय मूल्य में अन्तर की प्रतिपूर्ति

2653. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात प्रधान औद्योगिक एककों ने इस्पात के अन्तर्राष्ट्रीय और देशीय मूल्यों में अन्तर की प्रतिपूर्ति का दावा किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इन दावों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।
(ख) तथा (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

रूस तथा अरब देशों से इलाइची की मांग

2654. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा अरब देशों से पूर्व बुकिंग के आधार पर कुर्ग की इलाइची की मांग है ;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा प्रति वर्ष इलाइची का कितना निर्यात किया जाता है ; और

(ग) देश में इस वस्तु की आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) . अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलगन है।

विवरण

भारत की इलायची के कुल निर्यात में कुर्ग की इलायची का अंश केवल 4.5 प्रतिशत है। सोवियत संघ को निर्यात सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक व्यापार योजना के उप-

बंधों के अधीन किये जाते है। अरब देशों को इलायची के निर्यात पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाये गए है। तथापि, सरकार को इस प्रकार को कोई जानकारी नहीं है कि अग्रिम बुकिंग के आधार पर सोवियत संघ तथा अरब देशों से कुर्ग को इलायची की मांग है।

1970–71 और 1971–72 के दौरान सोवियत संघ तथा अरब देशों को निर्यात की गई इलायची की मात्रा नीचे दी जाती है :—

देश	निर्यात की गई मात्रा (मे० टन)	
	1970–71	1971–72
सोवियत संघ	99 जिसमें 7 मे० टन कुर्ग की इलायची शामिल है।	98 जिसमें 3 मे० टन कुर्ग की हरी इलायची शामिल है।
अरब देश	1313 जिसमें 41 मे० टन कुर्ग की हरी इलायची शामिल है।	1690 मे० टन जिसमें 79 मे० टन कुर्ग की हरी इलायची शामिल है।

इलायची की घरेलू खपत 1000 मे० टन वार्षिक होने का अनुमान है। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि उपभोक्ता इस वस्तु की कमी महसूस कर रहे है। इस वस्तु का विपणन इलायची अधिनियम 1965 के अंतर्गत बनाये गये इलायची (लाइसेंसिंग तथा निबन्धन) नियम 1968 के अधीन किया जाता है।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा एवरो विमान चलाने के कारण हुई हानि के मुआवजे के लिए राज सहायता देने का अनुरोध किया जाना

2655. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने अपने विमानों में एवरों एच० एस–748 विमान के चलाने से निरन्तर होने वाली हानि के मुआवजे के लिए केन्द्रीय सरकार से राज सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अनुरोध की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यद्यपि ऐसा कोई आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि सरकार कई अलाभप्रद मार्गों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती आ रही है जिनमें वे मार्ग भी सम्मिलित हैं जिनका एवरो विमानों द्वारा परिचालन किया जा रहा है। सरकार इस विमानों की खरीद के लिए भी कुछ उपदान प्रदान करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ली जाने वाली विदेशी व्यापार की वस्तुएं

2656. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने चालू वर्ष में किन-किन वस्तुओं का विदेश व्यापार अपने हाथ में ले लिया है ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा निकट भविष्य में किन-किन वस्तुओं का विदेश व्यापार अपने हाथ में लेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार की यह नीति है कि देश के आयात तथा निर्यात व्यापार में राज्य अभिकरणों के भाग को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए। सरकार मार्गीकरण के लिए विभिन्न वस्तुओं की उपयुक्तता के बारे में, उनका अध्ययन करती रही है और राज्य अभिकरणों के माध्यम से जितना विदेश व्यापार मार्गीकृत करना संभव पाया जाएगा उतना मार्गीकृत किया जाएगा।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निम्नोक्त मदें मार्गीकृत की गई :—

आयात

1. ए० बी० एस० मोल्डिंग पाउडर
2. डाइमेथिलएमाइन
3. मोनोमेथिलएमाइन
4. मेथिल मेथासिनलेट, मोनोमर
5. ओर्थोओग्ज़ाइलेन
6. पैराग्ज़ाइलेन
7. पोलिविनियल क्लोराइड रेजिन तथा पाउडर्स
8. पी० वी० सी० कम्पोजिशन जिसमें माउल्डिंग पाउडर भी शामिल है।
9. पोलिथिलीन मोल्डिंग पाउडर (निम्न घनत्व)
10. ड्राइमेथाइलएमाइन
11. एमाइल तथा आइसोएमाइल अल्कोहल
12. एलूमीनियम फ्लूयूराइड
13. कास्टिक सोडा

14. कच्चा बोरट खनिज

15. कैल्शियम कार्बाइड

16. डाइनिट्रो क्लोरो-बैंजीन

17. मैथाइल इथाइल केटोन

18. फासफोरस (रेड)

19. सोडियम साइनिड

20. क्लोरोक्यिून

21. वाइफोकल व्लैकों को छोड़ कर रफ ब्लैक

22. सल्फाग्वानिडाइन

23. टेटनस एन्टी टोक्सिन

24. रूपक फिल्में

निर्यात

1. जूते सभी प्रकार के।

2. रूपक फिल्में।

कपड़ा निर्यात निगम की स्थापना

2657. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मिलों में निर्मित कपडे का निर्यात अपने नियंत्रण में लेने के लिए कपड़ा निर्यात निगम स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) . वस्त्र निर्यात निगम स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। निगम की स्थापना के लिए कदम उठाते जा रहे हैं।

आयं-कर विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर पदोन्नति

2658. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति ने नोटिस सर्वर, चपरासी, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, हेड क्लर्क, सुपरवाइजर और इन्स्पेक्टर के संवर्गों में कितनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर विचार किया है ;

(ख) क्या उपरोक्त संवर्गों में से किसी एक में कोई कर्मचारी किसी एक वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट के खराब होने के बावजूद भी पदोन्नति के लिए पात्र हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त संवर्गों में पदोन्नति के लिए खराब रिपोर्ट का, यदि कोई हो, तो कितने वर्षों तक प्रभाव रहता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग)० अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भारत में विमान कम्पनियों द्वारा लोकल कम्पलाइंस एक्शन कमेटी स्थापित किया जाना

2659. **श्री राम भगत पास्वान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विमान कम्पनियों द्वारा लोकल कम्पलाइंस एक्शन समि ति स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति के कृत्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख)० जी हां। भारत में आई० ए० टी० ए० के वाहकों ने भारत के लिए एक कार्य अनुपालन समिति (कम्प्लायेंस एक्शन कमेटी) स्थापित की है जिसमें निम्नलिखित नौ सदस्य सम्मिलित हैं :—

1. एयर इण्डिया — अध्यक्ष
2. ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज़ कारपोरेशन
3. ट्रस्ट अफ्रीकन एयरवेज़
4. जापान एयरलाइंस
5. कुवैत एयरवेज़
6. लुफ्थांज़ा
7. मिडल ईस्ट एयरलाइंस
8. स्विसेयर
9. ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस

समिति की स्थापना वाहकों द्वारा आई० ए० टी० ए० विनियमों के उल्लंघनात्मक अनाचारों का निराकरण करने की दृष्टि से की गयी है।

भारत आये विदेशी पर्यटकों से भारत में की गई विमान यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान लेने की व्यवस्था

2660. **श्री राम भगत पास्वान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसी योजना चालू करने का है जिसके अन्तर्गत भारत आने वाले पर्यटकों से भारत में की जाने वाली उड़ानों के लिए अदायगी विदेशी मुद्रा में ली जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना चालू करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख)० इस प्रकार की कोई विशेष प्रक्रिया अथवा योजना शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है जिसके अनुसार विदेशी पर्यटकों के लिए यह जरूरी हो कि वे भारत में की जाने वाली विमान-यात्राओं के लिए अदायगियां विदेशी मुद्रा में करें। इण्डियन एअर लाइन्स भारत में आये पर्यटकों से ली जाने वाली रकमें विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने के लिए पहले से ही समर्थ है।

चैकोस्लोवाकिया और जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ व्यापार करार

2661. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 2 नवम्बर, 1972 को जर्मन जनवादी गणतंत्र और चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार करार किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख)। शायद संकेत 1973 के लिये दो व्यापार संलेखों की ओर है जिनपर 2 नवम्बर, 1972 को हस्ताक्षर हुए थे। इनमें से एक संलेख भारत सरकार और चैकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य के बीच और दूसरा भारत सरकार तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के बीच हुआ था। चैकोस्लोवाकिया के साथ हुए संलेख में यह व्यवस्था है कि 1973 के दौरान दोनों देशों के बीच 130 करोड़ रु० का व्यापार होगा और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के साथ हुए व्यापार संलेख में यह व्यवस्था है कि दोनों देशों के बीच 69 करोड़ रु० का व्यापार होगा। इन दोनों संलेखों की और इन पर हस्ताक्षर होने के अवसर पर जारी किए गये प्रेस नोटों की प्रतियां संसद प्रति पुस्तकालय में उपलब्ध है।

1973 के दौरान भारत से इन दोनों को निर्यात करने के लिए तेल रहित खली, काजू गिरियां, चाय, काफी, सूती वस्त्र, पटसन निर्मित माल आदि विभिन्न परम्परागत वस्तुओं के अलावा अनेकों इंजीनियरी की वस्तुएं तथा उपभोक्ता सामग्री, जैसे कि सिले सिलाये परिधान, लिनोलियम, मशीनी औजार, जूते तथा चप्पलें तथा अन्य चमड़े की वस्तुएं, टायर तथा ट्यूबें आदि अपरम्परागत मदें इन व्यापार संलेखों में शामिल की गई है। वर्ष 1973 के दौरान चैकोस्लोवाकिया से भारत को आयात की जाने वाली मुख्य ये मदें होंगी :
ट्रैक्टरों के संघटक व फालतू हिस्से, मशीनी औजार, इस्पात और इस्पात उत्पाद, अखबारी कागज, चैकोस्लोवाकिया की सहायता प्राप्त उद्योगों के लिए संघटक व कच्चा माल, शंटर, तापसह वस्तुएं, छपाई तथा पोलिग्राफिक मशीन, आदि; और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से आयात

की जाने वाली मुख्य मदें ये होंगी : मुद्रण मशीनें, इस्पात तथा इस्पात के उत्पाद, वस्त्र मशीनें, चक्षु सम्बन्धी तथा वैज्ञानिक उपकरण, एक्स-रे फिल्में, चलचित्र संबंधी रंगीन फिल्में, रासायनिक पदार्थ, म्यूरियेट आफ पोटाश (उर्वरक ग्रेड), पोटाशियम क्लोराइड आदि।

इण्डियन एयरलइन्स के मजूरी ढांचे की समीक्षा के बारे में इण्डियन एयरलाइन्स के संघों के साथ हुआ करार

2662. **श्री गिरधर गोमांगो :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के मजूरी ढांचे की समीक्षा के बारे में इण्डियन एयरलाइन्स के सभी आठ संघों और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) आठ संघों/संगठनों में से सात के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और आशा है कि एक मात्र शेष अर्थात् भारतीय उड़ान इंजीनियर संगठन के साथ भी शीघ्र समझौता हो जायेगा।

(ख) किये गये समझौतों की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :—

1. अंशदायी भविष्यनिधि के लिये मान्य आय का 15% विशेष भन्ते के रूप में देना और परिवहन भत्ते का पुनरीक्षण अथवा अंशदायी भविष्यनिधि के लिये मान्य आय का 18% विशेष भत्ते के रूप में देना।

2. कतिपय फुटकर भत्तों का पुनरीक्षण।

3. कतिपय वर्गों के कर्मचारियों के लिये, जिनके मामले में संघों/संगठनों ने कार्य-कुशलता और उत्पादन शीलता सम्बन्धी नियमों को स्वीकार कर लिया है, उत्पादनशीलता भत्ता चालू करना।

4. कतिपय वर्गों के कर्मचारियों के लिये वेतन-मानों का पुनरीक्षण और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले के अनुरूप महंगाई भत्ते को युक्ति संगत रूप प्रदान करना।

एशिया 72 मेले में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्तियों को निर्बाध विदेशी मुद्रा का नियतन

2663. **श्री गिरधर गोमांगो :**

श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एशिया 72 के मेले में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्तियों को विशेष निर्बाध विदेशी मुद्रा का नियतन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) . जी नहीं। विदेशी मुद्रा का आवंटन केवल विदेशी भागीदारों के फेयर कोटे के रूप में किया जाता है ताकि वे पैकिंग, भेजने और वापिसी के समुद्री / हवाई भाड़े आदि के खर्चे से बचने के लिए अपनी प्रदर्शित वस्तुओं को निपटा सकें। भारतीय भागीदारों द्वारा विदेशी मुद्रा के आधार पर अपनी प्रदर्शित वस्तुओं का निपटान करने का प्रश्न नहीं उठता।

एयर इण्डिया की पश्चिम की और पूर्व की विमान सेवाएं

2664. **श्री एस० एम० बनर्जी** :

श्री प्रियरंजन दास मुंशी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया का कलकत्ता से पश्चिम की ओर लन्दन तक और लन्दन से पूर्व की ओर कलकत्ता तक साप्ताहिक विमान सेवा आरम्भ करने का विचार था ;

(ख) क्या विमान सेवाएं आरम्भ कर दी गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . ये सेवायें नवम्बर के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ हो चुकी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इण्डिया के लिए नए विमानों की खरीद

2665. **श्री प्रबोध चन्द्र** :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के विमानों की संख्या बढ़ाने के लिए विदेशों से कतिपय नए विमानों को खरीदने के लिए सरकार विचार कर रही है ;

(ख) कितने विमानों को खरीदने का विचार है तथा ये किन देशों से खरीदे जाएंगें, और

(ग) ऐसे विमानों को खरीदने में कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) : (क) से (ग) एयर इण्डिया पांचवीं योजनावधि के लिये अपने विमान बेड़े की आवश्यकताओं की जांच कर रही है।

प्रत्यक्ष करों पर वांचू समिति की सिफारिशें

2666. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री० डी० के० पंडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष करों पर वांचू समिति द्वारा किये गये वे मुख्य प्रस्ताव क्या हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और जिन्हें सिद्धांत रूप में स्वीकृत कर लिया गया है ; और

(ख) उनको क्रियान्वित करने में सरकार कितना समय लेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) वांचू समिति की कुछ सिफारिशों को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 और वित्त अधिनियम, 1972 के माध्यम से पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। समिति की शेष सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ख) समिति की जो सिफारिशें सरकार को स्वीकार्य हैं उनके कार्यान्वयन के लिए संसद में यथासंभव शीघ्र एक व्यापक विधेयक पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। राज समिति की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। इसकी कुछ--सिफारिशों का संबंध ऐसे विषयों से है जिन पर वांचू समिति ने भी--सिफारिशें की हैं। अतः अन्तिम निर्णय पर पहुंचने से पहले इन्हें भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी।

पर्यटकों के आकर्षण के लिए लकादीव तथा अन्य द्वीप समूहों का सर्वेक्षण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना

2667. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों के आकर्षण के लिए लकादीव और अन्य द्वीप समूहों में सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु वहां का सर्वेक्षण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Proper Accommodation arrangements for Tourists at Sarnath

2668. **Shri Kushok Bakula:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether there are proper accommodation arrangements in Sarnath, a prominent place of Budhist pilgrimage, for hundreds of tourists visiting that place from all over the world; and

(b) if not, the time by which necessary action would be taken by Government in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b). Sarnath is only 10.4 kilometers from Varanasi and it is therefore not necessary to provide accommodation for all tourists visiting it. However, there is a Dharmasala with 20 double rooms. In addition the International Guest House, Sarnath is at present under renovation and extension and is expected to be ready by March, 1973. This Bungalow will have 60 beds and a restaurant.

Scheme for Development of Bodh Gaya

2669. **Shri Kushok Bakula:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state

(a) whether no adequate arrangements exist for the stay of the tourists and pilgrims who come from India and foreign countries to visit the world famous place of pilgrimage Bodh Gaya; and

(b) the broad outlines of the schemes which Government have under consideration for making this place attractive and for developing it?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The department of Tourism has released a sum of Rs. 13 lakhs to the State Government for acquisition of 22 acres of land around the Mahabodhi temple at Bodhgaya. Construction of a tourist service centre is also proposed. The development and disposition of the tourist infrastructure for foreign and indian tourists willl be finalised after the preparation of a master plan of the area.

विश्व के केले के निर्यात में भारत का भाग

2670. **श्री एम० कातमुत्तु :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में केले का अधिकतम उत्पादन करने वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान है ;

(ख) क्या विश्व में केले का जितना निर्यात होता है उसमें भारत का भाग केवल 0.2 प्रतिशत है ;

(ग) यदि हां, तो विश्व में केले के कुल निर्यात में भारत का इतना कम भाग होने के क्या कारण है ; और

(घ) क्या गत दो वर्षों में वास्तव में केले का निर्यात कम हुआ है ; यदि हां, तो क्या केले का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). केले के विश्व भर के निर्यातों में भारत का भाग नगण्य है। केले के आयात के मुख्य बाजार यूरोप, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन है। उपभोक्ताओं की पहले से बनी हुई पसन्दें, इस वस्तु का बहुत जल्दी खराब होना तथा उससे संबंधित पोत-लदान की कठिनाइयों, कुछ ऐसे मुख्य कारण रहे हैं जिनसे भारतीय निर्यातों में बाधा पड़ी है।

(घ) जी हां।

विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जिनमें कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निर्यातों के लिए इसके उत्पादन का विकास करना भी शामिल है।

Increase in Growth of Money Supply

2671. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the increase in the growth of money supply is too high as compared to the National income and if so, the percentage thereof during the last year indicating the reasons therefor; and

(b) whether Government propose to check the growth in money supply and if so, in what manner and if not, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chawan): (a) While official estimates of national income for 1971-72 are still under compilation, trends in agricultural and industrial production indicate that the increase in national income in real term has been substantially smaller than the increase of 12.6 per cent in money supply in that year. The main factor responsible for monetary expansion in 1971-72 has been the increase in the net Reserve Bank credit to Government which was necessitated to meet certain extra ordinary expenditures which the Central Government had to incur in respect of Bangladesh refugees, the war with Pakistan and also expenditure incurred in connection with natural calamities in several parts of the country.

(b) The Government has been trying to restrain the excessive growth of money supply through its efforts to raise resources in a non-inflationary manner and by mopping up excess liquidity in the economy through larger market borrowings. Under the revised procedure effective from May 1, 1972, State Governments' recourse to overdraft with the Reserve Bank of India has been completely stopped. Simultaneously, restraint is being exercised in respect of non-plan expenditure. The Reserve Bank's credit policy also remains fairly restrictive; recently, banks' liquidity requirements have been raised and some of the selective credit controls tightened.

Number of Planes proposed to be purchased by Air India during 1972-73

2672. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the number of aeroplanes purchased by Air India during the financial years 1970-71 and 1971-72 along with the amount spent thereon in Indian currency; and

(b) the number of aeroplanes proposed to be purchased during the financial year 1972-73 along with the amount to be spent thereon in Indian currency?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr **Karan Singh**) : (a) and (b). Air India purchased four Boeing 747 (Jumbo) aircraft during the years 1970-71 to 1972-73 at a project cost of Rs. 99.72 crores, involving a foreign exchange component of Rs. 93.32 crores. There is no proposal to acquire any more planes during 1972-73.

Purpose for which flight recorders are installed in Aeroplanes of Indian Airlines

2673. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the purpose for which the Flight Recorders are installed in the aeroplanes of Indian Airlines?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : A flight data recorder is fitted on an aircraft to enable an investigator to reconstruct the flight path in the event of an accident. This instrument usually records speed, height, aircraft heading and acceleration up to the time of the crash. It has no connection with operational safety.

एशिया–72 में अपने मंडप लगाने वाले राज्यों के नाम

2674. **श्री नारायण चन्द पाराशर**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय संघ के उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने एशिया–72 मेले में अपने मंडप लगाये हैं ; और

(ख) इस एशिया मेले में भाग लेने वाली प्राइवेट फर्मों तथा उद्योगों के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) राज्यों के नाम संलग्न अनुबन्ध 1 में दर्शाये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3883/72]**

(ख) गैर-सरकारी फर्मों तथा उद्योगों के, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से मंडप/स्टाल लगाये हैं, नाम संलग्न अनुबंध 2 में दर्शाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, अनेकों गैर-सरकारी फर्मों राज्य सरकारों, निर्यात संवर्धन परिषदों, निगमों आदि के मण्डपों के माध्यम से भाग ले रही हैं।

एशिया 72 की प्रदर्शनी में पेय जल की कमी

2675. **श्री नारायण चन्द पाराशर**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एशिया 72 प्रदर्शनी' में पेय जल की सुविधाओं की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख). एशिया 72 में पीने के पानी की सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। मेले के मैदान में विभिन्न स्थानों पर पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए 50 नलके लगाये गये हैं, इसके अतिरिक्त, जनता को ठंडा पानी सप्लाई करने के लिए मेले के मैदान में पर्याप्त संख्या में ट्रालियां भी खड़ी की गई हैं।

प्रेस संवाददाताओं द्वारा, नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया से रुपया निकालने का कथित समाचार

2676. **श्री एच० एम० पटेल**:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 सितम्बर के साप्ताहिक 'दि करेंट' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कतिपय मान्यता प्राप्त प्रेस संवाद्दाता, जिनका नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया में कोई लेखा नहीं है, अभी भी रहस्यमयी परिस्थितियों में बैंक से रुपया निकाल रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जाँच की है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) स्टेट बैंक से पूछताछ करने पर पता चला है कि प्रकाशित समाचार निराधार है।

रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों से होने वाले व्यापार में गिरावट

2677. **श्री एच० एम० पटेल**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 सितम्बर, 1972 के साप्ताहिक "मार्च आफ दि नेशन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत के रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ होने वाले व्यापार में अत्यधिक कमी हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार की सावधानी से जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग). "मार्च आफ दि नेशन" के उक्त समाचार में उठाये गये मामलों के सम्बन्ध में ठीक स्थिति निम्न प्रकार है:—

(1) **उर्वरकों की सप्लाई**: भारत पूर्व यूरोपीय देशों के साथ प्रतिवर्ष किये जाने वाले द्विपक्षीय व्यापार करारों के अनुसार तथा प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर पूर्व यूरोपीय देशों से उर्वरक प्राप्त करता है।

(2) **अंतरण व्यापार**: कुछ पूर्व यूरोपीय देशों के उद्यमियों द्वारा भारतीय माल के तीसरे देश को भेजने के संबंध में समाचार प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित निरोधक उपाय किये गये हैं:—

(i) भारतीय उत्पादों के तीसरे देशों को पुनर्निर्यात करने को रोकने के लिए व्यापार करारों में एक विशिष्ट धारा शामिल की गयी है।

(ii) प्रतिवर्ष व्यापार योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय पूर्व यूरोपीय देशों के घरेलू उपभोग के लिए विभिन्न भारतीय उत्पादों की उनकी आवश्यकताओं का वास्तविक निर्धारण करने के प्रयास किये जाते है।

(iii) विदेशों में भारतीय मिशनों तथा भारत में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को निर्यात के प्रत्यावर्तन की गतिविधियों पर ध्यान रखने तथा समुचित कार्यवाही करने के लिए सजग किया गया है।

(iv) पर्याप्त प्रमाण मिलने पर उस देश की सरकार के साथ जहां से प्रत्यावर्तन हुआ है, प्रत्येक मामला उठाया जाता है।

(3) **भारतीय माल की अस्वीकृति** : कुछ मामलों में निर्यात पोत लदान पूर्व निरीक्षण तथा गंतव्य स्थान पर अन्तिम निरीक्षण के आधार पर होते हैं। तथापि, ऐसे कोई मामले नहीं देखे गये हैं जिनमें अनुचित अस्वीकृतियां की गई हों तथा ये सामान्य सीमाओं के अन्तर्गत है। जूतों के संबंध में अस्वीकृति की प्रतिशतना 1 प्रतिशत से भी कम है।

Amount of Foreign Exchange sanctioned for purchasing articles exhibited in the Stalls of Foreign Countries in Asian Trade Fair, 1972

2678. **Shri Hari Singh :**
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether any foreign exchange has been sanctioned for purchasing articles exhibited in the Stalls set up by foreign countries in the Asian Trade Fair, 1972;

(b) if so, the amount thereof; and

(c) the names of commodities which have been purchased so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 4.18 crores.

(c) No commodities have been purchased so far against the Fair quota. Negotiations are in progress.

Expansion of Trade with Libya and Dubai

2679. **Shri Hari Singh:**
Shri Bhagirath Bhanwar:

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether there has been any change in the foreign trade policy of Government as well a result of the Asian Trade Fair 1972; and

(b) whether consequently Government propose to expand trade with Libya and Dubai?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) The third Asian International Trade Fair 1972 is still on and at this stage it is too early to think in terms of changes in our foreign trade policy as a result of the experience gained from the Asian Fair; and

(b) We have been making efforts to expand our trade relations with both Libya and Dubai and will continue to do so.

एशियन रिजर्व बैंक

2680. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम:**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग ने एशियन रिजर्व बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया है ; और क्या भारत ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो दिए गए सुझाव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के देशों के बीच प्रस्थावित बैंक की स्थापना के बारे में कोई बातचीत हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). एक एशियाई रिजर्व बैंक स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय एशिया और दूर पूर्व आर्थिक आयोग के एक प्रस्ताव के मसौदे पर भारत सहित सम्बद्ध क्षेत्रीय सदस्य देश विचार कर रहे हैं। एशियाई रिजर्व बैंक सम्बन्धी योजना में यह परिकल्पना की गयी है कि सदस्य देशों की सकल सरकारी मुद्रा प्रारक्षित निधियों की 10 प्रतिशत राशि से एक निधि बनायी जाय जिससे सदस्य देशों के शोधन सन्तुलन में होने वाले उन घाटों की वित्त व्यवस्था करने के लिए अल्पावधिक सहायता दी जा सके जो इस क्षेत्र में व्यापार के उदार बना दिये जाने के कारण उत्पन्न होते हैं तथा एशिया और दूर-पूर्व आर्थिक आयोग के क्षेत्र में उत्पादक निवेश की भी वित्त व्यवस्था करने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों के बांड खरीदे जा सकें।

(ग) और (घ). एशियाई रिजर्व बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अगस्त, 1972 में, बैंकाक में, भारत सरकार और एशिया तथा दूर-पूर्व आर्थिक आयोग के अन्य चौदह सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी । इस अन्तर-सरकारी समिति ने, जिसने संभावित बैंक की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया था, एशियाई रिजर्व बैंक की स्थापना करने के लिए एक करार का मसौदा तैयार किया था। एशिया और दूर-पूर्व आर्थिक आयोग के सचिवालय ने, इस सम्बन्ध में सभी क्षेत्रीय सदस्य देशों की सरकारों का विचार जानने के लिए करार का मसौदा उनके पास भेजा है। एशिया और दूर-पूर्व आर्थिक आयोग का कार्यकारी सचिव अन्ततोगत्वा, करार के मसौदे के प्रति क्षेत्रीय सदस्य देशों की टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई करेगा।

कृषि सम्पत्ति पर कराधान के बारे में राज समिति के प्रतिवेदन का राज्यों को परिचालन

2681. **श्री एस० ए० मुरुगनन्दम :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सम्पत्ति पर कर लगाने के संबंध में राज समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकारों को अध्ययन के लिये भेज दिया गया है।

(ख) क्या राज्यों ने प्रतिवेदन के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका सारांश क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). कृषि सम्पत्ति और आय पर कराधान समिति की रिपोर्ट को राज्य सरकारों के पास यह लिख कर भेज दिया गया है कि रिपोर्ट में सुझाये गये उपायों को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठायें राज्यों से इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणियाँ देने के लिए नहीं कहा गया है।

यूगोस्लाविया के साथ संयुक्त उद्यम

2682. **श्री एस० ए० मुरुगनन्दम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और युगोस्लाविया संयुक्त उद्यम के लिए सहमत हो गये हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में दोनों के बीच कोई व्यापार करार हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). भारत सरकार और युगोस्लाविया सरकार ने कुछ समय पहले यह सहमति व्यक्त की थी कि संयुक्त भारत-यूगोस्लाविया उपक्रम होने चाहिए। नई दिल्ली में हाल में जो व्यापार वार्ताएं हुई और उनके परिणामस्वरूप जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये गये उनसे केवल दोनों सरकारों के पूर्व विचारों की फिर से पुष्टि होती है।

नक्काशी की हुई लकड़ी के निर्यात के नौतल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर नकद प्रोत्साहन

2683. **श्री वरके जार्ज** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने नक्काशी की हुई लकड़ी के निर्यातकों को पेंट, वार्निश आदि का आयात करने का अधिकार देने के रूप में प्रोत्साहन दिये जाने को वर्तमान योजना के स्थान पर उन को 1 अप्रैल, 1971 से नौतल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर 10% नकद प्रोत्साहन देने की योजना लागू करने की मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अनुरोध का सारांश क्या है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Supply of Newspapers and Journals to Tourists in Hotels being run by ITDC

2684. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether newspapers and journals are given to tourists free of cost in the hotels being run by the India Tourism Development Corporation;

(b) whether Hindi or other Indian language newspapers and journals are not supplied to them even on payment; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps proposed to be taken in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). Daily English newspapers are supplied to guests in I. T. D. C. Hotels in Delhi and Bangalore free of cost. Hindi newspapers are supplied on request. It is not customary to supply English or Hindi Journals to hotel guests. Publications generally in demand are available on sale at bookstalls on the hotel premises.

पूर्वी जर्मनी और चैकोस्लोवाकिया से इस्पात और अखबारी कागज का आयात

2685. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री हुकम सिंह कछवाय :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1972–73 के दौरान पूर्वी जर्मनी और चैकोस्लोवाकिया से इस्पात और अखबारी कागज का आयात करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा और भारतीय मुद्रा में उसका मूल्य कितना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय म उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). भारत तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य और चैकोस्लोवाकिया सहित पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, वार्षिक व्यापार संलेखों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होते हैं जिन पर इन देशों के साथ हुए भारत के दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करारों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष बातचीत की जाती है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य की सरकार और चैकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य के साथ हुए भारत के वर्तमान व्यापार और भुगतान करारों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

2. 1972 व 1973 के लिए इन दोनों देशों के साथ हुए हमारे व्यापार संलेखों में इस्पात को शामिल किया गया है और अखबारी कागज को केवल 1973 के लिए उनमें से एक देश के साथ संलेख में शामिल किया गया है।

3. व्यापार संलेखों में शामिल की गई मदों के आयात व निर्यात विभिन्न परिस्थितियों को, अर्थात निर्यात करने वाले देश में उस मद की अपेक्षित क्वालिटी की उपलब्धता, उसकी कीमत, सुपुर्दगी समय आदि को ध्यान में रख कर किये जाते हैं। व्यापार संलेखों के वास्तविक उपबंधों को हस्ताक्षर करने वाली सरकारों द्वारा गोपनीय रखा जाता है।

भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र को दिया गया वार्षिक अनुदान

2686. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र (इंडिया इन्वेस्टमेंट सेन्टर) को कितना वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है ;

(ख) क्या भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र को यू० एस० ए० आई० डी० से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है ; और

(ग) भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र प्रयासों के परिणामस्वरूप कितने सहयोग करार सम्पन्न हुई है और इसके परिणामस्वरूप भारत में कितनी विदेशी मुद्रा का निवेश हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने भारतीय निवेश केन्द्र को गत तीन वर्षों में जो अनुदान दिए हैं, वे इस प्रकार हैं :–

	(लाख रुपयों में)
1969–70	26.98
1970–71	32.81
1971–72	33.20

(ख) केन्द्र की स्थापना नवम्बर 1960 में की गयी थी और उस तारीख से 31 मार्च, 1966 तक केन्द्र पर होने वाला व्यय, डस्सल-डोर्फ कार्यालय के व्यय को छोड़ कर पी० एल० 480 निधियों में से दिए गए अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के अनुदानों से पूरा किया जा रहा था और उसके बाद से केन्द्र का सारा व्यय केन्द्रीय सरकार के अनुदानों से पूरा किया जा रहा है।

(ग) भारतीय निवेश केन्द्र ने 1961 और सितम्बर 1972 के बीच सहयोग के 269 प्रस्तावों के संबंध में सक्रिय सहायता की है, जिन्हें सरकार की अनुमति प्राप्त हो गयी थी। इनमें से 127 प्रस्ताव तकनीकी सहयोग के लिए थे और शेष 142 प्रस्ताव विदेशी पूंजी भागीदारिता के थे। ये प्रस्ताव लगभग कुल 292.2 करोड़ रुपये से पूंजी परिव्यय के थे जिसमें से विदेशी भागीधारिता 36.7 करोड़ रुपये के लगभग थी।

इन्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड (बम्बई) द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताएं

2687. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'इंडियन एक्सप्रैस न्यूजपेपर्स (बम्बई)' के हिसाब में पाई गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कोई समाचार मिले हैं ;

(ख) क्या सट्टे के लिये बहुत बड़ी धनराशि का दुरुपयोग किया गया जिसके फल-स्वरुप भारी नुकसान हुआ ; और

(ग) क्या कम्पनी कानून के कथित उल्लंघन में 'नेशनल जूट कम्पनी लिमिटेड' सहित गोयनका की कई अर्न्तसम्बद्ध कम्पनियां शामिल है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रगुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). इस कम्पनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति निर्धारण करने के लिये कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत, एक सीमित निरीक्षण के आदेश दिये गये थे ; व इसकी एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस कम्पनी ने हिस्सों के व्यापार में अत्याधिक हानि उठाई है। यह रिपोर्ट वर्तमान में कम्पनी विधि बोर्ड के विचाराधीन है।

(ग) गोयनका समूह की कम्पनियों के, पहले के लिये गये निरीक्षणों से, नेशनल कम्पनी लिमिटेड, तथा कुछ अन्य कम्पनियों द्वारा अनेक अतिक्रमण प्रकाश में आये थे।

भारतीय आय-कर विधियों के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधिपति और दिल्ली के उच्च-न्यायालय के न्यायाधिपति के दृष्टिकोण

2689. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** :

डा० कर्णी सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्तूबर, 1972 के "फिनांश्यल एक्सप्रैस, में "टैक्स रिफार्मस" शीर्षक से छपी सम्पादकीय टिप्पणियों की ओर दिखाया गया है जो आय-कर विधियों पर भारत के मुख्य न्यायाधिपति और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के विचारों के बारे में है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : **(क) तथा (ख).** सरकार ने 31 अक्तूबर, 1972 के "फाइनेंशयल एक्सप्रैस" में कर सुधारे शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणी देखी है। आय कर अधिनियम के अधीन विभिन्न प्रकार की जटिल समस्याओं और परिस्थितियों पर कार्यवाही की जाती है, जो आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होती है और राजस्व जुटाने की अपनी परम्परागत भूमिका के अतिरिक्त उसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में भी कार्य करना होता है। सरकार द्वारा नियुक्त बहुत सी समितियों और आयोगों ने, समय-समय पर प्रत्यक्ष कर प्रणाली के उद्देश्यों को हासिल करने और इसके उपबंधों को युक्तियुक्त बनाने में उसकी कारगरता को बढ़ाने की दृष्टि से इस प्रणाली का अध्ययन किया है। ऐसी समितियों और आयोगों की सिफारिशों के, आधार पर कई बार आय कर अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। सरकार इस विषय की सतत् रूप से भी समीक्षा करती रहती है।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा विभिन्न फिल्म निर्माताओं से धन की वसूली

2690. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने विभिन्न फिल्म निर्माताओं से 30 सितम्बर, 1972 को कुल कितना धन वसूल करना है ;

(ख) उस में कितना धन एक वर्ष तथा इसमें अधिक समय में बकाया पड़ा है और इस बकाया धन राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या कतिपय फिल्म निर्माताओं ने भारतीय चलचित्र निर्यात निगम पर जवाबी दावा किया हुआ है और यदि हां, तो उस में कितना धन अंतर्ग्रस्त है और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के दावों के शीघ्र निपटान को सुविधाजनक बनाने हेतु जवाबी दावों को समायोजन न करने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 36.23 लाख रुपये।

(ख) उपरोक्त राशि में से 29.13 लाख रूपये एक वर्ष तथा इससे अधिक समय से बकाया पडे हैं।

(ग) 3.03 लाख रूपये के जवाबी दावे हैं। उनके निपटाने के लिए विचाराधीन है।

Trade with neighbouring Countries

2691. **Shri Bharat Singh Chauhan:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) the names of the commodities being exported to and imported from neighbouring countries at present; and

(b) the value (in foreign exchange) of the commodities exported as well as imported?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b). Reference of the Hon'ble Member is perhaps to Burma, Bangladesh, Nepal, Pakistan and Sri Lanka.

Value of exports to and imports from Burma, Nepal and Sri Lanka, commoditywise, is given in the statement attached. Annual statistics, commoditywise are not available for trade with Bangladesh. There has been no trade with Pakistan since 1965.

Payments arrangements are generally in free foreign exchange for trade with Burma, Bangladesh and Sri Lanka, and in Rupees with Nepal.

STATEMENT

India's Trade with Burma, Nepal and Sri Lanka during 1971-72

Commodities	Rs. Lakhs
Exports to Burma	
Cotton yarn & thread	313
Jute manufactures	244

Commodities	Rs. Lakhs.
Iron & Steel	228
Coal, coke and briquettes	88
Metal manufactures	69
Rubber manufactures	21
Machinery & Transport equipment	45
Total (including others)	1078
Imports from Burma	
Rice	452
Lead	93
Tungsten ore and concentrates	32
Total (including others)	587
Exports to Nepal	
Petroleum products	532
Cotton fabrics	748
Cotton yarn and thread	40
Medicinal & Pharmaceutical products	144
Cement portland grey	111
Metal manufactures	71
Fruits and vegetables	39
Tea	44
Spices	61
Machinery & Transport equipment	206
Total (including others)	2844
Imports from Nepal	
Rice	664
Maize unmilled	12
Malted butter	109
Oilseeds, oilnuts, oilkernels	58
Pulses and flour thereof	24
Other expeller oilcake & Oil cake meal	23
Spices	18
Dyeing, tanning & colouring materials	25
Sheep & lamb wool	14
Total (including others)	1027
Exports to Sri Lanka	
Sugar and sugar preparations	432
Fish	128
Cereal and cereal preparations	115
Spices	171
Bidi wrapper leaves	50
Chemical elements & compounds	36
Medicinal & Pharmaceutical products	52
Cotton yarn & thread	267
Jute manufacture	25
Non-ferrous base metals	39
Machinery & Transport equipment	543
Total (including others)	2124

13—2 LSS/ND/72

Commodities	Rs. Lakhs.
Imports from Sri Lanka	
Copra	123
Total (incl. others)	145

राज्य व्यापार निगम द्वारा कथा चित्रों का व्यापार अपने हाथ में लिया जाना

2692. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने कथा चित्रों का व्यापार अपने हाथ में ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां ।

(ख) रूपक फिल्मों का आयात तथा निर्यात क्रमश : 3 अगस्त, 1972 तथा 1 नवम्बर 1972 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है। विदेशी मुद्रा की हानि को रोकने के लिए तथा जिनको लाभ उठाने का अधिकार नहीं है उन्हें निर्यात करने के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात मार्गीकृत किये गये थे। आयात सर्वोतम कीमतों पर फिल्में खरीदने तथा विदेशी मुद्रा में बचत करने के लिए मार्गीकृत किये गये थे ।

फिल्म के कुल निर्यात में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का अंश

2693. **डा० हरि० प्रसाद शर्मा :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में फिल्म के कुल निर्माण में भारतीय चलचित्र निगम का अंश 11% से कम होकर 8% रह गया है और उसका कुल लाभ 1970-71 में 8.9 लाख रूपये से कम होकर 1971-72 में 4.3 लाख रूपये रह गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य में गिरावट आने के क्या कारण हैं और क्या इस निगम के कार्य की जांच करने के आदेश दिये गये : और

(ग) दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका देशों और रोडेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका, जिनके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक नाकाबंदी लागू की हुई है, को चोरी-छिपे फिल्में ले जाने को रोकने के लिए निगम और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) फिल्मों के कुल निर्यातों में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का भाग 1971-72 में बढ़कर 11.0% हो गया जबकि उससे पिछले वर्ष अर्थात् 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान वह 8% था। निगम का कुल लाभ 1970-71 में 3.15 लाख रुपये से गिरकर 1971-72 में 0.21 लाख रुपये का रह गया।

(ख) आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वर्ष 1971-72 में उपरिलिखित फिल्मों के प्रयोग अधिकारों की अपेक्षतः बढ़ी हुई लागतों के कारण मुख्यतः कुल लाभ में गिरावट आई।

(ग) फिल्मों की तस्करी की रोकदाम करने के लिए भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा उपाय किये जाना संभव नहीं है। सरकार ने जो उपाय किये हैं, उनमें सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता तथा निवारक कार्यवाही शामिल है। आशा है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रूपक फिल्मों के निर्यात का मार्गीकरण करने के फलस्वरूप, जिसका अभी हाल ही में आदेश दिया गया है, तस्करी की काफी रोकथाम की जा सकेगी।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण के रूप में दी गई सहायता

2694. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री एम० कल्याणसुन्दरम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम के गत 24 वर्षों की कार्य अवधि में निगम ने 35.5 प्रतिशत ऋण बड़े तथा बहुत बड़े औद्योगिक गृहों को दिये हैं और केवल दो वर्षों के दौरान 17 बहुत बडे गृहों को 66.6 करोड़ रुपये तथा 73 गृहों को 74.8 करोड़ रुपये ऋण के रूप में सहायता मिली है; और

(ख) यदि हाँ, तो औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋण में बड़े तथा बहुत बड़े औद्योगिक गृहों को बड़ा भाग मिलने के क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि औद्योगिक वित्त निगम की सहायता पर बड़े तथा बहुत बड़े औद्योगिक गृहों का एकाधिकार न रहे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय औद्योगिक निगम ने अपनी स्थापना से लेकर पिछले 24 वर्षों के दौरान और पिछले दो वर्षों अर्थात् 1970-71 और 1971-72 (जुलाई-जून) में अधिक बड़े और बड़े औद्योगिक घरानों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए जो वित्तीय सहायता स्वीकार की है उसकी सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) उत्तर के भाग (क) में दिये गये विवरण से स्पष्ट हो जाएगा कि वित्तीय सहायता के अधिकांश भाग की स्वीकृति उन प्रतिष्ठानों के लिए दी गयी है जो बड़े औद्योगिक घरानों के नहीं हैं। निगम उत्पादन और वितरण के उचित स्तर में वृद्धि करने और उसे बनाये रखने के लिए किसी भी प्रतिष्ठान की ऋण संबंधी वैध और वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उसका किसी भी कम्पनी द्वारा चाहे वह बड़े औद्यो-

गिक घराने की हो या नहीं, उत्पादक प्रयोजनों के लिए माँगी गयी वित्तीय सहायता न देने का कोई इरादा नहीं है। निगम सभी प्रतिष्ठानों खास तौर से परस्पर संबंधित और बड़े औद्योगिक समूहों के प्रतिष्ठानों को दी गयी सहायता के अन्तिम उपयोग पर बराबर नजर रखता है। यह बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा अन्य उद्यमकर्ताओं की अपेक्षा पूँजी लागत का अधिक प्रतिशत अंशदान दिये जाने पर भी जोर देता है। गैर-सरकारी क्षेत्र की उन बड़ी परियोजनाओं के मामले में, जिनकी सहायता निगम ने 1970-71 के बाद से बड़े पैमाने पर की है, संथाओं ने इस प्रकार के सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों के बोर्डों में निदेशकों की नामजदगी करके नीति के स्तर पर सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों के प्रबंध में सार्थक रुप से भाग लेना शुरु कर दिया है।

जहाँ निगम ने किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को काफी वित्तीय सहायता दी है वहाँ ऋणों/ऋण पत्र सहायता करारों में परिवर्तनीयता खण्ड भी जोड़ दिये गये हैं। केन्द्रीय सरकार बड़े औद्योगिक घरानों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सभी नयी या विस्तार परियोजनाओं की योजनाओं की भी एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत छानबीन करती है और जहाँ आवश्यक समझा जाता है वहाँ सरकार स्वीकृति देने से पहले एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा आयोग से भी सलाह लेती है।

सहायता के वितरण में औद्योगिक विकास बैंक ने निगम को नीति संबंधी कुछ निर्देश दिये हैं जिनके अनुसार वह पहले से कार्य कर रहा है, जो ये हैं कि किसी एक औद्योगिक प्रतिष्ठान या ऐसे प्रतिष्ठान समूह को, जो परस्पर घनिष्ट रूप से सम्बन्धित उद्योगपतियों के समूह के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा प्रबंधित अथवा नियंत्रित हों, 2 करोड़ रुपये से अधिक राशि की सहायता देने का मामला औद्योगिक विकास बैंक की पूर्वानुमति के लिए उसे भेजा जाएगा। इन सुरक्षात्मक उपायों से औद्योगिक प्रतिष्ठानों की व्यापक श्रेणियों को सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो जाती है।

विवरण

(करोड रुपयों में)

अवधि	कुल स्वीकृत वित्तीय सहायता (ऋण, हामीदारी गारंटी)						ऋण कर्ताओं को कुल सहायता	स्तम्भ 8 की तुलना में 7 की प्रतिशतता
	अधिक बड़े औद्योगिक घराने		बड़े औद्योगिक घराने		कुल अधिक बड़े और बड़े औद्योगिक घराने			
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	राशि	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. जुलाई 1948 से, जब निगम की स्थापना हुई थी, 30 जून 1973 तक	17	67.18	27	74.34	44	141.52	397.86	35.6%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971-72 के दौरान (जुलाई-जून)	7	10.25	13	7.07	20	17.32	75.79	22.85%

टिप्पणी : विवरण के स्तम्भ 2, 4, और 6 में दिखाये गये घरानों की संख्या अधिक बड़े, बड़े और कुल औद्योगिक घरानों की संख्या को प्रकट करती है। वह सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों की वास्तविक संख्या को प्रकट नहीं करती। अधिक बड़े औद्योगिक घरानों की संख्या 20 और बड़े औद्योगिक घरानों की संख्या 53 है और इस प्रकार कुल संख्या 73 बनती है। प्रतिष्ठानों का यथास्थिति अधिक बड़े और बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में वर्गीकरण औद्योगिक लाइसेंसिंग जाँच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट II के अनुसार किया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों द्वारा दिए जाने वाले असाधारण सौदों को रोकने के लिए कार्यवाही

2695. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसे बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक, बैंकों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए मुआवजे के रूप में उनको दी गई राशि का अशंधारियों के हितों की अवहेलना करके दुर्विनियोग न करें;

(ख) क्या यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के निदेशकों ने अपनी कम्पनी को यूनाइटेड इंण्डिया क्रेडिट एण्ड डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के साथ मिलने और इस कम्पनी में यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्त 4.20 करोड़ रुपये की राशि मंगाने का प्रस्ताव रखा था जिसकी कुल अंश पूँजी केवल 5,600 रुपये थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो कम्पनी निदेशकों द्वारा किये जाने वाले इस प्रकार के असाधारण सौदों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियों को अपने उपक्रमों का अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत तदनुरूप बैंकों को करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्षति पूर्ति की अदायगी की गयी थी। रिजर्व बैंक द्वारा इन भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियों को बैंककारी व्यवसाय करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और अब उनका प्रबन्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। इसलिए क्षतिपूर्ति की रकम के इस्तेमाल के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत सम्बन्ध लिमिटेड कम्पनी अपने शेयरधारियों की स्वीकृति से कोई भी निर्णय कर सकती है।

तदनुसार, भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनी यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड को एक नयी कम्पनी यूनाइटेड इण्डिया क्रेडिट ऐण्ड डेवलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड में मिलाने का प्रस्ताव इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। ऐसा समझा जाता है कि मैसर्स यूनाइटेड इण्डिया क्रेडिट ऐण्ड डेवलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड की शेयर पूंजी यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियों के हित में सांकेतिक रकम अर्थात 5600 रुपये की रखी गयी है ताकी विलय के परिणामस्वरूप उनके वर्तमान सामान्य शेयर पूंजी के हित एकीकृत कम्पनी में हल्के न पड़ जाएं।

भारत में इस्पात, पेट्रोलियम और विद्युत परियोजना के लिए विदेशी सहायता

2696. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मित्र देशों, विशेषकर रुस से इस्पात, पेट्रोलियम, विद्युत और उर्वरक परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर सहायता लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो रूस तथा अन्य देशों से प्रत्येक उद्योग के संबंध में कितनी और किस प्रकार की सहायता ली गई है ; और

(ग) अब तक इस दिशा में कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) से (ग). सरकार की हमेशा यह नीति रही है और अब भी यही नीति है कि जहां तक संभव हो, स्वयं अपने प्रयत्नों पर भरोसा करके, लेकिन जहां जरूरी हो वहां विदेशों से आवश्यक औद्योगिकी का आयात करके अपने औद्योगिक आधार का तेजी से विस्तार करने की सुनिश्चित व्यवस्ता की जाय। इस सम्बन्ध में सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ सहित कई देशों से सहायता प्राप्त होती रही है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसका सम्बन्ध समूचे औद्योगिक क्षेत्र और सभी मित्र देशों से है। मित्र देशों के इस सहयेमि से हमारी आर्थिक प्रगति को काफी योगदान प्राप्त हुआ है।

विदेशों से भेजी गई विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण करने हेतु भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का पुनरीक्षण

2697. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा नियमों को कठोर कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बैंक ने भारत में रहने वाले व्यक्तियों की भी विदेशी मुद्रा में भुगतानें लेने की अनुमति न देने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो भारत में रहने वाला एक व्यक्ति भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति की ओर से किन शर्तों पर विदेशी मुद्रा में भुगतान ले सकता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक ने, विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने के उद्देश्य से निवासियों को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की हैं जिनके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी अथवा मुद्रा विनिमयकर्ता के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की मनाही कर दी गई है और उक्त अधिसूचनाओं में यह भी व्यवस्था है कि निवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त अथवा उनके द्वारा विदेशों से लायी गयी विदेशी मुद्रा सात दिनों के अन्दर अन्दर समर्पित कर दी जायगी। किन्तु कोई भी निवासी, भारत से बाहर की अपनी परिसम्पत्तियों के संबंध में प्राप्त होने वाली आय के रूप में, विरासत, निपटारा अथवा दान के रूप में, भारत में अथवा विदेश में की गयी सेवाओं के पारिश्रमिक के रूप अथवा किसी वैध दायित्व के निपटारे के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा डाक/मनीआर्डरों, चैकों बैंकड्राफटों अथवा विदेशी करेंसी नोटों के रूप मे भी रकमें प्राप्त की जा सकती हैं। इन अधिसूचनाओं से उन अनधिकृत लेनदेनों को कम करने में सहायता मिलेगी जिनके माध्यम से विदेशी मुद्रा की चोरी होती है।

कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

2698. **श्री श्रीकिशन मोदी** :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मिलों में तैयार 15% कपड़ा निर्यात के लिये आरक्षित करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या टैक्सटाइल निगम ने गैर सरकारी क्षेत्र से बाहर की 39 मिलों के संयंत्रों और मशीनों के आधुनिकीकरण की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) इस योजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1972 के अधीन 46 संकटग्रस्त उपक्रमों का प्रबंध, उनका राष्ट्रीयकरण होने तक के लिए, सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

(ख) यदि इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन ने एक स्वैच्छिक योजना बनाई है जिसके अधीन सभी मिश्रित मिलों को 1973 के दौरान अपने उत्पादन का 15% निर्यात करने का निदेश दिया गया है।

(ग) तथा (घ) . सरकार ने अभी तक 45 उपक्रमों के लिए जिनका प्रबंध सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अपने हाथ में लिया

है, 1685.97 लाख रुपये की कुल लागत से आधुनिकीकरण कार्यक्रमों की स्वीकृति दी है।

मूल्य और बोनस में वृद्धि आदि के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ की ओर से ज्ञापन

2699. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मूल्यों में वृद्धि, बोनस के बारे में अंतरिम प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में भारतीय मजदूर संघों की भूमिका के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की ओर से ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का सारांश क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारतीय जूट प्रतिनिधिमंडल का बंगला देश का दौरा

2700. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री रोबिन ककोटी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जूट प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर, 1972 के अंतिम सप्ताह में बंगलादेश का दौरा किया था ;

(ख) क्या भारत का विचार 7 करोड़ रुपये के मूल्य का बंगलादेश का जूट खरीदने का है ;

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) 7.43 करोड़ रुपये मूल्य के जूट के आयात के लिए संविदा की गई है।

(घ) संविदा के अंतर्गत 2 लाख जूट की गांठें बंगलादेश से आयात की जायेंगी, जिनकी सुपुर्दगी दिसम्बर, 1972 से फरवरी, 1973 की अवधि में होगी। आयात की

व्यवस्था संयुक्त रूप से भारतीय जूट निगम तथा भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा की जा रही है।

भारत में विदेशी कम्पनियां

2701. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कार्य कर रही ऐसी विदेशी कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है जिनके नाम भारत में अथवा भारत के बाहर पंजीकृत हैं और उनकी कुल पूंजी कितनी है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : 31-1-71 तक इस देश में व्यापारिक स्थान रखने वाली भारत से बाहर विनिगमित 543 विदेशी कम्पनियों, तथा भारत में विनिगमित विदेशी कम्पनियों की, 217 सहायक कम्पनियां कार्यरत थीं। इन विदेशी विनिगमित कम्पनियों की भारत में परिसम्पत्तियों का मूल्य 1468.6 करोड़ रु० तथा विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी 272.7 करोड़ रुपये थी।

चमडे के जूतों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

2702. **श्री के० मालन्ना :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने जिन कंपनियों को चमड़े के जूते चप्पलें निर्यात करने की अनुमति दी थी उनका विवरण क्या है तथा इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) आगामी एक वर्ष में जूतों आदि के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) चमड़े के जूतों के निर्यात व्यापार के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जिन कंपनियो को चमड़े के जूते तथा चप्पल निर्यात करने के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं, उनके विवरण सांख्यिकी-निदेशक, विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसज, इम्पोर्ट लाइसेंमेंज एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसज" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जा रहे हैं। चमड़े के जूतें आदि का निर्यात करने के लिए, तैयार चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं की निर्यात संवर्धन परिषद के पास 160

निर्यातक पंचीकृत हैं, और राज्य व्यापार निगम के 34 सहयोगी हैं। गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1969–70	7.03 रुपये
1970–71	9.09 रुपये
1971–72	8.58 रुपये

(ख) 1972–73 के दौरान 15 करोड़ रुपये मूल्य के चमड़े के जूतों के निर्यात का लक्ष्य है।

(ग) हाल में सरकार द्वारा उठाया गया मुख्य कदम राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सभी प्रकार के जूतों के निर्यात का मार्गीकरण करना है। चमड़े के जूतों के निर्यात संवर्धन के लिए उठाये गये अन्य उपाय ये हैं: विदेशों में विक्रय-सह-अध्ययन दलों को भेजना, विदेशों में विशेषीकृत व्यापारिक मेलों में भाग लेना और विमान भाड़े में इमदाद देना।

चाय उद्योग के लिए आवश्यक भट्टी के तेल की कमी

2703. **श्री के० मालन्ना** :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम का चाय उद्योग फेक्टरियों के लिए आवश्यक भट्टी के तेल की कमी का सामना कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो भट्टी तेल की कमी के क्या कारण हैं और राज्य के चाय बागानों को इसे उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स में फ्लाईट रिकार्डर युक्त विमानों की संख्या

2704. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स में फ्लाईट रिकार्डर युक्त विमानों की संख्या कितनी हैं तथा वे किस कम्पनी के हैं ;

(ख) फ्लाईट रिकार्डर सहित विमानों की संख्या कितनी है ; और

(ग) सभी विमानों में ये रिकार्डर न लगाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) :

विमान का प्रकार	इंडियन एयरलाइंस के पास विमानों की संख्या	जिनमें फ्लाइट रिकार्डर लगे हुए हैं ऐसे विमानों की संख्या
बोइंग 737	7	7
कारवेल	9	7
फोकर फ्रैंडशिप	9	3
एच० एस०-748	16	3
वाइकाउंट	6 (जो परिचालन में हैं)	इन विमानों का परिचालन समाप्त किया जा रहा है।
डकोटा	7 (जो परिचालन में हैं)	

(ग) 'फ्लाइट डेटा रिकार्डर' ऐसे रिकार्ड करने वाले उपकरण हैं जिन विभिन्न उड़ान प्राचलों (फ्लाइट पैरामीटरों) का अभिलेखन (रिकार्ड) किया जाता है। वे दुर्घटनाओं की जांच-पड़ताल के लिए उपयोगी हैं परन्तु उनका परिचालन की सुरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब इंडियन एयरलाइन्स ने फोकर फ्रैंडशिप, एच० एस०-748, वाइकाउंट और डकोटा विमान प्राप्त किये थे तो उस समय उनमें फ्लाइट रिकार्ड नहीं लगे हुए थे। दुर्घटनाओं के जांच-पड़ताल के कार्य में हुई तकनीकी प्रगति को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि फोकर फ्रैंडशिप और एच० एस०-748 विमानों में भी फ्लाइट डेटा रिकार्डर लगाये जायें। तदनुसार हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर, इंडियन एयरलाइन्स के लिए अब बनाये जा रहे विमानों में ये उपकरण लगा रहे हैं। फोकर फ्रैंडशिप विमानों के लिए भी यह उपकरण प्राप्त कर लिया गया है तथा इंडियन एयरलाइस के समस्त विमान-बेड़े पर (वाइकाउंट और डकोटा विमानों को छोड़ कर जिनका कि क्रमश: परिचालन समाप्त किया जा रहा है) अगले कुछ महीनों में ही ये उपकरण लगा दिये जाएंगे।

बड़े व्यवसाय गृहों को ऋण लेने सम्बन्धी प्रक्रिया

2705. **श्री एस० सी० बेसरा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े व्यवसाय गृहों को ऋण लेने सम्बन्धी प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिये सरकार ने एक विशेषज्ञ तालिका बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तालिका का गठन और उसके निदेश पद क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकारी क्षत्र की ऋणदात्री संस्थाओं की, जिनमें वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, कम्पनियों को ऋण देने की अपनी ही प्रक्रि-

याएं हैं जिनका लक्ष्य इस बात का सुनिश्चियन करना होता है कि उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग, उत्पादन तथा वितरण के वांछित स्तरों प्रोत्साहन देने तथा कायम रखने के प्रयोजनार्थ वैध तथा वास्तविक आवश्यकताओं के लिये किया जाये। अतः सरकार बड़े व्यापारिक घरानों को ऋण देने की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिये, एक विशेषज्ञ नामिका बनाना आवश्यक नहीं समझती।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Advancing of Loans to Farmers by Nationalised Banks

2706. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of farmers, who have been advanced loans by the nationalised banks, year-wise and State-wise, since the bank nationalisation ; and

(b) the number of farmers, who applied for such loans, State-wise and the number of farmers, who were not granted loans indicating the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimathi Sushila Rohatgi): (a) A statement containing the requisite information is attached. [*Placed in Library. See No. L.T.* 2884/72].

(b) The information is not readily available; to the extent possible it will be laid on the Table on the House, when it becomes available.

Evasion of Taxes by way of Benami Partnerships

2707. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether cases have come to the notice of Government in which tax is evaded by persons on large scale by entering into benami partnerships;

(b) if so, the number of such cases which came to notice during the last three years and the loss of revenue suffered by Government on that account; and

(c) the steps being taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Government are aware that formation of firms with benami partners is one of the methods that is adopted by tax payers to evade proper tax liability.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(c) In order to curb tax evasion through benami partners, an amendment was made through the Taxation Laws (Amendment) Act, 1970 to the effect that a firm shall not be regarded as a genuine firm if any partner of the firm was, at any time during the previous year, a benamidar of any other partner. The Direct Taxes Enquiry Committee has recommended that this provision should be further extended to cover cases where a partner is an undisclosed benamidar of an outsider as well. This recommendation is under consideration of the Government.

The Taxation Laws (Amendment) Act, 1972 provided that no person will be entitled to institute any suit claiming ownership of any property held by him benami unless he discloses the income from the property or the property itself for purposes of income-tax and wealth-tax or gives notice of his claim to the property to the income-tax authorities. This provision has come into effect from 15-11-1972 and is also likely to check tax evasion through benami partnerships.

Increase in demand of pickles and sauces from abroad

2708. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the demand for Indian pickles and sauces is on the increase in foreign countries;

(b) if so, the names of those countries; and

(c) the year-wise foreign exchange earned during the last three years therefrom?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George): (a) and (b). No. Sir, there was in fact a decline during 1971-72 compared to the two earlier years.

(c) Foreign Exchange earned from Exports of pickles and sauces during 1969-70, 1970-71 and 1971-72 stood at Rs. 104.23 lakhs, 110.24 lakhs and 98.09 lakhs respectively.

उन के आयात को सरकारी अधिकार में लेना

2709. **श्री डी० पी० जदेजा:** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊन का आयात गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयात को अपने अधिकार में लेने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । वूल टापस, ऊनी चीथड़ों, शाडी तथा वूल वेस्ट सहित ऊन के आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० (विदेश व्यापार मंत्रालय के नियंत्रण में काम करने वाला एक सरकारी उपक्रम के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

चार प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने के लिए एयर इंडिया द्वारा किया गया अध्ययन

2710. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया कई वर्षों से हवाई अड्डों पर वर्तमान अपर्याप्त सुविधाओं के प्रति चिंता प्रकट करता रहा है ;

(ख) क्या एयर इंडिया ने देश में चार प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की आवश्यकता का अध्ययन किया है और समय-समय पर सरकार को सुविधाओं में सुधार करने का सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस बीच प्रस्तावों की जांच की है ; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) . एयर इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के विषय में समय समय पर सुझाव प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त भी, सरकार चारों विमानक्षेत्रों का उच्चतम अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुरूप विकास करने के लिये सब आवश्यक उपाय कर रही है, और इस प्रयोजन के लिए एक भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना की गयी है।

पांचवीं योजना में निर्यात में होने वाली वृद्धि की संभावित दर

2711. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ; और

(ख) संभावित वृद्धि दर को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया दृष्टिकोण दस्तावेज सरकार के विचाराधीन है। इस दस्तावेज को अंतिम रूप दिये जाने पर इसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बंगलादेश से होने वाले वस्तुविनिमय व्यापार में कमी

2712. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच होने वाले 50 करोड़ रुपये के वस्तु विनिमय व्यापार में दोनों ओर 5.5 करोड़ रुपये के व्यापार की कमी होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और उसका कारण क्या है ; और

(ग) व्यापार में आई इस कमी को पूरा करने के लिए दोनों सरकारों का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : स्टेट बैंक आफ इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमित भुगतान करार के अंतर्गत

31 अक्तूबर, 1972 तक की कई संविदाओं से पता चलता है कि बंगलादेश को निर्यात संबंधी संविदाएं 12.55 करोड़ रुपये की और आयात संबंधी संविदाएं 5.55 करोड़ रुपये की हुई हैं। उसके बाद पटसन के आयात के लिए एक संविदा की गई है जिससे बंगलादेश से आयातों संबंधी संविदाओं की कुल राशि 12.70 करोड़ रुपये हो गई है।

2. अनुपयुक्त परिवहन सुविधाओं और अन्य संस्थागत कठिनाइओं से व्यापार प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो गई है।

3. पूर्व बंगाल (बंगलादेश) और पाकिस्तान के बीच अंतःक्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप भारत और बंगलादेश के बीच माल वहन के परम्परागत साधनों में उत्तरोत्तर कमी आई और 1965 में पूर्णतः विछिन्न हो गये। इन परिवहन प्रबंधों की फिर से व्यवस्था करना ही एक बहुत बड़ा कार्य है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुई हानियों से यह कार्य और भी दृष्कर हो गया है।

4. जिन 17 केन्द्रों से गतावधि में भारत को मछली का निर्यात किया जाता रहा है उनमें से 14 पर पैकिंग, पशीक्षण (वर्फ) और परिवहन की सुविधाएं जुटाने में भी कठिनाई रही है। बंगलादेश में परिवहन संबंधी कठिनाइयों पर काबू पाने की दृष्टि से मछली के परिवहन के लिए भारतीय मार्गों का उपयोग किया जा रहा है। मछली व्यापार से संबंधित पारस्परिक समस्याओं का दोनों सरकारों के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है। यह आशा की जाती है कि परिवहन सुविधाओं, वर्ष आदि की सप्लाई के प्रबंधों में सुधार हो जाने पर व्यापार परिमाण में वृद्धि होगी। बंगलादेश सरकार के साथ परामर्श करके सप्लाई केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के प्रबंध कर लिए गए हैं। किये गये उपायों के फलस्वरूप, यह आशा की जाती है कि आयात स्तर में पर्याप्त वृद्धि होगी वशर्ते कि बंगलादेश में मछली ऐसी दरों पर उपलब्ध होती रही जिससे कि मछली की बिक्री कलकत्ता तथा अन्य बाजारों में उचित मूल्यों पर की जा सके। फिर भी चूंकि मछली व्यापार अक्तूबर, 1972 में ही शुरू हुआ है अतः आयातों में लगभग 5 करोड़ रुपये से 6 करोड़ रुपये तक की गिरावट आ जाएगी।

5. अभी यह अनुमान लगाना कठिन है कि चालू व्यापार वर्ष---मार्च, 1973 के अंत तक सीमित भुगतान करार के अंतर्गत कितने वास्तविक आयात व निर्यात होंग।

6. हार्डिंग पुल के फिर से खुल जाने, अंतर्देशीय जलमार्ग सेवाओं के पुनः शुरू होने और दोनों देशों में व्यापारिक परिस्थितियों के संबंध में बढ़ती हुई जानकारी से यह आशा बनती है कि शेष चार महीनों के दौरान पिछले आठ महीनों की तुलना में वास्तविक आयात व निर्यात अच्छा रहेगा।

एशियाई मेला में उद्घाटन के समय अधूरे मंडप

2713. **डा० रानेन सेन :**

श्री समर गुह :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा मेले का उद्घाटन करते समय राजधानी में लग रहे

एशियाई मेले में बहुत से मण्डप तैयार नहीं थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की उस के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) प्रधान मंत्री द्वारा एशियाई मेले के उद्घाटन के समय प्रदर्शनी के 100 मंडपों में से 11 मंडप तैयार नहीं थे।

(ख) उनके पूरे होने में देरी का कारण था मंडप के निर्माण में देरी और आंतरिक प्रदर्शन कार्य के पूरा होने में देरी। तथापि, इस मंडपों में से अधिकांश उद्घाटन के 3 दिन के भीतर तैयार हो गये थे।

'इकाफे' देशों को निर्यात

2714. **डा० रानेन सेन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'इकाफे' के क्षेत्र में आने वाले देशों में भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या इन कदमों के उठाने के परिणामस्वरूप इन देशों को किये जाने वाले भारतीय वस्तुओं के निर्यात में गत कुछ वर्षों में कोई वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) 'इकाफे' देशों के साथ भारतीय व्यापारिक सम्बन्धों का विकास करने के लिए सरकार का विचार और आगे क्या कदम उठाने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) : विभिन्न संवर्धनात्मक उपायों के माध्यम से भारतीय माल की प्रतियोगिता क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयास निरन्तर जारी रहते हैं। निर्यातों के लिए सामान्य तौर पर दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा, इकाफे क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले देशों को हमारे निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये गए हैं :—

(1) इन देशों के कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार व्यवस्था, पावर, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सुधार लाने हेतु विकास योजनाओं का अध्ययन उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है जिनमें भारत पूंजीगत माल, उपस्कर, मशीनों, अन्य सामग्री और परामर्शी सेवाओं की सप्लाई कर सकता है।

(2) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों से भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी वाणिज्यिक जानकारी भारत में व्यापारी वर्ग को समय समय पर परिचालित की जाती है। जहां कहीं आवश्यकता होती है, इस मंत्रालय, संबंधित निर्यात

संबंधन परिषदों और वस्तु बोर्डों भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आदि द्वारा देश सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण और वस्तु सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

(3) वर्मा तथा कम्बोडिया जैसे देशों में आयात व्यापार राष्ट्रीयकृत है। इन देशों में से अधिकांश ए० डी० बी०, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्गठन तथा विकास बैंक आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वितपोषण निकायों से ऋण प्राप्त करते हैं। इन ऋणों के अन्तर्गत और साथ ही राष्ट्रीय कृत संगठनों द्वारा जारी की जाने वाली विश्वव्यापी निविदाएं भारत में व्यापारी वर्ग को व्यापक रूप से परिचाललित की जाती हैं। महत्व-पूर्ण निविदाओं के संबंध में विदेशों में स्थित हमारे मिशनों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है और पात्र समझे जाने वाले मामलों में विशेष परियोजना सहायता भी दी जाती है।

(4) इन देशों में स्थानीय उद्यमियों के सहयोग से संयुक्त उद्यम निरन्तर बढ़ रहे हैं। इन उद्यमों के फलस्वरूप भारत से पूंजीगत उपस्कर, मशीनों, फालतू पुर्जों आदि और साथ ही तकनीकी और प्रबंधकीय जानकारी के निर्यात के लिए अवसर मिलते हैं।

(5) इन दिनों भारतीय निर्यातकों में इन देशों के साथ व्यापार करने में रुचि बढ़ती रही है। भारतीय उत्पादों के लिए बाजार तलाश करने के प्रयोजनार्थ गत कुछ वर्षों में राज्य सरकारों, व्यापार संगमों आदि से अनेक प्रतिनिधि-मंडलों ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का दौरा किया। जापान, फिलीपाइन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया आदि से सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिनिधि-मंडलों ने भी भारत का दौरा किया। अपनी यात्रों के दौरान इन प्रति-निधिमंडलों को औद्योगिक विकास में की गयी प्रगति और इन देशों की विकास योजनाओं के लिए मशीन और उपस्कर, जानकारी आदि संबंधी आवश्-यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता और सामर्थ्य की मूल जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला।

(6) हाल में, अमरीकी सरकार और कुछ अन्य पश्चिमी देशों ने ऋण (परियो-जना संबंधी और गैर-परियोजना संबंधी दोनों) अनावद्ध किये हैं जिनसे भारत को विकासशील देश के रूप में प्रतिस्पद्र्धा करने का अवसर मिला है। ऐसे अवसरों की जानकारी भावी निर्यातकों को लेने के लिए मिशनों के साथ बराबर संपर्क बनाये रखा जा रहा है।

(7) इकाफे क्षेत्र के अन्य अनेक देशों के साथ भारत अन्त :क्षेत्रीय व्यापार विस्तार के लिए क्षेत्रीय योजनाओं के विकास में भाग ले रहा है और साथ ही वाणि-ज्यिक तथा परिवहन अवस्थापना के विकास के लिए भी इन योजनाओं में भाग ले रहा है जिससे इस प्रकार का विस्तार हो सकेगा।

(8) इस समय देश में चल रहे तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का प्रयोजन अन्य बातों के साथ साथ भारत की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रगतियों का

स्वरूप प्रस्तुत करना है और फलस्वरूप विशेषत: इकाफे क्षेत्र के देशों के संबंध में अपनी निर्यात संभाव्यताओं को बढ़ाना है।

(ख) तथा (ग). इकाफे क्षेत्र के देशों को भारत के निर्यात नीचे दिये गए हैं :—

	मूल्य लाख रु० में
1966–67	24266
1967–68	27191
1968–69	34304
1969–70	37915
1970–71	41080
1971–72	38510

1971–72 के दौरान निर्यातों में गिरावट का मुख्य कारण जापान के इस्पात उद्योग में मन्दी का आना है।

टेलीविजन सेट चोरी-छिपे भारत में लाना

2715. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब विदेशों में निर्मित टेलीविजन सेट चोरी-छिपे भारत लाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या सीमाशुल्क निवारक कलक्टरी की आसूचना शाखा ने बम्बई में 10 अक्तूबर, 1972 को रात को जापान में निर्मित 188 टेलीविजन सेट जब्त किये हैं ;

(ग) क्या तस्करों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हाल के विगत समय में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विदेश में बने टेलिविजन सेटों का जो अभिग्रहण किया गया है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हाल में देश में टेलीविजन सेटों का तस्कर आयात हुआ है।

(ख) बम्बई सीमाशुल्क गृह के अधिकारियों ने 12 अक्तूबर, 1972 को जापान में निर्मित 188 टेलीविजन सेट पकड़े।

(ग) तथा (घ) अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं और आगे जांच पड़ताल जारी है।

Complaints against Companies under Shri R. P. Goenka

2716. Shri Phool Chand Verma:

Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state:

(a) the names of Companies belonging to Shri R. P, Goenka and his relatives;

(b) whether Government have received complaints against them; and

(c) if so, the nature of complaints received in each case?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy): (a) The reference in the question presumably is to Goenka group as composed by the Monopolies Inquiry Commission in 1964 and as recognised by the ILPIC Report of 1969. The names of the Companies belonging to the said house is given in the attached statement. [*Placed in Library. See* No. L. T. 3885/72]

(b) and (c). Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Foreign Capital Investment in Big Industries

2717. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Finance** be pleased to state the percentage of foreign capital invested in big industries in the country and the percentage of dividend which remains in the country itself?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chauvan): Precise information in regard to the percentage of foreign capital investment in big industries in the country and the percentage of dividend retained in the country itself is not available. However the outstanding foreign private investments under broad industrial groups, as at the end of March 1969, is given in the Table below:—

Broad industrial group	Outstanding foreign private investment (Rs. crores)	In percentage to total outstanding foreign private investments
Plantations	122.3	10%
Mining	9.4	1%
Petroleum	193.3	15%
Manufacturing	655.8	52%
Services	272.0	22%
Total:	1252.8	100%

During the year 1968-69 in case of foreign controlled companies the share of profits allocable to non-resident interests in such companies was of the order of Rs. 42.9 crores of which Rs. 17.4 crores was retained in India. In terms of percentage the profits retained worked out as 41% of the total profits allocable to non-residents.

केरल राज्य के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना

2718. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केरल के अन्दर ही 3.30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त

संसाधन जुटाने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के सुझाव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केरल सरकार ने क्या तर्क दिये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारत–बंगला देश व्यापार

2719. **श्री समर गुह**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा की सरकारों ने अपने राज्यों में भारत–बंगला देश व्यापार के कार्यालय खोलने, इन कार्यालयों को चलाने के लिए अपने क्षेत्रों से कर्मचारियों की भर्ती करने तथा पूर्वी भारत की राज्य सरकारों द्वारा बंगला देश से किये गये व्यापार करार को क्रियान्वित करने में अधिक सहयोग दिये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख). सीमित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत बंगला देश से आयात तथा बंगला देश को निर्यात के लिए आवेदन पत्र आयात–निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, कलकत्ता को भेजने होते हैं। मेघालय सरकार की ओर से अनुरोध किये जाने पर शिलांग में आयात–निर्यात नियंत्रक को उपेक्षित शक्तियां सौंपी गयी हैं कि वह बंगला देश के साथ व्यापार संबंधी आयात–निर्यात के उन आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करे जो उसके अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत के आवेदकों से प्राप्त हों।

वित्त मंत्री की विभिन्न देशों की यात्रा

2721. **श्री समर गुह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन महीनों में उनकी विभिन्न देशों की यात्रा के क्या कारण थे;

(ख) क्या उन्होंने इस अवसर का लाभ उठा कर अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने और विदेशी ऋणों पर व्याज का भुगतान स्थगित कराने के लिए भी प्रयास किये; और

(ग) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम रहा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) मैं, सितम्बर 1972 में लन्दन में आयोजित राष्ट्रमण्डल के वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए ब्रिटेन और वाशिंगटन में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए अमरीका गया था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के बाद मैं जापान सरकार के नियन्त्रण पर पारस्परिक हितों के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए अक्टूबर 1972 में जापान गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इन यात्राओं से, अन्तराष्ट्रीय मुद्रा सुधार, कुछ चुने हुए क्षेत्रों में, आर्थिक सहयोग ऋण राहत आदि जैसे मुख्य आर्थिक प्रश्नों पर सामान्य विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिलता है। इनसे देश को किसी प्रकार के तात्कालिक अथवा विशेष लाभ की अपेक्षा नहीं है।

विदेशों से वित्तीय सहायता

2722. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) समाजवादी देशों (कामिकान), अन्य यूरोपीय देशों, अमरीकी तथा एशियाई देशों से चालू वर्ष में उपलब्ध आर्थिक सहायता की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या अमरीका के भारत के प्रति वर्तमान रवैये के कारण रूस तथा दूसरे साम्यवादी देशों से भारत को वित्तीय सहायता में वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) चालू वर्ष में समाजवादी देशों (कामिकान) के साथ किसी नये करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, लेकिन पहले से किये गये करारों के अन्तर्गत इन देशों से मिलने वाली सहायता का उपयोग किया जा रहा है। जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है, निम्नलिखित देशों के साथ कुल 29.976 करोड़ डालर की रकम के लिए करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं :—

देश	रकम करोड़ डालरों में
आस्ट्रिया	0.240
बल्जियम	0.500
कानडा	4.690
डेनमार्क	0.570
फ्रांस	3.700
नीदरलैण्ड	2.100
स्वीडन	5.281
ब्रिटेन	10.700
संयुक्त राज्य अमेरिका (निर्यात आयात बैंक)	2.195
	29.976

इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में विश्व बैंक से संबंध आसान शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, के साथ 19.1 करोड़ डालर के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ख) भारत को रूस और अन्य साम्यवादी देशों से पहले से किये गये करारों के अन्तर्गत और इन देशों के साथ किये गए वार्षिक व्यापार योजना करारों के अंग के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।

एयर इंडिया के विमानों में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में रिक्त स्थानों की संख्या

2723. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छह महीने में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में एयर इंडिया के विमानों में औसतन कितने रिक्त स्थान पाये गये थे?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

उत्तर बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंको की शाखाएं खोलना

2724. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर बिहार के जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी नयी शाखाएं खोली गयी और चौथी योजना के अन्त तक प्रत्येक जिले में कितनी शाखाएं और खोली जानी हैं ; और

(ख) उत्तर बिहार के जिलों में, शेष समस्त बिहार में तथा सम्पूर्ण देश में प्रति व्यक्ति कितना कितना ऋण दिया गया और कितने कितने डिपाजिट प्राप्त हुए तथा बिहार के पिछड़े हुए जिलों को शेष देश के स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पिछले 3 वर्षों में पहली अर्थात अक्टूबर 1969 से 30 सितम्बर, 1972 तक 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उत्तर बिहार के 6 जिलों में 50 शाखाएं खोली थीं। इन जिलों में 12 और कार्यालय खोलने के लिए उनके पास लाइसेंस विचाराधीन हैं। इन कार्यालयों के 1972–73 के दौरान खोले जाने की आशा है। वाणिज्यिक बैंकों की शाखा विस्तार कार्यक्रम पंचवर्षीय आयोजना के साथ साथ नहीं चलता।

(ख) आंकड़ों सम्बन्धी अपेक्षित सूचना, जिस सीमा तक उपलब्ध हो सकी है, जून 1971 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, संलग्न विवरण में दी गयी है। पिछड़े और कम बैंक वाले क्षेत्रों में जिनमें उत्तर बिहार के क्षेत्र भी शामिल हैं, शाखाएं खोलने, जमा के लिए रकमें जुटाने और देश में बैंककारी सुविधाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय

असंतुलन को कम करने के लिए सरकार की नीतियों के अनुसार विशेष रूप से अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण वितरण की ओर सरकारी क्षेत्र के बैंक अधिक ध्यान दे रहे हैं।

विवरण

	काम कर रहे कार्यालयों की संख्या	जमा रकमें		बैंक ऋण	
		सूचना देने वाले कार्यालयों की संख्या	प्रतिव्यक्ति जमा रकमें @	सूचना देने वाले कार्यालयों की संख्या	प्रतिव्यक्ति बैंक ऋण
			रु०		रु०
बिहार	452	395	44.2	379	13.3
उत्तर बिहार	160	134	14.5	120	9.6
शेष बिहार	292	261	66.5	259	16.1
अखिल भारत	11872	11278	111.8	10863	84.0

@ 1971 की जनगणना पर आधारित

साड़ियों का निर्यात

2725. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत निर्मित साड़ियां विदेशों में लोकप्रिय हो रही हैं ;

(ख) क्या भारत से साड़ियों का निर्यात किया जाता है और यदि हां, तो किन देशों को ; और

(ग) गत दो वर्षों में साड़ियों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और चालू वर्ष मे निर्यात का रुख कैसा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). भारत निर्मित साड़ियों का निर्यात एशिया तथा अफ्रीका के कुछ देशों को किया जा रहा है। प्रमुख आयातक सूडान, बंगला देश, मलयेशिया, मारीशस, सऊदी अरब तथा सिंगापुर हैं।

(ग) वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 में साड़ियों के निर्यात से क्रमशः 95.6 लाख रु० तथा 55.3 लाख रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी। चालू वर्ष में साड़ियों के निर्यात की प्रवृत्ति उत्साहवर्धक है।

विदेश फिल्मों के आयात के सम्बन्ध में वर्तमान नीति

2726. **श्री विक्रम महाजन**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी फिल्मों के आयात के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है और सितम्बर–अक्तूबर, 1972 में कितनी विदेशी फिल्मों का आयात किया गया तथा किन देशों से?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): अब से सभी विदेशी रूपक फिल्में, राज्य व्यापार निगम द्वारा, जिसके माध्यम से आयात मार्गीकृत किए जा चुके हैं, आयात की जाएगी। सितम्बर–अक्तूबर 1972 में आयातित फिल्मों के सम्बन्ध में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है और वह एकत्र की जा रही है।

चमड़े के सामान के लिए मन्डियां खोलने के लिए भेजा गया प्रतिनिधिमंडल

2727. **श्री जी० वाई० कृष्णन**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चमड़ा निर्यात संबर्धन परिषद ने चमड़े और चमड़े के सामान के लिए मंडियां खोलने के लिए एक प्रतिनिधिमंण्डल ब्रिटेन और पूर्वी यूरोपीय देशों को भेजा था;

(ख) क्या सितम्बर, 1972 में पेरिस में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले में किसी प्रतिनिधि ने भाग लिया था; और

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मेले में हमारा योगदान कैसा रहा तथा विश्व बाजार में हमने कितनी प्रगति की?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) इस वर्ष चमड़ा निर्यात संबर्धन परिषद्, मद्रास से एक प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन तथा पश्चिम यूरोपीय देशों का दौरा किया था। पूर्वी यूरोपीय देशों को कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया।

(ख) सितम्बर, 1972 में पेरिस में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले में चमड़ा निर्यात संबर्धन न परिषद, मद्रास तथा तैयार चमड़ा और चमड़ा निर्मित वस्तुओं की निर्यात संबर्धन परिषद, कानपुर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ग) मेले में स्थल पर ही प्रचुर क्रयादेश प्राप्त किये गये। विश्व बाजार में चमडा निर्यात क्षेत्र में हमारी प्रगति संतोषजनक है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आर्थिक गतिविधियों के कुछ क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए राज्य सरकारों की गारण्टी

2729. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंत्रीकृत नौकाओं से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जैसे कुछ आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकरण से पहले की तरह, राज्य सरकारों की गारण्टी पर निरन्तर बल दे रहे हैं ;

(ख) क्या वित्तीय जोखिम वाले सभी क्षेत्रों में यही प्रक्रिया व्यवहार में लायी जाती हैं ; और

(ग) क्या राज्य की उक्त प्रक्रिया अथवा केन्द्रीय सरकार की गारण्टी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य में सहायक पायी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) से (ग). राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विभिन्न विशेष कारणों से पहले कुछ मामलों में राज्य सरकार की गारण्टी लेने के बाद कृषि क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं के लिये वित्त प्रबन्ध किया था। इनमें से कुछ योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित की थीं। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद, इन बैंकों की ऋण देने की नीति में निश्चित परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रीयकृत बैंक सामान्यत: राज्य सरकार की गारण्टी पर जोर नहीं देते हैं और तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक सक्षमता और उसके परिणामस्वरूप (उत्पादन से आय में होने वाली वृद्धि पर विचार करने के बाद) ऋणकर्ता की पुनर्अदायगी की क्षमता के बारे में सन्तुष्ट होने के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिये वित्त प्रबन्ध करते हैं।

उत्तर तथा दक्षिण कनारा में लीड 'बैंकों' का कार्यकरण

2730. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर तथा दक्षिण कनारा के जिलों में कौन-कौन से लीड बैंक है ;

(ख) लीड बैंकों की योजना आरम्भ होने से पूर्व इन जिलों में लीड बैंकों से कृषि कार्यों के लिये ऋण लेने वाले कुल कितने व्यक्ति थे और योजना के बाद से अब तक की स्थिति क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में बैंकों के जो लक्ष्य हैं क्या यह प्रगति उनके अनुरूप है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रगति संतोषजनक है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सिण्डीकेट बैंक उत्तरी कन्नड़ और दक्षिणी कन्नड़ दोनों जिलों में (लीड) बैंक हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) और (घ). बैंक विभिन्न क्षेत्रों में दिये जाने वाले अग्रिमों के लिये अपने सामने पूर्वतः निश्चित कोई लक्ष्य नहीं रखते हैं। वे ऋणकर्ताओं द्वारा अपनी उत्पादनकारी आवश्यकताओं के लिये भेजे गये, आर्थिक दृष्टि से सक्षम प्रस्तावों के सम्बन्ध में उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण लेने वाले के खाते

2731. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के पहले तथा राष्ट्रीयकरण के बाद इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण लेने वालों के कितने खाते हैं ; और

(ख) राष्ट्रीयकरण से पहले और राष्ट्रीयकरण के बाद इस समय कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5000 रुपयों से कम का उधार लिया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीयकरण के पूर्व की अवधि के लिए हाल के उपलब्ध आँकड़े 31 मार्च, 1968 के हैं। इन आँकड़ों के अनुसार उस तारीख को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास ऋण खातों की कुल संख्या 4,52,782 थी। जहाँ तक राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि का संबंध है आँकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। सम्भव सीमा तक इन्हें इकट्ठा किया जायगा और सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

(ख) 5,000 रुपये तक के ऋण खातों की संख्या का अलग से ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विशेषताएं

2732. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक राष्ट्रीयकरण से पहले इन बैंकों तथा अन्य वर्तमान अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है की तुलना में वित्तीय कार्यकलाप के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्या विशेषताएं हैं ; और

(ख) क्या इन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारत के 5 लाख गांवों में से प्रत्येक गांवों के कम से कम एक ग्रामीण किसान अथवा कारीगर को वित्तीय सहायता दी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य की मुख्य विशेषता यह है कि उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा सामाजक-आर्थिक उद्देश्यों

की प्राप्ति में, जो देश ने अपने समक्ष रखे हैं, अपनी भूमिका में नयी जागृति को कार्यरूप दिया है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत देशभर में एकीकृत और अधिक संतुलित बैंक व्यवस्था का जाल विछाने, विशेषकर अर्थ व्यवस्था के और देश के अब तक उपेक्षित क्षेत्रों और प्रदेशों में उत्पादक प्रयासों को प्रोत्साहन देने, समाज के कमजोर वर्गो को ब्याज की रियायती दरों पर कर्ज देकर भी और सामान्य रूप से अपनी नीति इस तरह पुर्ननिर्धारित करने-जहाँ पहले की भाँति लाभ और प्रतिभूति के विचार की अपेक्षा प्रस्ताव का आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना ही निर्णयक बात है, के संबंध अधिक शक्ति लगा रहे हैं।

(ख) देहाती और शहरी क्षेत्रों के बीच कृषि और कामगरों को दिये गये ऋणों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह माना जा सकता है कि अधिकृतर कृषि अग्रिम देहाती क्षेत्रों में दिये गये हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषिक ऋण खालों की संख्या जो जून 1969 में 1.6 लाख थी बढ़ कर जून 1972 में 1.25 लाख हो गयी है जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रत्येक गाँव में औसतन एक किसान से अधिक को वित्तीय सहायता दी गयी है।

बैंकों द्वारा वित्तपोषित छोटे पैमाने के कामगरों की संख्या का ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता क्यों कि ये खाते लघु उद्योग/स्वनियोजित और पेशेवर व्यक्तियों के वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

आमों का निर्यात

2733. **श्री दशरथ देव**: क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) वर्ष 1972–73 में आमों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) भारत के आम का सबसे बड़ा खरीदकार कौन सा देश है ; और

(ग) भारत से कितने देश आम का आयात करते हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी जार्ज): 1972–73 (मई 1972 तक) के दौरान 51.67 लाख रु० के मूल्य के आमों का निर्यात हुआ था।

(ख) 1970–71 तथा 1972–73 (मई तक) वर्षों के दौरान कुवैत भारतीय आमों का अकेला सबसे बड़ा क्रेता देश था। 1971–72 के दौरान ब्रिटेन अकेला सबसे बड़ा क्रेता देश था।

(ग) लगभग 34 देश।

देश में पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

2734. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह संस्थान कहां स्थापित किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

स्वीडन के विदेश व्यापार मंत्री से हुई बातचीत

2735. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन के विदेश व्यापार मंत्री ने नवम्बर, 1972 के दूसरे सप्ताह में भारत का दौरान किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनसे किन विषयों पर बातचीत हुई ; और

(ग) क्या निर्णय लिये गये ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य-सूचकांक की गणना

2736. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंहगाई भत्ता देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य-सूचकांक की गणना करते समय किन-किन वस्तुओं को लिया जाता है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हाल की में दी गई अन्तरिम सहायता से बढ़ी हुई कीमत कितने प्रतिशत तक निष्प्रभाव हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आवश्यक सूचना, श्रम ब्यूरो शिमला से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) अन्तरिम राहत की तीसरी किस्त की मंजूरी की सिफारिश करते समय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में (जिसकी एक प्रति पहले ही सदन-पटल पर रखी जा चुकी है) यह संकेत नहीं दिया है कि उससे विभिन्न वेतन श्रेणियों के न्यूनतम स्तरों के लिये मूल्य वृद्धि का कितना प्रभावी निराकरण करना चाहा है। आयोग के भतानुसार, अन्तरिम राहत की तीसरी किस्त, केवल, जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिये है।

विदेश परामर्शदाताओं/ठेकेदारों को दी गयी गारन्टी की राशि

2737. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्यूबे इण्डिया लिमिटेड, बोकारो स्टील लिमिटेड और राज्य व्यापार निगम से सम्बन्धित करारों / स्वीकृति-पत्रों की शर्तों के अनुसरण में भुगतान दायित्वपूर्ण करने के लिये विदेशों में विदेशी परामर्शदाताओं और ठेकेदारों को दी गयी गारण्टी की राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) ऐसी कितनी-कितनी राशि किन-किन पार्टियों की ओर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : राज्य व्यापार निगम के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। ट्यूबें इंडिया लिमिटेड और बोकारो स्टील लिमिटेड के सम्बन्ध में सूचना इकठ्टी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

भारती राज्य व्यापार निगम लिमिटेड से सम्बन्धित सामग्री

क—- **राज्य व्यापार निगम**

(क) आस्थगित अदायगी पर प्राप्त माल के सम्बन्ध में गारण्टी की राशि का मूल्य	2.87 करोड़ रुपये
(ख) आज तक की बकाया रकम	1.62 करोड़ रुपये

पार्टी-वार ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

पार्टी का नाम	**बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)**
1. मै० फटेली प्रा फ्रांची, इटली	0.52
2. मै० इतालीविस्कोसा इस्टर्न ट्रेडिंग कम्पनी, इटली	0.58
3. मै० वैम्वर्ग, इटली	0.04
4. बोंविरिनी परोडी बेलफिनो, इटली	0.06
5. अजरोसी मंगेली, इटली	0.05
6. अनीक, इटली	0.09
7, सोसीटा फोडियाटोसी, इटली	0.28
	1.62

गारण्टी का प्रयोजन ; आर्ट सिल्क यार्न के सम्बन्ध में आस्थगित आधार पर प्राप्त माल की अदायगी करना है।

ख––परियोजना और उपकरण निगम (राज्य व्यापार निगम की सहायक)

गारण्टी अदायगी	मिडलैंड बैंक, ब्रिटेन
अधिकतम गारण्टी की राशि	61,01,793 पौंड स्टर्लिंग (8,14,98,598 रुपये)
31–3–72 को बकाया राशि	26,92,458 पौंड स्टर्लिंग (5,12,94,700 रुपये)
25–11–72 को बकाया राशि	23,87,373 पौंड स्टर्लिंग (4,54,82,451 रुपये)
प्रयोजन	सूती वस्त्र की मशीनों के आयात के लिए

ऊंचे ग्रेड के लौह अयस्क के लिए मंडियां खोलने के लिए पश्चिम यूरोपीय देशों को खनिज तथा धातु व्यापार निगम का प्रतिनिधिमंडल

2738. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया गया लोह अयस्क का कुल निर्यात 1970–71 में किये गये लोह अयस्क के कुल निर्यात से कम था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या पश्चिम यूरोपीय मण्डी में ऊंचे ग्रेड के लौह अयस्क की बिक्री की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हाल में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कोई प्रतिनिधिमण्डल भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य कौन-कौन थे तथा भारतीय और विदेशी मुद्रा में उस पर कुल कितना खर्च किया गया तथा प्रतिनिधिमण्डल को क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। इस्पात के विश्व उत्पादन में मंदी, मद्रास पत्तन पर हड़ताल, परादीप पत्तन पर चक्रवात के कारण अव्यवस्था तथा पाकिस्तान के आक्रमण के कारण रेल यातायात तथा पोत लदान में विघटन कमी के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे।

(ख) तथा (ग) . जी हां। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने एक व्यक्ति प्रतिनिधि मंडल भेजा था। विदेशी मुद्रा के रूप में कुछ व्यय लगभग 13,000 रुपये (680 पौंड) हुआ। भारतीय मुद्रा के रूप में स्वीकृत की गई व्यय की राशि 12,811,95 रुपये

है। पश्चिम यूरोपीय देशों में कई संभाव्य क्रेताओं के साथ संबंध स्थापित किये गये तथा इस प्रकार स्थापित किये गये सम्पर्कों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है लेकिन इन प्रयासों के परिणाम निकलने में कुछ समय लगेगा।

लौह और मेंगनीज अयस्कों के निर्यात के लिए विदेशों/विदेशी फर्मों के साथ खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किए गए दीर्घावधि ठेके

2739. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 से अक्तूबर, 1972 तक की अवधि में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह और मैंगनीज अयस्कों के निर्यात के लिए विदेशों / विदेशी फर्मों के साथ कितने दीर्घावधि ठेके किए गए ;

(ख) उन पार्टियों के नाम क्या हैं और पार्टी-वार कितने अयस्कों के निर्यात के ठेके किए गए हैं ; और

(ग) इन में से यदि कोई ठेके समाप्त कर दिए गए हैं तो वे कितने हैं और ऐसे प्रत्येक ठेके समाप्ति के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चौदह।

(ख) जिन देशों के साथ संविदाएं सम्पन्न की गई उनको दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। पार्टियों के नाम बताना निर्यातों के दीर्घकालीन हित में नहीं है।

(ग) कोई भी नहीं।

विवरण

देश	वर्ष	मात्रा लाख डी० एल० टी० में		सुपुर्दगी की अवधि
1	2	3	4	5
(क) लोह अयस्क		पुख्ता	वैकल्पिक	
1. रूमानिया	1969	80.0	140.0	1971 से 1980 तक के बीच
2. जापान	1969	9.25	—	1-10-70 से 30-9-75
		डी.एम.टी		,,
		8.25	—	
3. जापान	1970	23.50	3.00	1-4-70 से 31-3-74
		6.00	1.50	,,
4. जापान	1970	612.6	—	1-4-71 से 30-4-80
5. पोलैंड	1970	13.0	11.0	जून 1972 से मई 1976 तक के बीज

1	2	3	4	5
6. तैवान	1972	2.60/ 5.20/ 3.20/ (गोन) 6.40	—	1-1-75 से 31-5-78 ,,
7. दक्षिण कोरिया	1972	6.30	5.10	1-2-73 से 31-12-77

देश	वर्ष	मात्रा लाख मे. टन. में		सुपुर्दगी की अवधि
(ख) मैगनीज अयस्क		पुख्ता	वैकल्पिक	
1. जापान	1960	1.5	—	1970 से 1973
2. जापान	1969	2.7	—	अक्तूबर 69 से मार्च '73
3. जापान	1970	6.0	—	अप्रैल 70 से मार्च '75
4. जापान	1971	1.35	—	1971–1973
5. जापान	1971	1.5	—	सितम्बर '72 से दिसम्बर 73
6. चैकोस्लोवाकिया	1971	1.995	0.4	सितम्बर '71 से दिसम्बर '74
7. जापान	1972	3.0	—	अप्रैल '73 से मार्च '78

नेशनल एन्ड ग्रिन्डलेज बैंक के विदेशी शेयरधारी

2740. **श्री ज्योतिमय बसु**: क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक के मुख्य-मुख्य विदेशी शेयर धारी कौन-कौन हैं तथा इनमें प्रत्येक के कितने शेयर हैं;

(ख) एक जनवरी, 1961 से अब तक इस बैंक ने भारत में अपने संचालन के लिये अपने मुख्यालय से कुल कितनी पूंजी मंगाई ; और

(ग) जनवरी, 1961 से अब तक इस बैंक ने प्रत्येक मद अर्थात् मुख्यालय व्यय, लाभ, लाभांश आदि के अन्तर्गत मुख्यालय को कितनी राशि भेजी है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) चूंकि नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड विदेश में निगमित कम्पनी है इसलिए इसकी भारतीय शाखाओं के लिये अलग शेयर पूंजी नहीं है। बैंक द्वारा भारत की शाखाओं के सम्बन्ध में अपने तलपट में पूंजी के रूप में दिखाये गये आंकड़े कानूनी जमा रकमों के द्योतक हैं जिन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(2) के अन्तर्गत विदेशी बैंकों को रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना पड़ता है। 31 दिसम्बर, 1971 को यह राशि 1.72 करोड़ रुपये थी।

(ख) भारत में कार्य करने वाले विदेशी बैंकों को भारतीय व्यवसाय में विदेशी रकम लगानी पड़ती है जो भारत में उनकी जमा रकमों के 3.5 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए जिसे भारतीय व्यवसाय में लगायी गयी उनकी अपनी पूंजी मानी जाती है। नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा लगाई गई ऐसी पूंजी 21 दिसम्बर, 1971 को 6.60 करोड़ रुपये थी जो तब से बढ़कर 9.90 करोड़ रुपये हो गयी है।

(ग) नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा मुख्य कार्यालय को प्रेषित लाभ की रकम और मुख्य कार्यालय के खर्च 1966 से 1971 तक इस प्रकार हैं :—

(हजार रुपयों में)

वर्ष	लाभ	मुख्य कार्यालय का व्यय
1966	67,39	43,10
1967	80,50	50,78
1968	74,97	58,25
1969	99,77	78,41
1970	153,30	105,31
1971	112,43	85,34

1966 से पहले के ऐसे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा नई शाखाएं खोलना

2741. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1961 से नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक ने कुल कितनी नई शाखाएं खोली हैं और उनमें से ग्रामीण अथवा बैंक रहित क्षेत्रों में कितनी शाखाएं खोली हैं; और

(ख) वर्ष 1960, 1969 तथा 1971 में इसके डिपाजिट तथा अग्रिम राशियां क्या थीं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पहली जनवरी 1961 से नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड ने भारत में 26 नई शाखाएं खोली हैं।

(ख) वांछित सूचना नीचे दी गयी हैं :—

(लाख रुपयों में)

निम्न तिथि को	जमा रकमें	अग्रिम
31-12-60	6442,89	5946,87
31-12-69	23587,47	17884,22
31-12-71	29159,15	22402,08

नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा छिपे लाभ का उपयोग

2742. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक गारण्टियों पर कमाए छिपे लाभ को भारतीय व्यापार के लिए उपयोग करता है ; और

(ख) क्या किसी भी रूप में भारतीय खातों में प्रदर्शित किए बिना बैंक का लन्दन स्थित मुख्यालय इन लाभों को अन्य कार्यों में लगा देता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) और (ख). समय-समय पर किये गये निरीक्षणों के दौरान रिजर्व बैंक को ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला है, जिसमें नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक के लन्दन स्थित कार्यालय ने अपने छिपे हुए लाभों को किसी भी रूप में भारतीय खातों में प्रदर्शित किये बिना अन्य कार्यों में लगा दिया हो।

भारतीय व्यापार-गृहों द्वारा विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों का अधिग्रहण

2743. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार–गृहों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी नियंत्रण वाली कितनी कम्पनियां खरीदी ;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक भारतीय व्यापार-गृह ने कौन सी कम्पनियां खरीदी;

(ग) क्या अधिकांश मामलों में विदेशी नियंत्रण वाली इन कम्पनियों के बीजकों में गड़बड़ करके कमाए गए काले धन की सहायता से खरीदा गया ;

(घ) क्या विदेशी नियंत्रण वाली इन कम्पनियों में से कुछ कम्पनियों को विदेशों में स्थित नियंत्रक कम्पनियों (होल्डिग कम्पनीज) के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो एसे अधिगृहणों के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ङ.) कम्पनी अधिनियम, में विदेशी नियंत्रित कम्पनियों के उच्चारण की व्याख्या नहीं है। विदेशी बहु अंशधारिता कम्पनियों के सम्बन्ध में सूचना संग्रहित की जा रही है और वह सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक की गतिविधियां

2744. **श्री ज्यतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक के भारत–विरोधी स्पष्ट रवैये की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस बैंक ने 1958 में कश्मीर रहित भारत का एक मानचित्र प्रकाशित किया था, क्या 1965 में पश्चिमी मोर्चे पर भारत और पाकिस्तान संघर्ष में इस बैंक ने खुले पक्षपात का परिचय दिया था और क्या हाल ही में इस बैंक ने अपनी विश्व-भर की समीक्षा के फरवरी अंक में, जिसका नाम "नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड, रिव्यू" है, यह समाचार दिया था कि भारत और पाकिस्तान में चौथा युद्ध तब आरम्भ हुआ जब भारतीय सेनाएं "पूर्वी पाकिस्तान" में घुस गयी ; और

(ग) यदि हां, तो इस भारत-विरोधी बैंक को भारत में अपनी गतिविधियाँ क्यों जारी रखने दी जा रही हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख). नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक ने दो मानचित्र प्रकाशित किए थे—एक नेशनल ओवरसीज एण्ड ग्रिण्डलेज की 1958 की समीक्षा में और दूसरा 1958 में बैंक की 145 वीं रिपोर्ट में इन दोनों में से किसी में भी जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत का अंग नहीं दिखाया गया। जब सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से यह मामला उठाया तो नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक ने खद प्रकट किया और वर्ष 1959 के लिए बैंक के संचालन निदेशकों की रिपोर्ट में भूल सुधारने का बचन दिया। 1959 के लिए बैंक की रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान का कोई मानचित्र नहीं था।

1965 के भारत और पाकिस्तान संघर्ष में खुले पक्षपात का कोई दृष्टांत सरकार को नहीं मिला। नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक के मुख्यालय द्वारा प्रकाशित समीक्षा के फरवरी, 1972 के अंक में निम्नलिखित विवरण था।

"उपमहाद्वीप के 1947 के विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध 3 दिसम्बर, को शुरू हुआ जब काफी संख्या में भारतीय सेना और बंगाल के गुरिल्लाओं ने पूर्व पाकिस्तान में प्रवेश किया।"

नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक, कलकत्ता के महा-प्रबन्धक ने एक प्रेस सूचना जारी की जिसमें उसने उपर्युक्त तथ्यों के गलत रूप से प्रकाशित विवरण में आघात पहुंचाने वाली टिप्पणियों से पहुंचे आघात के लिए हार्दिक खेद प्रकट किया।

(ग) बैंक कानूनी आवश्यकताओं का पालन करता है और भारतीय रिजर्व अन्य भारतीय बैंकों तथा भारत में स्थित विदेशी बैंकों की भांति इसके कार्यों का भी निरीक्षण और नियंत्रण करता है।

शल्य चिकित्सा में काम आने वाले औजारों का निर्यात करने के लिए सोवियत संघ के साथ करार

2745. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ को शल्य चिकित्सा-ओजारों का निर्यात करने के लिए हाल में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी हां, 1973 के दौरान सप्लाई के लिए 45.3 लाख रु० मूल्य के 517000 शल्य-चिकित्सा उपकरणों के निर्यात हेतु इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसुटीकल्स् लि० और वी/ओ मेडएक्सपोर्ट, मास्को, सोवियत संघ के बीच 4-11-72 को एक संविदा पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

निगमित क्षेत्र के नाम कर की बकाया राशि

2746. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित क्षेत्र द्वारा देय कर की कुल बकाया राशि गत तीन वर्षों में कितनी थी ; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष के ऐसे 12 सबसे बड़े अपराधियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) निगमित क्षेत्र की तरफ. आयकर की कुल शुद्ध* बकाया रकम के बारे में तीनों वर्षों की सूचना उपलब्ध नहीं है। निगम कर से संबंधित आयकर की सकल बकाया मांग पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	सकल बकाया मांग (करोड़ रूपयों)
1969-70	254.77
1970-71	174.88
1971-72	176.92

31 मार्च 1972 को शुद्ध बकाया रकम लगभग 92 करोड़ रु० है।

*शुद्ध बकाया के निर्धारण के लिए बकाया सकल मांग में निम्नलिखित मदें शामिल नहीं की जाती हैं ।

(i) ऐसी रकमें जो अदायगी योग्य नहीं हुई हैं।

(ii) ऐसी रकमें जिनके लिए आयकर प्राधिकारियों अथवा न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश दिए गये हैं।

(iii) ऐसे करों के अन्तर्गत आने वाली मांगें जिनकी अदायगी पहले ही हो चुकी है किन्तु जिनका सत्यापन होना है।

(इन मदों के आंकड़े उस तारीख को एकत्र नहीं किये जा सकते जिस तारीख से बकाया का संबंध हो और इसलिए सकल बकाया के आंकड़ों में शामिल नहीं किये गये)

(ख) 31 मार्च 1970 31 मार्च 1971 और 31 मार्च 1972 को जिन 12 कम्पनियों की तरफ निगम कर की अधिकतम रकम बकाया थी उनके नाम अनुबंध 'क', 'ख' और 'ग' में दिये गये हैं।

अनुबंध "क"

क्र० सं०	कम्पनी का नाम
1.	मैसर्स पात्रकोला टी कं० लि०
2.	मैसर्स फिल्मिस्तान प्रा० लि०
3.	मैसस डालमिया सीमेंट एण्ड पेपर मार्केटिंग कं० लि०
4.	मैसर्स घर्मसिंह रामसिंह (मोटर्स) प्रा० लि०
5.	मैसर्स नार्थ बंगाल शुगर मिल्स कं० लि०
6.	मैसर्स कैरयू एण्ड कं० लि०
7.	मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कं० लि०
8.	मैसर्स एस० बी० इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कं० लि०
9.	मैसर्स जाफ़री मैनर्स एण्ड कं० प्रा० लि०
10.	मैसर्स लक्षमी रतन काटन मिल्स कं० लि०
11.	मैसर्स बी० आर० संस लि०
12.	मैसर्स बंगाल टैक्सटाइल एजेंसी प्रा० लि०

अनुबंध "ख"

क्र० सं०	कम्पनी का नाम
1.	मैसर्स रायबहादुर श्रीराम दुर्गाप्रसाद प्रा० लि०
2.	मैसर्स पूना इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०
3.	मैसर्स फिल्मिस्तान प्रा० लि०
4.	मैसर्स डाल्मिया सीमेंट एण्ड पेपर मार्केटिंग कं० लि०
5.	मैसर्स नार्थ बंगाल शुगर मिल्स कं० लि०
6.	मैसर्स पात्रकोला टी कं० लि०
7.	मैसर्स एस० बी० इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कं० लि०
8.	मैसर्स कैरयू एण्ड कं० लि०
9.	मैसर्स बी० आर० संस लि०
10.	मैसर्स घर्मसिंह रामसिंह (मोटर्स) प्रा० लि०
11.	मैसर्स प्रकाश काटन मिल्स लि०
12.	मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कं० लि०

अनुबंध "ग"

क्र० सं०	कम्पनी का नाम
1.	मै० रायबहादुर श्री राम दुर्गाप्रसाद प्रा० लि०
2.	मै० डाल्मिया सीमेंट एण्ड पेपर मार्केटिंग कं० लि०
3.	मै० नार्थ बंगाल शुगर मिल्स कं० लि०
4.	मै० एस० बी० इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कं० लि०
5.	मै० कैरयू एण्ड कं० लि०
6.	मै० बी० आर० संस लि०
7.	श्री चंगदेव शुगर मिल्स लि०
8.	मै० डाल्मिया जैन एयरवेज लि०
9.	मै० एसोसिएटिड सीमेंट कं० लि०
10.	मै० फिल्मिस्तान प्रा० लि०
11.	मै० बंगाल जूट मिल्स कं० लि०
12.	मै० स्टील (1957) प्रा० लि०

काजू का आयात करने के लिए विदेशी नौवहन कम्पनियों के जहाजों को काम में लाना

2747. **श्री सी० के० चद्रप्पन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काजू निगम पूर्वी अफ्रीकी देशों से काजू लाने के लिए विदेशी नौवहन कम्पनियों के जहाजों को काम मे ला रहा है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय काजू निगम द्वारा विदेशी नौवहन कम्पनियों के साथ किये गये करारों की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) भारतीय नौवहन निगम सहित, भारतीय नौवहन कम्पनियों के जहाजों को काम में न लाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर 1971 से दिसम्बर 1972 के दौरान 216,000 मे. टन काजो निर्यात किया जायेगा उसे 6.40 पौंड प्रति मे.टन की दर से भेजने के लिए नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय से परामर्श करके तथा उनकी स्वीकृत मिलने पर पूर्ण लाइनर शर्तें तय की गई हैं।

(ग) भाड़ा दरों के अप्रतियोगी होने के कारण भारतीय कम्पनियों के पोतों को नहीं लिया जा सका।

श्रीलंका से सुपारी का आयात

2748. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार श्रीलंका से सुपारी का आयात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सुपारी का भारत से भी निर्यात किया जाता है तथा उसके लिए विदेशी बाजार खोजने में कठिनाई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). श्री लंका के साथ हमारे व्यापार में असंतुलन रहा है और एक ओर तो इस असंतुलन को ठीक करने तथा दूसरी ओर व्यापार का विस्तार तथा विविधीकरण करने हेतु आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-श्रीलंका संयुक्त समिति में बातचीत चलती रही थी। इसी संदर्भ में संयुक्त समिति में नवम्बर, 1971 में यह सहमति हुई कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से श्रीलंका से 500 टन सुपारी की थोड़ी सी मात्रा का आयात किया जाये किन्तु अभी तक यह मात्रा आयात नहीं की गई।

(ग) भारत द्वारा भी सुपारी निर्यात की जा रही है किन्तु सप्लाई के अन्य स्रोतों से प्रतिस्पर्धा तथा भारतीय सुपारी की अपेक्षतया ऊंची कीमतों के कारण भारतीय निर्यातकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

विदेशी प्रचार फर्म के माध्यम से नारियल जटा बोर्ड द्वारा विज्ञापन देना

2749. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड अपने विज्ञापन हिन्दुस्तान थाम्पसन नामक प्रचार फर्म के माध्यम से देता है, जिसमें अधिकांश शेयर विदेशी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इस सम्बन्ध में निर्धारित सरकारी नीती का उल्लंधन नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). क्यर बोर्ड ने मेसर्स हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसिएट्स को अपने प्रचार परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। बोर्ड को सलाह दी गई कि वह इस प्रबन्ध को समाप्त कर दे। यद्यपि, फर्म ने रिट् याचिका दायर कर दी और रोक आदेश प्राप्त कर लिया। क्यर बोर्ड ने मैसर्स हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसिएट्स लि० की सेवाओं को उस समय तक जारी रखने का निर्णय किया जब तक इस मामले में उच्च न्यायालय फैसला नहीं कर देता।

निर्यात-प्रधान इकाइयों के विस्तार पर प्रतिबंधों संबंधी शिकायतें

2750. **श्री के० लकप्पा :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को निर्यात-प्रधान इकाइयों से विस्तार या स्थापना या क्षमता पर प्रतिबन्धों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या निर्यात-प्रधान इकाइयों को अधिक रियायतें देने के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) निर्यातोन्मुख एककों के लिए स्वीकार्य रियायतें वर्ष 1972–73 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति में पहले ही निर्धारित कर दी गई हैं।

1973 में पश्चिम जर्मनी में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेले में शामिल होने का प्रस्ताव

2751. **श्री इ० वी० विखे पाटिल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 में पश्चिम जर्मनी में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेले में सरकार का शामिल होने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी नहीं। तथापि, भारतीय दूतावास, वान (पश्चिम जर्मनी) की सिफारिशों के आधार पर इंजीनियरी उत्पादों, खाद्य उत्पादों, खेलकूद सामग्री उत्पादों, चर्म उत्पादों और वस्त्र उत्पादों से संबंधित 10 महत्वपूर्ण विशेषीकृत वस्तु मेलों में संबंधित निर्यात संबंर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों द्वारा वित्तीय वर्ष 1973–74 के दौरान सीधे भाग लिए जाने का प्रबंध करने की सिफारिश की गयी है।

विदेशों में भण्डागार खोलने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत करना

2752. **श्री एम० रामगोपाल रड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेषज्ञ समिति ने विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की तुरन्त सप्लाई के लिए विदेशों में भण्डागार खोलने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) . भाण्डागारण सुविधाएं स्थापित करने के विचार को निर्यात उद्योगों से समर्थन नहीं प्राप्त हुआ।

समिति की सिफारिशें थीं :—

(1) परीक्षण भाण्डागार खोलना—उदाहरण के तौर पर हेम्बुर्ग डिपों के क्षेत्र का विस्तार किया जाना।

(2) पश्चिम यूरोप में विद्यमान भाण्डागारण सुविधाओं का अध्ययन करना और भारतीय विनिर्माताओं द्वारा इसका लाभ उठाने के लिए उनकी सहायता करना।

(3) यूरोप में राज्य व्यापार निगम के नये कार्यालयों द्वारा कार्य शुरु किये जाने तक प्रतिक्षण करना और व्यावहारिक स्तर पर जा रही इस समस्या को उसे सौंपना।

भारत में तथा विदेशों में यात्रा एजेंटों तथा उनके परिवारों को एयर इंडिया द्वारा मानार्थ पास दिए जाने के बारे में मार्गदर्शी निदेश

2753. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में तथा विदेशों में यात्रा एजेन्टों तथा उनके परिवारों को और इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को एयर इंडिया द्वारा मानार्थ पास दिये जाने के बारे में कोई मार्गदर्शी निदेश निर्धारित किये हैं ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) वर्ष में एक व्यक्ति तथा उसके परिवार को ऐसे अधिक से अधिक कितने पास दिए जा सकते हैं तथा ऐसे पास देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन हैं ;

(ग) भारत में तथा विदेशों में एयर इंडिया के विभिन्न स्टेशनों द्वारा वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 में (31 अक्टूबर, 1972 तक) दिये गये ऐसे पासों का अनुमानतः मूल्य कितना था ; और

(घ) इस प्रकार मानार्थ पास देने से यातायात की सम्भावनाओं के रूप में एयर इंडिया को कितना लाभ हो रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). आई० ए० टी० ए० के संकल्प 200 के अनुसार, एयर इण्डिया आई० ए० टी० ए० के वाहकों से पारस्परिक आधार पर अपने कर्मचारियों के लिये निःशुल्क अथवा रियायती परिवहन के लिए अनुरोध कर सकती है। इयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स की एक पारस्परिक (सांझी) सूची है जिसके द्वारा दोनों एयरलाइनों के उच्च वर्गों के कतिपय अधिकारी तथा उनके परिवार एक दूसरे की सेवाओं पर निःशुल्क परिवहन का लाभ उठा सकते हैं।

आई० ए० टी० ए० के संकल्प 203 के अनुसार, एयर इण्डिया अपनी मर्जी से भारतीय यात्रा अभिकर्ताओं को रियायती परिवहन जारी कर सकती है बशर्ते कि पर्यटन विभाग ने संबंद्ध एजेन्सी के लिए भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये विदेशी मुद्रा दे दी हो।

ऐसे पास जारी करने के लिए समय प्राधिकारी मार्केटिंग तथा विक्रय के वाणिज्यिक प्रबंधक हैं।

इसके अतिरिक्त, एयर इण्डिया को पर्यटन विभाग द्वारा भारत के लिये पर्यटन के प्रोत्साहन के हित में आमंत्रित किये गये-विदेशी लेखकों, पत्रकारों, फोटोग्राफरों तथा यात्रा अभिकर्ताओं को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 60 निःशुल्क वापसी हवाई पास देने का निदेश दिया गया है।

(ग) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 (31 अक्तूबर, 1972 तक) के दौरान जारी किये गये मानार्थ परिवहन का अनुमानित मूल्य 9,53,250 रुपये तक सीमित है।

(घ) यह एक अभिवृद्धि विषयक तथा जन-सम्पर्क का कार्य है जिसका अनुसरण सभी एयरलाइनों द्वारा अपनी बिक्री को बढ़ाने तथा अन्य एयरलाइनों के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार करने के लिये किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इण्डियन एयरलाइंस इयर इण्डिया के प्रधान विक्रय अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है और एयर इण्डिया के पथ-प्रकार (रूट पैटर्न) कार्य-प्रणाली, उड़ानगत सेवा (इनफ्लाइट सर्विस) आदि से परिचित होने के कारण, भारत का अधिक प्रभावी रूप से प्रचार करती है।

यात्रा अभिकर्ताओं तथा उनकी पत्नियों के मामले में, जो लाभ होते हैं वे पर्यटन की अभिवृद्धि के रूप में होते हैं। विदेशी यात्रा अभिकर्ताओं की यात्रा से उन्हें भारत पर्यटन तथा देश में विकसित किये जा रहे आधारभूत उपादानों की प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है जिसके अभाव में विदेशों में प्रभावी रूप से भारत विषयक प्रचार का कार्य करना कठिन होगा।

मानार्थ पास देने के लिए इंडियन एयरलाइन्स को मार्गदर्शी निदेश

2754. **श्री के० सूर्य नारायण :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री मानार्थ टिकटों के जारी किए जाने के लिए इंडियन एयरलाइन्स के विदेशी विमान कम्पनियों से पारस्परिक प्रबन्ध के बारे में 1 सितम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4182 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स को एयर इंडिया के कर्मचारियों, विदेशी हवाई कम्पनियों के एजेंटों और प्रतिनिधियों (भारत तथा विदेशों में) तथा उनके परिवारों को एक वर्ष में दिए जाने वाले मानार्थ पासों की संख्या के बारे में, पास देने के लिए सक्षम प्राधिकारी और इन्हें किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है इसके बारे में कोई मार्ग-दर्शी निदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन निदेशों का सारांश क्या है ; और यदि नहीं तो क्यों

(ग) यातायात की संभावनाओं के रूप में इंडियन एयरलाइन्स को ऐसे पास देने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं ; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सभी व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को दिये जाने वाले ऐसे पासों की संख्या सीमित करने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई मार्ग-दर्शी निदेश जारी नहीं किये गये हैं क्योंकि यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आई० ए० टी० ए०) के संकल्पों द्वारा शासित होता है। उक्त संघ के विभिन्न संकल्पों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मानार्थ/रियायती परिवहन अधिकार-पत्रों को जारी करने का प्राधिकार इण्डियन एयरलाइन्स के वाणिज्य निदेशक में तथा उसके द्वारा नामित अन्य अधिकारियों में निहित है।

(ग) यह एक पर्यटन अभिवृद्धि विषेयक तथा जन-सम्पर्क का कार्य है जिसका अनुसरण विमान कम्पनियों द्वारा अपने वाणिज्यिक हितों व पर्यटन प्रोत्साहन के प्रयोजन से किया जाता है।

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी करने का प्रस्ताव नहीं है।

ऊन के आयात पर नियंत्रण

2755. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र आयुक्त से उन के आयात पर कठोर नियंत्रण रखने को कहा है ; और

(ख) क्या ऊनी वस्त्र बनाने वाले छोटे निर्माताओं से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ; यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। ऊन के आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से, जो आवश्यक निगरानी रखता है, भार्गीकृत होते हैं।

(ख) सरकार को ऊन साफ करने वाले क्षेत्र में ऊनी परिधान निर्माताओं की कठिनाइयों के संबंध में उनसे कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। वस्त्र आयुक्त ने ऊन साफ करने के कार्यों पर स्वेच्छिक नियंत्रण की एक योजना चलाई है, जो ऊनी परिधान निर्माताओं के लिए सहायक सिद्ध होगी।

दिल्ली हवाई अड्डे पर "कंट्रोल टावर"

2756. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र** :

डा० कर्ण सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर लगा "कंट्रोल टावर" अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में यदि सरकार कोई कार्यवाही करेगी तो वह क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नियंत्रण टावरों के निर्माण के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर निर्धारित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली विमान क्षेत्र के वर्तमान नियंत्रण टावरों की ध्वनि प्रतिरोध व्यवस्था (साउंड-प्रूफिंग) के सुधार-कार्य की स्वीकृति दे दी गयी है और इस कार्य को शीघ्र ही हाथ में ले लिया जाएगा । पांचवी योजनावधि में एक नये टर्मिनल काम्प्लेक्स के साथ एक नये नियंत्रण टावर काम्प्लेक्स के निर्माण का भी प्रस्ताव है ।

Regular air services linking Motihari, Muzaffarpur and Patna

2757. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether regular air services linking Motihari, Muzaffarpur and Patna in Bihar have not so far been started;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which these services are proposed to be introduced?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) to (c). Patna and Muzaffarpur are connected by the Delhi/Kanpur/Muzaffarpur/Patna/Ranchi/Calcutta service operating thrice weekly. There is no airfields at Motihari, the nearest aerodrome being Raxual which is not suitable for the turbo-prop aircraft in operation in that region.

Utilisation of Central Funds for Development of Tourism in Bihar

2758. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether the amount given by the Centre as assistance for the development of tourism in Bihar during the last two years has not been properly utilised;

(b) the amount earmarked for the development of Vaishali exclusively and the amount spent on each project and the progress made thereon;

(c) whether the expenditure incurred out of the grants given by the Centre under this head are audited from time to time; and

(d) if so, the agency which audits the expenditure and if not, the reasons therefor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a), (c) & (d). In order to ensure controlled and aesthetic growth in the immediate vicinity of the Bodhgaya Temple, it was decided to acquire 22 acres of land surrounding the Mahabodhi temple with the object of laying a park and providing certain other facilities for tourists. Accordingly an amount of Rs. 13 lakhs was placed at the disposal of the Government of Bihar in 1970. It is understood that the land has still not been acquired because of the difficulty in providing alternate sites to the individuals

whose land is being acquired in the vicinity of the Bodhgaya Temple. This amount of Rs. 13 lakhs has not been given as a grant but only as an advance to the Government of Bihar for acquisition of land for a scheme in the Central Sector. The organisation of Comptroller and Auditor General of India is responsible for the auditing of this expenditure.

(b) No amount has been earmarked in the Fourth Five Year Plan for the development of Vaishali. A statement relating to the position of various tourism projects, in the Central Sector in Bihar is attached.

Statement

Department of Tourism

1. An amount of Rs. 13 lakhs has been advanced to the Government of Bihar for the acquisition of land around Mahabodhi Temple.

2. Indian school of Planning & Architecture has been commissioned for preparation of a master plan for the development of Bodhgaya in 1972-73. This project is estimated to cost of Rs. 1.16 lakhs. An amount of Rs. 5.84 lakhs is proposed to be provided in the Budget Estimates for 1973-74 for the beautification of the area around the Mahabodhi Temple and the construction of a Service Centre.

3. An amount of Rs. 1.24 lakhs was spent in 1969-70 towards the installation of a chair-lift at Rajgir.

4. Tenders have been invited for the construction of a Tourist Reception Centre at Patna. The project envisages 20 rooms, rest room for tourists, restaurant, cafeteria, shopping arcade, airlines, rail transport and tourist counters. The cost of this project is estimated at Rs. 23 lakhs.

5. Cafeterias at Rajgir and Nalanda at an estimated cost of Rs. 5 lakhs and Rs. 4 lakhs respectively are being constructed. The work on these projects is likely to be taken up shortly.

India Tourism Development Corporation

1. A provision of Rs. 8 lakhs had been included in the Fourth Five Year Plan of ITDC on account of renovations and expansion of Travellers' Lodge at Bodhgaya. An expenditure of Rs. 0.57 lakhs had been incurred on this project until 31st March, 1972. Pending the completion of the Master Plan of Bodhgaya, it has been decided to take up the scheme of renovation and expansion of the Travellers' Lodge at Bodhgaya in the Fifth Five Year Plan.

2. ITDC has set up a Transport Unit at Patna w.e.f. 25.1.1969. Its present fleet comprises of 1 luxury car, 6 Ambassador cars, 1 big coach and 1 mini-coach.

इंडियनमोशन पिक्चर्ज एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा भारतीय फिल्मों का निर्यात

2759. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इंडियन मोशन पिक्चर्ज एक्सपोर्ट कारपोरेशन भारतीय फिल्मों के निर्यात संवर्द्धन सम्बन्धी मुख्य कार्य में बरी तरह असफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) यद्यपि भारतीय चलचित्र निर्यात निगम को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसके बावजूद भी उसने भारतीय फिल्मों के निर्यात संवर्धन में युक्ति युक्त सफलता प्राप्त की है।

टैरिफ संबंधी बाधाओं को समाप्त करना

2760. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा की गयी टैरिफ संबंधी बाधाओं को समाप्त करने के बारे में एक ओर भारत सरकार द्वारा तथा दूसरी ओर 'अंकटाड' देशों द्वारा सामूहिक रूप से क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या इस दिशा में कोई सफलता प्राप्त करने के सम्बन्ध में भारत आशावान है ; और

(ग) आपस में तथा सभी विकासशील देशों में गहरे व्यापार सम्बन्ध पैदा करने सम्बन्धी कोलम्बो राष्ट्रों की योजनायें कौन सी हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख). विकसित बाजार अर्थ व्यवस्था वाले देशों के बाजारों में लगाये गये टैरिफ अवरोधों को समाप्त करने के लिए जो विकासशील देशों के निर्यातों को प्रभावित कर रहे हैं, भारत तथा अन्य विकासशील देशों की सरकारें गाट तथा अंकटाड के मंचों से, जब से इनकी स्थापना हुई है, तीव्र प्रयास करती रही है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1964/67 के दौरान गाट के तत्वावधान में टैरिफ वार्ताओं का केनेडी दौर सम्पन्न हुआ और अंकटाड द्वारा अधिमानों की सामान्यीकृत योजना आरम्भ की गई जिससे, विकसित देशों के उत्पादों के लिए टैरिफ संबंधी काफी रियायतें प्राप्त हुईं। 1973 में गाट द्वारा बहु-देशीय व्यापारिक वार्ताओं का नया दौर शुरु किये जाने की भी प्रस्थापना है और यह आशा है कि इससे इस क्षेत्र के विकासशील देशों के लिए अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे।

(ग) क्षेत्रीय स्तर पर, कोलम्बो राष्ट्रों सहित एशियाई देशों में आपस में व्यापार बढ़ाने के लिए इकाफे द्वारा प्रारम्भ किये गये व्यापार विस्तार कार्यक्रम और व्यापार उदारीकरण योजनाओं में ये देश भाग ले रहे हैं, जबकि विश्वव्यापी स्तर पर यह ध्येय गाट के तत्वावधान में विकासशील देशों के बीच व्यापारिक वार्ताओं में भाग ले कर पूरा किया जा रहा है।

Smuggling of Salt into China

2761. **Shri M. S. Purty:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some traders are smuggling salt into China; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) & (b). Information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as possible.

Smuggling of Foodgrains into China

2762. **Shri M. S. Purty:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that about five thousand quintals of maize was sent to China via Raxaul on trucks from grain markets in Bihar everyday in the middle of June, 1972;

(b) if so, whether some traders were arrested in this connection, if so, the number thereof; and

(c) the preventive measures taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as possible.

रबड़ के मूल्य सम्बन्धी अधिसूचना

2763. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सितम्बर, 1970 में प्राकृतिक रबड़ के मूल्य सम्बन्धी अधिसूचना जारी की थी और यदि हां, हो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् बाजार में रबड़ का मूल्य अधिसूचना में उल्लिखित मूल्य के स्तर पर कभी भी नहीं पहुंचा ; और

(ग) यदि हां, तो रबड़ उत्पादकों के हितों के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) जी हां । अधिसूचना सं० का० आ० 3006, दिनांक 12 सितम्बर, 1970, तथा सं० का० आ० 3119, दिनांक 14 सितम्बर, 1970 की एक-एक प्रति संलग्न है। (अनुबंध 1 तथा 2) [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 3886/72]

(ग) कानूनी कीमतों को समर्थन देने के उद्देश्य से लघु उपजकर्ताओं से रबड़ खरीदने और प्राकृतिक रबड़, अगर संभव हो, के समीकरण भंडार तैयार करने का काम भारत सरकार ने राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली तथा केरल सरकार (केरल सरकार को ऋण देकर) को सौंपा है। कानूनी कीमत की तुलना में रबड़ की चालू बाजार कीमतों के संबंध में इन अभिकरणों द्वारा किए गए कार्यों के प्रभाव का सतत् पुनरीक्षण किया जा रहा है।

केरल में हथकरघा उद्योग में संकट

2764. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा राज्य में नारियल जटा उद्योग पर आये संकट को दूर करने के लिए कितनी सहायता मांगी गयी है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य को कितनी सहायता उपलब्ध करायी गयी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केरल सरकार ने राज्य के अंदर कयर सहकारी समितियों को पुन: सक्षम बनाने के लिए सुलभ ऋण के रूप में कुछ सहायता मांगी थी। इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित राज्य सरकार से विचार विमर्श चल रहा है। इस बीच यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सरकार कयर सहकारी समितियों के पुनर्गठन के लिए कार्यक्रम अपनायेगी ताकि वे संस्थागत पूंजी के लिए पात्र बन सकें। इस संबंध में आगे कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके किये जाने वाले आकलन के आधार पर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को तीन वर्षों की अवधि के लिए गैर-योजना सहायता देगी।

हथकरघा उद्योगों के लिए केरल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता

2765. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने राज्य के हथकरघा उद्योग का संकट दूर करने के लिए कितनी सहायता मांगी है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी सहायता उपलब्ध करा दी गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केरल सरकार से केरल में हथकरघा उद्योग में किसी संकट के बारे में न तो कोई सूचना मिली है और न ही केरल सरकार द्वारा हाल में कोई सहायता मांगी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आय-कर कानूनों में परिवर्तन

2766. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर कानून में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का सारांश क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी हां। प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) और कृषि-धन तथा कृषि-आय कराधान समिति (राज समिति) की सिफारिशों के संदर्भ में आयकर कानून में कुछ परिवर्तन करने का विचार है। सिफारिशें विचाराधीन हैं।

केरल राज्य काजू विकास निगम द्वारा बन्द पड़े काजू कारखानों को अपने नियंत्रण में लेना

2767. **श्री एम० एम० जोजफ** :

श्री एम० के० कृष्णन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या काजू उद्योग के संकट को दूर करने के लिए केरल राज्य काजू विकास निगम में बन्द पड़े 25 कारखानों को नियंत्रण में लेने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने काजू मौसम के लिये 25 कारखानों का कोटा निर्धारित करने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). केरल राज्य काजू विकास निगम केरल राज्य सरकार के अधीन एक सरकारी अभिकरण है। मार्च 1972 तक इसने कुल 25 बंद काडर कारखानों को अपने अधिकार में ले लिया था। निगम भारतीय काजू निगम द्वारा बनाई गई वितरण नीति के आधार पर आयातित कच्चे काजू की सप्लाई प्राप्त करता है। केरल राज्य काजू विकास निगम या राज्य सरकार द्वारा और बंद कारखानों को अपने अधिकार में लेने की प्रस्थापना से संबंधित ब्योरों की केन्द्रीय सरकार को जानकारी नहीं है।

Financial Assistance received by Indian Institute of Public Administration

2768. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the total amount of financial assistance received by the Indian Institute of Public Administration from his Ministry, other Union Ministers and International Organisations during the last three years?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The requisite information is given in the statement attached. [*Placed in Library. See* No. L. T. 3887/72]

निषिद्ध वस्तुओं की जप्ती

2769. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक कितने मूल्य की निषिद्ध वस्तुऐं जप्त की गई हैं ;

(ख) 1971 की इस अवधि के आंकड़ों के साथ इस की तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) तस्करी की समस्या हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). 1-1-1972 से 30-9-1972 तक की अवधि के दौरान सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये निषिद्ध माल का मूल्य 1833 लाख रुपये था। वर्ष 1971 की तदनुरूपी अवधि (अर्थात् 1-1-1971 से 30-9-1971 तक) के दौरान ऐसे पकड़े गये माल का मूल्य 1666 लाख रुपये था।

(ग) माल के तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का सन्देह है उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, और समुद्र तट एवं भूसीमाओं पर सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों पर निगरानी रखना। प्रभावी तौर पर मार्ग में रोकने तथा रोकथाम करने आदि के लिए समय समय पर अतिरिक्त मोटर-नौकाएं एव वाहन मुहैया किये जा रहे हैं। सीमाशुल्क समाहर्ता; अपर सीमाशुल्क समाहर्ता तथा सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर-आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिए सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात तथा निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गयी हैं। इस स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

अलौह धातुओं के आयात के लिए दीर्घावधि करार

2770. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 से 1972 तक की अवधि के दौरान अलौह धातुओं के आयात के लिये विदेशों/विदेशी फर्मों से कितने दीर्घावधि करार किये गये हैं तथा उन देशों/फर्मों के नाम क्या हैं और उन से कितनी मात्रा में धातु का आयात किया जायेगा ;

(ख) उन में से कितने करार छोड़ दिये गये हैं अथवा छोड़ दिये जाने वाले हैं अथवा समय रूप से पूरे नहीं किये गये हैं और इस के क्या कारण हैं; और

(ग) करार करने वाली ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं और उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अलौह धातुओं के आयात के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने चार दीर्घावधि संविदाएं की हैं। इनका ब्यौरा निम्नप्रकार है :-

	मद	उद्भव के देश	संविदा की मात्रा
1	2	3	4
(1)	तांबा	जाम्बिया	जुलाई 1971 से तीन वर्ष के लिए 1500 मे० टन प्रति मास की दर से 54000 मे० टन
(2)	तांबा	पीरू	जून 1972 से तीन वर्ष के लिए 1500 मे० टन प्रति मास की दर से 54,000 मे० टन

1	2	3	4
(3)	सिक्का	आस्ट्रेलिया	2,000 मे० टन प्रति मास की दर से तीन वर्षों के लिए कम से कम 71,090 मे० टन खनिज तथा धातु व्यापार निगम को इस मात्रा को 2750 मे० टन प्रतिमास तक बढ़ाने का विकल्प होगा।
(4)	प्लोटिनम	ब्रिटेन	अप्रैल 1970 के 5 वर्षों के लिए 250 कि० ग्रा० प्रतिवर्ष

निगम ने जिन पार्टियों के साथ संविदाएं की हैं उनके नाम बताने वाणिज्यिक हित में नहीं है।

(ख) संविदाओं को सुचारू रुप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रूस तथा ब्रिटेन को चश्मों के फ्रेमों का निर्यात

2771. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत मुख्यतया रूस और ब्रिटेन को निर्यात किये जाने वाले चश्मे के फ्रेमों का प्रमुख निर्यातकर्ता हो गया है;

(ख) क्या भारत भी अन्य यूरोपीय देशों से इन फ्रेमों का आयात कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में स्वदेशी बाजारों की तथा देश में इन की खपत की उपेक्षा की जा रही है और यदि हां, तो इस के क्या कारण है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी हां।

(ख) भारत मुख्य रूप से चश्मे के फ्रेमों के हिस्सों का आयात करता रहा है।

(ग) जी नहीं।

कृषि क्षेत्र के बारे में रिजर्व बैंक के अध्ययन दल की सिफारिशें

2772. **श्री राजदेव सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1964 में रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक के एक विशेष अध्ययन दल ने यह जोरदार सिफारिश की थी कि स्टट बैंक को कृषि के क्षेत्र में, जहाँ सहकारिता ने प्रशंसनीय प्रगति नहीं की है, प्रवेश करना चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात् भी इन सिफारिशों को कार्यरूप दिया जा रहा है; और

(ग) स्टेट बैंक ने उक्त सिफारिशों को किस वर्ष से कार्यरूप देना आरम्भ किया?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं। कृषि सम्बन्धी ऋणों के लिए संस्थागत प्रबन्ध पर अनौपचारिक दल 1964 ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया को सहकारी क्षेत्र के वित्तदाता की भूमिका अदा करने की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग). राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप, चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि के लिए बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण देना आरम्भ किया। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, मैसूर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे कतिपय राज्यों में प्राथमिक कृषि, ऋण संस्थाओं का वित्त पोषण भी शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक आफ इंण्डिया ने 1964 से प्रायोगिक केन्द्रों के माध्यम से कृषि सम्बन्धी अग्रिम देना शुरू किया था। स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने अब लगभग 150 जोरदार केन्द्रों के चयन का निर्णय किया है जहाँ वे विशेष कृषि सम्बन्धी विकास शाखाएं खोलेंगे ; प्रत्येक शाखा के अन्तर्गत् लगभग 100 गाँव आयेंगे। ऐसे 66 केन्द्र पहले ही चुन लिए गये हैं।

विकास परियोजनाओं के लिए भारत और मारिशस में समझौता

2773. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या भारत और मारिशस के बीच वहां विकास परियोजनाओं के लिए 3.21 करोड़ रुपये का ऋण दिये जाने के लिए किसी समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकासशील देशों को हमारी सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋणों की वार्षिक राशि कितनी है ; और

(ग) क्या ऋण प्राप्त करने वाले देशों में सभी एशियाई देश हैं या अफ्रीकी देश भी शामिल हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा विकासशील देशों को ऋणों के रूप में दी गयी रकम का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(लाख रुपयों में)

देश	1969-70	1970-71	1971-72
नेपाल	2.91	3.51	..
श्री लंका	305.00	335.00	128.0
इण्डोनेशिया	10.00	10.00	..
	317.91	348.51	128.0

(ग) पिछले तीन वर्षों में ऋण प्राप्त करने वालों में केवल एशिया के देश ही थे। परन्तु 1972-73 में मारिशस को भी एक ऋण दिया गया है।

राज्य व्यापार निगम में उच्च स्तर पर परिवर्तन करने का प्रस्ताव

2774. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या राज्य व्यापार निगम में उच्च स्तर पर परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रति निगम के स्टाफ में कोई रोष है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलादेश को साड़ियों तथा कपड़े का निर्यात

2775. **श्री जगन्नाथ मित्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश को विदेशी मुद्रा आय के बदले में भारतीय साड़ियों तथा कपड़े का निर्यात किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) अब तक मुक्त विदेशी मुद्रा के आधार पर 4.50 करोड़ रु० मूल्य के सूती वस्त्रों के निर्यात हेतु सौदे किये जा चुके हैं जिनका माल सितम्बर/नवम्बर, 1972 के दौरान भेजा जायेगा। काफी मात्रा में माल पहले ही भेजा जा चुका है।

मशीनों और उपकरणों के आयात संबंधी उदार नीति

2776. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिये मशीनों, उपकरणों और तकनीकी जानकारी के आयात सम्बन्धी नीति को उदार बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) **तथा** (ख). सरकार की आयात नीति पहले ही ऐसी बनाई गई है कि उससे उद्योग का तेजी से विकास सुनिश्चित हो सके और उपस्करों आदि के आयात के बारे में इस नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

कर-दाताओं द्वारा छिपी आय और धन को स्वेच्छा से प्रकट करना

2777. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मामले हैं जिनमें कर-दाताओं ने 1971–72 के वित्तीय वर्ष के दौरान स्वेच्छा से अपनी छिपी आय और धन के बारे में फैसले करने की पेशकश की थी ताकि उन्हें हल्का दंड मिले ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हुये और कितने मामलों के अभी फैसले होने शेष हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) **(क)** तथा **(ख)**. सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

"टेन्थ ओवरसीज इम्पोर्ट फेयर", बर्लिन में बुक किए गए आर्डर

2778. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्लिन में लगे 'टेन्थ ओवरसीज इम्पोर्ट फेयर' 'पार्टनर्स फार प्रोग्रेस' में भारतीय माल में विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां कुछ माल के लिये आर्डर भी बुक किये गये हैं और यदि हां, तो किन-किन मदों के लिये आर्डर किये गये हैं और किन-किन देशों ने आर्डर बुक किये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बर्लिन में आयोजित दसवें ओवरसीज इम्पोर्ट फेयर 'पार्टनर्सफार प्रोग्रेस' में भारत सरकार ने भाग नहीं लिया था। तथापि, मेसर्स इन्डो-जर्मन चैम्बर आफ कामर्स, बम्बई ने 10 भारतीय फर्मों के सीधे भाग लिए जाने की व्यवस्था की थी।

(ख) इन फर्मों के भाग लिये जाने और जित सौदों के लिए बातचीत की गई थी अथवा संविदाएँ की गईं, उसके संबंध में प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

तम्बुओं जैसी सैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम की प्राप्त क्रयादेश

2779. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बुओं जैसी सैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्यात के लिये राज्य व्यापार निगम को क्रयादेश प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं के निर्यात के क्रयादेश प्राप्त हुये हैं तथा किन देशों से, और इससे विदेशी मुद्रा की कितनी वार्षिक आय होने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम को निम्नलिखित मदों के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं :—

जरसी पुलओवर, तम्बू, रेत-बोरे, जुर्राबें, दस्ताने, निवार-पट्टी, कागज़ी डिब्बे, डिब्बे, बेरेट्स, स्मांक, डेनीसन तथा चौगाल। क्रयादेश निम्नलिखित देशों से प्राप्त हुए हैं :—

जोडेन, कुवेत, लेबनान, अमन, सऊदी अरब, आस्ट्रेलिया, बर्मा, मलेशिया, ब्रिटेन तथा नाइजीरिया।

आशा है कि राज्य व्यापार निगम इन मदों के निर्यात से 1972–73 के दौरान 50 लाख रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा। इस वसूली के प्रत्येक वर्ष बढ़ने की संभावना है।

विदेशी इत्र आदि का व्यापार

2780. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिश्व मंडी में इत्र आदि के व्यापार में भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं है ; और

(ख) यदि, हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के एक विशेषज्ञ मिस्टर ई. ए. कोरकोरन ने, जिनकी सेवाएं समाक्षारीय रसायन, औषध तथा साबुन निर्यात परिषद्, बम्बई को उपलब्ध कराई गई थी, इस विषय का विशेष अध्ययन किया है और विश्व बाजार इत्र के संबंध में भारत की स्थिति सुधारने के लिए कई उपायों के बारे में सुझाव दिया है। इन सिफारिशों पर निर्यात संवर्धन परिषद सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

कम्पनियों के विलय, एकीकरण और अधिग्रहण के लिए आवेदन-पत्र

2781. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान एकाधिकार और निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रथायें अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत उपक्रमों के विलय, एकीकरण अथवा अधिग्रहण के लिये सरकार को अनुमति हेतु कितने आवेदन-पत्र मिले हैं; और पिछले वर्ष के कितने आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन हैं; तथा कितने आवेदन-पत्रों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) इनमें से कितने आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन पड़े हुये हैं और इसके क्या कारण हैं?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) वर्ष के मध्य प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या 28

गत वर्ष के शेष प्रार्थना-पत्र 7

निपटाये गये आवेदन-पत्रों की संख्या 18

(ख) विचारार्थ अनिर्णीत आवेदन-पत्रों की संख्या 17

ये सभी वे विषय हैं, जो चालू वर्ष में प्राप्त हुये हैं।

जीवन बीमा निगम की ओर वकाया दावे

2782. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11 मार्च, 1972 को जीवन बीमा निगम की ओर से मृत्यु और पालिसी के पूरे होने सम्बन्धी अलग-अलग कुल कितने दावे बकाया थें;

(ख) वर्ष 1971 में कुल कितने दावों की सूचना दी गई और उक्त वर्ष में उनमें से कितने दावे निपटाये गये;

(ग) पिछले तीन वर्षों, पांच वर्षों, पांच वर्षों से अधिक समय से अलग-अलग फैसले के लिये कितने दावे पड़े हुये हैं और सबसे पुराना दावा किस तारीख से अनिर्णीत पड़ा हुआ है; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि दावों का फैसला करने में कष्टदायक विलम्ब के कारण पालिसी-धारियों के आश्रितों को कठिनाई होती है और यदि हां, तो दावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) मृत्यु संबंधी दावे 24,889

परिपक्वता पर दावे 37,930

(ख) और (ग). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

(घ) जब जीवन बीमा निगम ने यह देखा कि बहुत से दावों का निपटारा, आयु संबंधी प्रमाण के अभाव में नहीं हो पा रहा है, तब निगम ने निर्णय किया कि बीमा के प्रस्ताव के समय ही आयु का प्रमाण लेने का आग्रह रखा जाय। जीवन बीमा निगम ने दावों के निपटान संबंधी अपने नियमों में भी ढील दी है। संशोधित नियमों के अधीन 10,000 रुपये तक की रकम की बीमा पालिसियों के संबंध में दावों को, आयु के प्रमाण के लिये आग्रह किये बिना ही, स्वीकार कर लिया जाता है। जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये उपायों के कारण बकाया दावों को संख्या कम हो गयी है।

इत्र आदि के निर्यति के संवर्धन संबंधी प्रतिवेदन

2783. **श्री रधुनन्दन भाटिया** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ के विपणन विशेषज्ञ, श्री एडवर्ड ए० कोरकोरन द्वारा इत्रादि के निर्यात के संवर्धन के लिये कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इत्रादि के निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) श्री एड्वर्ड ए० कोरकोरन सुझाये गये रूप में 1976–77 तक 200 करोड रुपये के मद्यसारी तथा गैर मद्यसारी इत्रों के निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किया जा रहे हैं।

विवरण

इत्रादि :

(क) यह बात समझ लेनी चाहिए कि भारत अपनी परम्पराओं और कौशल के आधार पर पुनः एक प्रमुख इत्र उत्पादक देश के रूप में उभर सकता है परन्तु फिर भी इस उद्योग का नई वैज्ञानिक व प्राद्योगिकीय क्रियाओं के आधार पर आधुनिकीकरण होना चाहिए।

(ख) उद्योग को यह धारणा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि उसके प्रयास फलदायक है। इस उद्योग को एक असंगत विलास उद्योग नहीं मान लेना चाहिए जिस पर राष्ट्रीय साधनों के व्यय करने की बहुत कम अपेक्षा है। भारत के इत्र उद्योग का आधुनिक ढंग से पुनर्निर्माण करना विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त, भांति-भांति संवेष्टित और देखने में सुंदर लगने वाले स्पिरिट आधारित इत्रादि के संबंध में केवल अच्छी निर्यात संभाव्यताएं ही नहीं है अपितु यह एक मूल्यवान पर्यटक पद भी है जिससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है।

(ग) यह समझ लेना चाहिए कि इत्रादि विश्व व्यापार की उन मदों में से एक है जिनके व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए बड़ी फर्मों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सुविधा दी जानी चाहिए। इत्रादि को केवल लघु उद्योग तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए जैसा कि अब है।

(घ) इत्र योगिकों (जैसे कि साबुनों, प्रसाधन सामग्री आदि के अंतिम-उत्पाद विनिर्माताओं हेतु मधयवर्ती उत्पाद) के निर्यात बढ़ाने के बड़ अवसर विद्यमान है बशर्ते कि न्यायोचित निर्यात प्रोत्साहन दिये जाएं और सरकार कोई ऐसा तरीका निकाले कि ये प्रोत्साहन इत्र विनिर्माताओं को अपनी विधियां बताऐ बिना दिये जा सकें क्योंकि यह एक ऐसा विषय है कि विश्वभर में कोई भी इत्र-विनिर्माता अपने तीव्र भावात्मक कारणों से यह नहीं बतायेगा। यदि इस कठिनाई से निकलने का कोई तरीका निकाल लिया जाए तो इत्र योगिकों के निर्यातों में, मुख्यतः एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को, तीव्र वृद्धि करके उन्हें एक करोड़ रुपये के स्तर पर लाया जा सकता है।

(ङ) स्पिरिट आधारित इत्रों, क्लोन और प्रसाधन सामग्री के निर्यात के भी बेहतर अवसर हैं बशर्ते कि औद्योगिक अलकोहल (और खाद्य ही बेहतर क्वालिटी का) प्राप्त करने में जो निराशा विद्यमान है उसे दूरकर दिया जाए और औद्योगिक अलकोहल के प्रयोग के संबंध में विभेदपूर्ण कराधान में परिवर्तन कर दिया जाए ताकि भारतीय विनिर्माता स्पिरिट आधारित इत्रादि बनाने के कौशल का विकास कर सकें। इससे होने वाली आय में कोई कमी नहीं होगी क्योंकि वर्तमान प्रतिबधों के कारण स्पिरिट आधारित इत्रादि का विनिर्माण लगभग होता ही नहीं है, और इस कारण न्यूनतम राजस्व ही प्राप्त होता है।

बंगला देश के शरणार्थियों की सहायतार्थ लगाए गए कर से आय

2784. **श्री के० एस० चालड़ा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए लगाए गए करों से सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि एकत्र की जा चुकी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : केन्द्रीय सरकार द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों के लिए, वर्ष 1971-72 में लगा गये विशेष करों से कुल कोई 9.47 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये करों से कुल कोई 9.54 करोड़ रुपये संगृहीत हुए।

बम्बई हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल के लिए योजनाएं तथा बम्बई हवाई अड्डे के लिए 30 करोड़ रुपये की परियोजना

2785. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या बम्बई हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल बनाने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) क्या पांचवीं योजना में बम्बई हवाई अड्डे के लिए 30 करोड़ रुपये की परियोजना को आरम्भ किया जायेगा और यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं तथा इन दो परियोजनाओं से आवश्यकताओं की पूर्ति किस सीमा तक होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) . पांचवीं योजना के दौरान बम्बई हवाई अड्डे के लिए एक नये टर्मिनल भवन की योजना बनाई जा रही है। मास्टर प्लान तथा प्रोग्राम ड्राइंगों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और स्कीमेटिक ड्राइंगें तैयार की जा रही हैं। लागत अनुमान अभी तैयार किये जाने हैं।

गलीचा-अस्तर पर निर्यात शुल्क समाप्त करना

2786. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गलीचा-अस्तर पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता का सामना करने में यह कदम कहां तक सहायक होगा ; और

(ग) अब तक इसके क्या परिणाम रहे हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, एक किस्म के गलीचा अस्तर के सम्बन्ध में निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है।

(ख) इस उपाय से प्राइमरी अस्तर क्षेत्र में संश्लिष्टों से, प्रतियोगिता का सामना करने में कुछ हद तक सहायता मिलेगी।

(ग) निर्यात शुल्क में कमी केवल 1–11–1972 से ही की गई है और इससे प्राप्त हुए परिणामों का मूल्यांकन करना इतना जल्दी सम्भव नहीं है।

होटल ऋण विकास निधि के अन्तर्गत मंजूर किए गए ऋणों की राशि

2787. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग के अधीन स्थापित की गई होटल ऋण विकास निधि लोकप्रिय सिद्ध हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनको ऋण मंजूर किये गये हैं ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितने कमरों की वृद्धि होने की सम्भावना है तथा अब तक चालू की गयी परियोजनाओं की संख्या कितनी है ?

पर्यटन और विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). जिन पार्टियों के लिए ऋणों का अनुमोदन कर दिया गया है उनके नामों और ऋण प्रदान के परिणामस्वरूप कमरों की संख्या में संभावित वृद्धि को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3888/72] अब तक 6 होटल प्रायोजनाओं ने जिनमें दो नवीकरण और विस्तार प्रायोजनाएं भी सम्मिलित हैं अपना कार्य चालू कर दिया है।

राष्ट्रीय बचत अभियान के दौरान संग्रह

2788. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बचत अभियान द्वारा कितनी सफलता प्राप्त की गई ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी राशि एकत्र की गई ; और

(ग) इसके संवर्धन के लिए और किस कार्यवाही पर विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) प्रत्येक आयोजना में राष्ट्रीय बचत अभियान के जो लक्षय रखे गये थे और जो प्राप्तियां हुई वे इस प्रकार हैं।

आयोजना अवधि	संग्रह का लक्षय	प्राप्तियां (करोड़ रूपयों में)
पहली आयोजना (1951-52 से 1955-56)	225	242.04
दूसरी आयोजना (1956-57 से 1960-61)	500	401.77
तीसरी आयोजना (1961-62 से 1965-66)	600	574.10
वार्षिक आयोजनाएं		
1966–67	–	119.18
1967–68	–	12.42
1968–69	–	112.65

(ख)

1969–70	127.00 (करोड़ रूपये)
1970–71	188.36
1971–72	225.70

(ग) विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाओं की बराबर समीक्षा की जाती रहती है और उन्हें विभिन्न वर्गों के निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक और लोकप्रिय बनाने के लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

दिल्ली, बम्बई तथा पंजाब में कार्य करने वाली यात्रा एजेंसियों द्वारा दिए गए संदिग्ध पारपत्र

2789. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : **क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय मान्यता प्राप्त कितने यात्रा एजेन्ट हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली, बम्बई तथा पंजाब के कुछ शहरों में कार्य कर रही कई यात्रा एजेंसियां संदिग्ध पारपत्र उपलब्ध करा कर बहुत से लोगों को झूठे निरूपण के आधार पर विदेश जाने को प्रोत्साहित करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी यात्रा एजेंसियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस समय देश में 53 यात्रा अभिकर्ता तथा 54 शाखा कार्यालय मान्यता प्राप्त यात्रा अभिकर्ताओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हाँ।

(ग) हाल ही में सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि भारतीय यात्रा अभिकरणों (ट्रैवल एजेंसियों) को अब से मान्यता एक केन्द्रीय समन्वयन समिति (सैन्ट्रल को-आर्डिनेटिंग कमेटी) प्रदान किया करेगी, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा, जिनमें से प्रत्येक की यात्रा अभिकरणों को मान्यता प्रदान करने की अपनी अपनी प्राणाली है, अपनाई गयी अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं की विभिन्नता समाप्त हो जायेगी। आशा की जाती है कि नयी प्रणाली से प्रक्रियाएं सरल हो जायेंगी तथा यात्रा अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने वाली यात्री जनता का धोखा-धड़ी से बचाव भी हो सकेगा।

अनेक कम्पनियों द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

2790. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या उनका ध्यान 22 और 23 अगस्त 1972 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भ्रष्टाचार तथा आयात लाइसेंसों के दुरूपयोग करने वाली अनेक कम्पनियों के नामें, का उल्लेख किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो लाईसेंसों के तथा-कथित दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) (क) जी हां।

(ख) जहां तक आयात व्यापार नियन्त्रण संगठन का सम्बन्ध है, आयात व्यापार नियन्त्रण विनियमों का सतत् पुनार्विलोकन करके आयात लाईसेंसों का दुरूपयोग रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं। उद्योग निदेशक तथा अन्य प्रायोजक प्राधिकारी, लाइसेंसों के अन्तर्गत आयातित सामग्री के उपयोग के सम्बन्ध में निगरानी रखते हैं। जब कभी भी दुरूपयोंग की सूचना मिलती है, तभी विभागीय तौर से अथवा न्यायालय में कार्यवाही की जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण की आलोचना

2791. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रयकृत बैंकों के कार्यकरण के बारे में की जा रही इस आलोचना का पता है, कि सरकार द्वारा उन्हें 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये अपने धन का उपयोग करने हेतु ठोस निदेश नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) उत्पादन बढ़ाने हेतु ऋण देने में बैंक प्रणाली का उपयोग करने और दैनिक मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : राष्ट्रीयकृत बैंक उत्पादन प्रयोजनों के लिये ऋण देने के अपने उत्तरदायित्व के बारे में पूरी तरह सजग हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

नेवली लिग्नाईट निगमके ब्रिक्वैटिंग और कार्बनीकरण संयत्र को बन्द करने का प्रस्ताव

श्री सी० टी० दण्डपाणी (धारापुरम) : मैं इस्पात तथा खान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"नेवेली लिगनाइट निगम के ब्रिक्वैटिंग और कार्बनीकरण संयत्र को बन्द करने का कथित प्रस्ताव जिसके परिणाम स्वरूप 2000 से अधिक कर्मकारों की छंटनी हो जाएगी"।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवज खां) : नैवेली लिग्नाइट निगम को ब्रिक्वेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र को 30 अक्तूबर, 1972 (6 बजे अपराह्न) से लिग्नाइट की अनुपलब्धता के कारण बन्द करने के लिए वाध्य कियाँ गया था। इस संयंत्र में लगभग 1860 कर्मकार नियोजित हैं।

2. लिगनाइट खान से उत्पादन लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहा है और वर्तमान उत्पादन स्तर केवल, 5,500 टन प्रतिदिन है। 1972–73 में, 31 अक्तूबर, 1972 तक लिग्ना-

इट का उत्पादन केवल 17.91 लाख टन हुआ है। वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य को 36.00 लाख टन से कम कर 20 लाख टन तक पुनरीक्षित करना पड़ा। लिग्नाइट खनन में प्रौद्योगिक समस्याएं, पर्याप्त निवारक अनुरक्षण की कमी और विक्षुब्ध श्रमिक संबंध उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण रहे हैं।

3. लिग्नाइट का इस समय के 5500 टन प्रतिदिन के उत्पादन स्तर से तापीय विद्युत घर को 4300 टनों की आपूर्ति की जा रही है जो 600 मेघावाट की जनन क्षमता की तुलना में केवल 150 मेघावाट विद्युत जनन के लिए पर्याप्त है । अवशेष 1200 टनों की आपूर्ति उर्वरक और प्रक्रिया वाष्प संयंत्रों को की जा रही है।

4. तमिलनाडु सरकार द्वारा नैवेली में विद्युत जनन को संवर्धित करने के लिए लगातार बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने भी यह अनुरोध किया था कि ब्रिक्वेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र से लिग्नाइट की आपूर्ति तापिय विद्युत घर को व्यपवर्तित की जाए। यद्यपि तापीय विद्युत घर की क्षमता 600 मेघावाट है तथापि सतत प्रयत्नों के बावजूद भी 300 मेघावाट विद्युत जनन के प्रयासों में अभी तक सफलता नहीं मिली है। ब्रिक्वेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र को लिग्नाइट की आपूर्ति बन्द किए जाने के बावजूद विद्युत जनन का वर्तमान स्तर केवल 150 मेघावाट है जो अपेक्षा से बहुत ही कम है, विशिष्टतया तब जब दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत की बहुत कमी है।

5. कम से कम जनवरी, 1973 तक ब्रिक्वेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र को लिग्नाइट को व्यपवर्तित करने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है । उसके पश्चात् भी ब्रिक्वेटिंग और कार्बनीकरण संयत्रों को केवल तभी चालू किया जा सकता है जब लिग्नाइट का उत्पादन पर्याप्त रूप से संवर्धित होगा । अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक केन्द्र के प्रतिनिधियों से मिले हैं और उन्होंने लिग्नाइट के उत्पादन में बृद्धि के लिए प्रबन्ध को सहयोग देने के लिए अनुरोध किया।

6. यद्यपि निगम द्वारा अभी तक ब्रिक्वेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र के कर्मकारों को काम बन्दी के बारे में कोई विनिश्चय नहीं लिया गया है, तथापि जब तक लिग्नाइट के उत्पादन को पर्याप्त रूप से संवर्धित नहीं किया जाएगा, यह अवश्यम्भावी होगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणी : मुझे प्रोग्रेसिव यूनियन के महा मंत्री से एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें कहां गया है कि 2000 मजदूरों को नौकरी में निकाला जा रहा है। 25 तारीख के 'हिन्दू' में प्रकाशित हुआ कि ब्रिक्वैटिंग और कार्बनीकरण प्लांट में तीन सप्ताह पूर्व उत्पादन बन्द हो गया था और वहां पर अगले कुछ महीनों में उत्पादन के शुरू होने की सम्भावना नहीं है। नैवेली यूनिट भी एक बीमार यूनिट है और उसकी स्थिति बहुत खराब है। लिग्नाइट उत्पादन में कम विद्युत जनन के जो कारण बताये गये हैं वह अपर्याप्त है। यूरिया का उत्पादन भी कम हुआ है। यह भी बताया गया है कि 60 लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जबकि पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगा दी जायें।

भूतपूर्व यदप्रबंधक श्री एम० वी अरुणाचलम ने 30 सितम्बर 1970 को संवाददाताओं को बताया था कि ताप बिजली का विस्तार चौथी योजना में शुरू किया जाएगा ।

उन्होंने यह भी कहा था कि दूसरी खान से लिग्नाइट निकालने के लिए प्रारम्भिक परीयोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को सितम्बर 1964 में भेज दिया गया था । परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार ने इन पर विचार नहीं किया है और यह अब मंत्रलय के पास पड़ा हैं।

28 जून, 1970 के "इकनामिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है कि निगम को जो 25 करोड़ रूपये का घाटा हुआ था वह 1977–78 तक पूरा हो जाएगा । डा० सेन ने कहा था कि निगम को घाटा मुख्य रूप से कच्चे माल के उपलब्ध न होने पर हुआ था। कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण बिजली घर पूरी क्षमता है नहीं चला सके। अतः स्थिति बहुत नाजुक थी, सरकार नई मशीनें लगाने तथा 46 करोड़ रुपये की लागत की नई परियोजना को मजूंरी देने में असफल रही है। नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने भी अपने प्रातिवेदन में टिप्पणियां की हैं कि सम्पत्ति /प्लांट/ व्यक्तिगत आरतियां संबंधी रजिस्टर को नवीनतम नहीं बनाया गया है। उत्पादन लक्षयों को प्राप्त नहीं किया गया है। ब्रिक्री मूल्य उत्पादन लागत से भी कम रखा गया है। मैं ने भी स्वंय मौके पर जाकर निरीक्षण किया था और अनेक अनियमितताओं का पता लगाया था। लोहा तथा इस्पात के स्क्रेप भारी मात्रा में मुहाने पर पड़े हुए हैं और उनका गबन किया जा रहा है।

ब्रिक्बैटिंग तथा कार्बनीकरण योजना को केवल 1965 में ही शुरू किया गया है। कार्बनीकृत ब्रिक्वैटिंग का केवल 70 प्रतिशत उत्पादन ही हुआ है। एक भारतीय फर्म द्वारा आई० डी० और एफ० डी० के पंरवों ने काम नहीं किया । उनके निर्माण में ही त्रुटि थी, परेवा का आर्डर विदेशी ठेकेदारों द्वारा दिया गया था। प्लाटें में 1961 में उत्पादन आरम्भ होना था परन्तु वास्तव में उत्पादन 1965 में आरम्भ हुआ। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ठेके पर हस्ताक्षर किये गये थे। परन्तु सर्विस निःशुलक थी। फिर भी कम्पनी को सर्विस के लिए 2 लाख रुपये दिये गये। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि वह समूचे मामले की जांच करें।

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि प्लांट के प्रायः बन्द हो जाने का कारण यह है कि मशीनें पुरानी हैं और अपेक्षित स्टैण्डर्ड की मशींनें नहीं ली गई थी। सरकार नई मशींनें लगाने के लिए 18 करोड़ रुपये की योजना को कबतक मंजूरी देगी । लिग्नाइट निकालने के लिए दूसरी खान पर कार्य कब आरम्भ किया जाएगा।

तापीय बिजली परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं के लिए दूसरी खान का खोदना आवश्यक हो गया। नैवेली में प्रति किलोवाट लागते 9.75 रुपये आती है जो देश के अन्य तापीय बिजली घरों से निःसन्देह कम है।

(4) आवास न पाने वाले कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के असंतोष को दूर करने के लिए आवास योजना कब लागू की जायेगी ?

(5) उच्च पदों पर तकनीकी और विपणन विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

(6) लाखों करोड़ों रुपये के फालतू भण्डार और रद्दी लोहे और इस्पात के बेचने के प्रश्न पर विचार करने के लिए क्या सरकार एक समिति गठित करेंगी ?

(7) लिगनाइट का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में दो परस्पर विरोधी बातें कही है। एक जगह वे कहते हैं कि नैवेली लिगनाइट निगम को प्लान्ट बन्द करने को बाध्य होना पड़ा तथा दूसरी जगह यह कि अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। अतः मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन के कर्मचारियों की जबरी छुट्टी नहीं की जायगी या उनकी छटनी नहीं होगी।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहनकुमार मंगलम) : हमारे सम्मुख जो समस्या इस समय है उसका मुख्य कारण भारी वर्षा है। नवम्बर और दिसम्बर 1972 का लक्ष्य 2,40,000 मीट्रिक टन लिगनाइट के उत्पादन का था पर उत्पादन अक्तूबर और नवम्बर में भी गिरा। यह गिरावट भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुई।

माननीय सदस्य का यह कहना नितान्त गलत है कि खराब मशीनों का क्रयादेश दिया गया था, वास्तव में मशीनें बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। यहां खराब मशीनों का प्रश्न इतना नहीं था जितना कुडालोर के भारी पत्थर को हटाने का। इसके लिए तकनीकी समिति ने भारी विस्फोट करने की सिफारिश की है जिससे कि उसे आसानी से हटाया जा सके।

हमने मशीनों को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा स्वीकृत कर दी है तथा अन्य मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

दूसरी खान खुदाई की बात भी एम० वी० अरुणाचलम ने कही थी जो उपक्रम के अवैतनिक अध्यक्ष थे। उन्होंने यह भी कहा था कि लिगनाइट का उपयोग सेलम इस्पात संयंत्र में भी किया जा सकता है। पर हमारे तकनीकी परामर्शदाता दस्तूर एण्ड कम्पनी ने जो पहले इसी पक्ष में था, यह राय दी है कि लिगनाइट की किस्म के कारण इसका उपयोग सेलम इस्पात संयंत्र में नहीं किया जा सकता। दूसरी खान की खुदाई के सम्बन्ध में एक समिति जांच कर रही है और हमें शीघ्र ही उसका प्रतिवेदन मिलने की आशा है।

उच्च पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में हम कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। देश के प्रसिद्ध ओपन कास्ट माइनिंग इंजीनियर श्री एस० अजेस्वरन तथा श्री डी० पी० गुप्ता को क्रमशः अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक तथा खानों का वरिष्ठ सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया है। हमें आशा है कि इन नियुक्तियों से वहां की स्थिति सुधरेगी।

जहां तक रद्दी लोहे और इस्पात का सम्बन्ध है यदि सदस्य महोदय इस के सम्बन्ध में कोई ठोस बात बताएंगे तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा।

यदि माननीय सदस्य भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ठोस प्रमाण देंगे तो मैं सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अवश्य कार्रवाई करूँगा। पर कोई सामान्य आरोप लगाने से कोई बात नहीं बनेगी।

जहाँ तक कर्मचारियों को हटाने का सम्बन्ध है, हमने उन्हें नहीं हटाया है, यद्यपि प्लान्ट 30 अक्तूबर, 1972 को बन्द हो गया था, क्योंकि हमें स्थिति के सुधरने की आशा थी। पर दुर्भाग्यवंश वह हुआ नहीं। इस सम्बन्ध में हम मजदूर संघों और तमिलनाडु सरकार से विचार विमर्श कर रहे हैं। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अगस्त में प्रति मीट्रिक टन लागत 2,291 रुपये थी पर उसका बाजार भाव केवल 276 रुपये प्रति मीट्रिक टन था। यह सब लिगनाइट उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

ये सब दिक्कतें हमारे सामने हैं। हम निगम और कर्मचारियों दोनों को न्याय देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मंत्री महोदय के वक्तव्य से लगता है कि कर्मचारी प्रबन्धकों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं तथा निगम में सारी खराबियां इसी कारण हैं। पर वक्तव्य के पहले भाग में कहा गया है कि उत्पादन गिरने का कारण तकनीकी समस्याएं, पर्याप्त सुरक्षात्मक रखरखाव की कमी और श्रमिक सम्बन्धों की खराबी है। तकनीकी खराबी कोई नई बात नहीं है। 1966-67 और 1967–68 के प्रतिवेदन में भी यही बताया गया है। बल्कि यह स्थिति वहाँ 1965–66 से विद्यमान है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि 1967–68 के प्रतिवेदन में बताई गई खराबियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गये।

नैवेली में अधिक वर्षा का होना कोई-बात नहीं है। वहाँ हमेशा वर्षा होती रही है और उसके कारण माल के आवागमन में रुकावट पड़ती रही है। अतः कोई भी योजना वर्षा की इस समस्या को ध्यान में रख कर बनाई जानी चाहिए थी। यह एक गलत योजना को प्रदर्शित करता है।

इस निगम पर सरकार का 182 करोड़ रुपया लगा है जिसमें से 31 मार्च, 1972 तक 45.85 करोड़ की हानि हो चुकी है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि निगम और मंत्रालय ने इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न क्यों नहीं किया?

श्री एस० मोहनकुमार मंगलम : मशीनरी आदि की खरीद के सम्बन्ध में हमने एक समिति नियुक्त की है और इसके प्रतिवेदन के अनुरूप हम उस पर कार्रवाई करेंगे।

माननीय सदस्य का श्रमिकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना सही है। पर उन्हें इस बात की जानकारी है कि मजदूर संघों के कारण वहां अनेकों कठिनाइयां पैदा हो गई हैं।

वर्ष 1970 में 5 करोड़ रुपए की मशीनें मंगाई गई। पर इतना रुपया लगाने पर भी पता चला कि हम 360 लाख मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन नहीं कर सकते, जो कि हमारी आवश्यकता से कहीं कम है।

जहां तक भारी वर्षा का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिए कि वहां औसत से दुगुनी वर्षा हुई थी जो बहुत अधिक थी।

श्री मोहनराज कलिंगारायर (पोलाची) : क्या नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन ने लिगनाइट का उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों की खरीद हेतु सरकार से वित्तीय सहायता मांगी थी, यदि हां तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया? सरकार से यह अनुरोध कब किया गया था? दूसरे वहाँ भारी हानि के कारण एक विशेषज्ञ समिति बनाई गयी थी। मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि लिगनाइट के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से समिति ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की सिफारिश की थी। यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा?

विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्ष 1973–74 में इस क्षेत्र में 590 मेगावाट बिजली की कमी होने की संभावना है। वर्ष 1971–72 में नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन में 13.32 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस हानि का मुख्य कारण तकनीकी कठिनाइयाँ बताया गया है। गत तो वर्षों से हमारे समक्ष यही समस्या चल रही है। आश्चर्य की बात है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। विशेषज्ञ समिति बहुत पहले बनाई जानी चाहिये थी जो इस बात की ओर ध्यान देती कि यह यूनिट यदि लाभ में न चले तो कम से कम घाटे को तो पूरा करे।

श्री एस० मोहनकुमार मंगलम : माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि क्या नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन ने सरकार से वित्तीय सहायता मांगी थी। यह बात सच है कि उन्होंने वित्तीय सहायता मांगी थी। विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात कुछ सहायता प्रदान कर दी गई है और कुछ के विषय में विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य के विचार से विशेषज्ञ समिति का गठन देर से किया गया, परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं हैं। समिति ने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है और उस पर विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने तुरन्त कार्यवाही की है। माननीय सदस्य का यह कहना भी सही नहीं कि सरकार इस परियोजना की उपेक्षा करती रही है। नैवेली की समस्याओं को हल करने के लिये देश से तथा देश के बाहर से जो भी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो सकती थी हमने इन वर्षों में उसे प्राप्त करने का हर सम्भव प्रयत्न किया है। दुर्भाग्यवंश कई अवसरों पर हम सफल नहीं हुये। किन्तु इस कारण यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये कि परियोजना की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ वास्तविक तकनीकी समस्यायें हैं। जिनकी जांच की जा रही है तथा जिन्हें हल करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

(मद्रास हवाई अड्डे पर श्री के० मनोहरन, संसद सदस्य पर कथित आक्रमण)

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोहरन क्या आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने से पूर्व गृहमंत्री का वक्तव्य सुनना चाहेंगे? आपको तो उनका वक्तव्य दिखाया गया था परन्तु सदन इससे अनभिज्ञ है।

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : 16 और 17 दिसम्बर को श्री मनोहरन ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था, उस सम्बन्ध में लोकसभा की कार्यवाही

की साइक्लोस्टाइल्ड रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को तथ्यात्मक विवरण प्राप्त करने के लिये भेज दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है वह सदन के पटल पर प्रस्तुत है। उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों के बदनों तथा श्री मनोहरन द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य, जिसमें उन्होंने दो आक्रमणकारियों के नाम लिये हैं, के आधार पर पुलिस आगे कार्यवाही कर रही है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट क्या है? क्या मंत्री महोदय इसे पढ़कर नहीं सुना सकते जिससे हम इसके बारे में निर्णय कर सकें?

अध्यक्ष महोदय : यह रिपोर्ट बहुत बड़ी नहीं है। मंत्री महोदय इसे पढ़ सकते हैं।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : "तमिलनाडु सरकार ने उद्धृत पत्र की प्राप्ति से पहले ही श्री के० मनोहरन संसद सदस्य पर 15 नवम्बर 1972 को मीनामबक्कम हवाई अड्डे पर किये गये कथित हमले के बारे में इन्सपैक्टर जनरल पुलिस की रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले में जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट चिंगलपट पूर्व से प्राप्त हुई रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है। रिपोर्ट से यह विदित होता है कि डिप्टी सुपरिंटैंडेंट पुलिस, सेंट थामस माऊन्ट तथा जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट चिंगलपट कथित हमले का समाचार मिलते ही हवाई अड्डे पर पहुँचे और वहाँ जांच पड़ताल की। वहाँ उन्होंने श्री के० एन के० नायुडु, जो कि श्री के० मनोहरन तथा श्री के० ए० कृष्णस्वामी को अपनी कार में हवाई अड्डे पर ले गये थे और श्री एथिराज तथा जानसन जो कि दोनों संसद सदस्यों के साथ एक अलग कार में हवाई अड्डे पर पहुँचे थे, बयान लिये गये। तीनों व्यक्तियों द्वारा दिये गये बयानों के अंग्रेजी अनुवादों की प्रतियां संलग्न हैं।

2. कथित हमले के बारे में न तो श्री के० मनोहरन तथा के० ए० कृष्णस्वामी ने और न ही उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस पास कोई शिकायत दर्ज करायी। अतः पुलिस के पास किसी भी मामले की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बहर-हाल, 15 तारीख को पुलिस ने जो जांच पड़ताल की उसको मीनांबक्कम हवाई उड्डे के पुलिस थाने में दर्ज किया गया।

3. पुलिस सुपरिंटेंडेंट चिंगलपट ने बताया है कि पुलिस इन्सपैक्टर सेंट थामस माऊन्ट ने और जांच पड़ताल की तथा 16 नवम्बर, 1972 को निम्नलिखित व्यक्तियों के बयान नोट किये :—

1. श्री आर० देवराज पुत्र श्री रामास्वामी, चौकीदार, मीनामबक्कम हवाई अडडा, संख्या 3, बैनर स्ट्रीट, नंगनाल्लूर।

2. श्री एन० मुत्थू, पुत्र श्री नारायणन, एयरपोर्ट टिकट क्लर्क।

3. श्री शिवरामन पुत्र श्री टी० आर० वेदाचालामुदालियर, हिग्गीनबोथम्स बुक्स्टाल, मीनामबक्कम हवाई अड्डा।

4. श्री एन० दामोदरन, इन्डियन आयल कम्पनी, एवीएशन सुपरिंटैंडैंट मीनामबक्कम हवाई अड्डा।

5. जार्ज कुन्दसन, टैरिफ असिस्टैंट, मीनामबक्कम हवाई अड्डा।

6. श्री जी० कृष्णमूर्ती, चीफ़ टैरिफ असिस्टैंट, मीनामबक्कम हवाई अड्डा।

पुलिस सुपरिटेंडेट के अनुसार जांच पड़ताल से पता चला है कि जब 15 नवम्बर 1972 को श्री मनोहरन हवाई अड्डे पर पहुँचे तो कुछ लोगों ने, जो वहाँ इकट्ठे हो गये थे, श्री मनोहरन के ए० डी० एम० के० में शामिल हो जाने के पक्ष तथा विरोध में नारे लगाये ; कुछ लोगों ने बिना टिकट हवाई अड्डे में घुसने का प्रयास किया परन्तु उन्हें मुख्य-द्वार पर हवाई अड्डे के ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने वहाँ घुसने से रोका, हाथापाई में संसद सदस्य की कमीज फट गई। पुलिस सुपरिटेंडेट ने यह भी बताया है कि मीनाम-बक्कम हवाई अड्डे के वरिष्ठ ट्रैफिक असिस्टैंट घटना के तुरन्त बाद संसद सदस्य को एयर-पोर्ट लोंज में ले गये। उन्होंने यह भी कहा है कि यह कहना ठीक नहीं है कि पुलिस हवाई अड्डे पर मौजूद थी और वह संसद सदस्य की सहायता के लिये नहीं आयी। बल्कि हवाई अड्डे के सब इन्सपैक्टर पुलिस, जो वहाँ सुरक्षाकार्य पर तैनात थे और घटनास्थल से काफी दूर सीमाशुल्क ब्लाक के निकट खड़े थे, नारों की आवाज सुनकर जितने भी आदमी उनके पास थे उनको लेकर घटनास्थल पर पहुँचे। परन्तु जब वह वहाँ पहुँचे तो भीड़ जा चुकी थी।

4. यातायात के मुख्य समय में मीनामबक्कम हवाई अड्डे पर बड़ी व्यस्तता तथा भीड-भाड़ रहती है और अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों को विदाई देने के लिये बड़ी संख्या में लोग आते है। अतः हवाई अड्डे पर भीड़ के एकत्र होने से किसी विशेष बात का अनुमान नहीं लगाया जा सका।

5. श्री मनोहरन ने 16 तारीख को लोक-सभा में जो कहा कि श्रीरु माइनर मोसज़ ने 200 लोगों के दल के साथ उनपर कथित हमला करके जान से मारने का प्रयास किया, इस सम्बन्ध में मद्रास के पुलिस आयुक्त ने बताया है कि पुलिस को इस मामले की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने यह भी बताया है कि संसद सदस्य के निवेदन पर 13 नवम्बर, 1972 की रात को उनके निवास स्थान पर पुलिस के पहरे की व्यवस्था कर दी गई थी। 14 नवम्बर, 1972 को 200 लोगों के जुलूस ने संसद सदस्य के घर के सामने प्रदर्शन करने का जो प्रयास किया तो उन्हें उनके घर से बहुत दूर रोक दिया गया तथा हिरासत में लेकर इन लोगों को हटा दिया गया।

6. 19 नवम्बर 1972 को नई दिल्ली से वापसी पर इन्सपैक्टर पुलिस सेंटथामस माउन्ट ने मीनामबक्कम हवाई अड्डे पर श्री के मनोहरन तथा के० ए० कृष्णस्वामी से कथित घटना के बारे में सम्पर्क स्थापित किया। दोनों ने कथित घटना के बारे में शिकायत करने तथा कोई बयान देने से इनकार कर दिया। बाद में सन्ध्या को पुलिस इन्सपैक्टर श्री के० मनोहरन से उनके घर पर मिले और कथित घटना के बारे में तथ्य बताने के लिये कहा। इस बार फिर संसद सदस्य ने यह कह कर कुछ बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने तथ्य लोकसभा में बता दिये हैं।

7. यद्यपि श्री मनोहरन और कृष्णस्वामी शिकायत दर्ज कराने के लिये सहमत नहीं हुये तथापि घटना-स्थल के निकट उपस्थित व्यक्तियों द्वारा दिये गये बयानों के तथा श्री

मनोहरन द्वारा लोक सभा में दिये गये वक्तव्य, जिसमें उन्होंने दो आक्रमणकारियों के नामों का उल्लेख किया था, के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

8. इस सम्बन्ध में, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के समाचार से घटना की जानकारी होने के तुरन्त बाद तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने प्रेस को एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाहियों की निन्दा की।

भवदीय

ह०

23-11-1972"

श्री के० मनोहरन (मद्रास-उत्तर) : तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गये विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुझे दिल्ली आने से रोका गया। यह भी स्पष्ट है कि मुझ पर आक्रमण किया गया तथा पुलिस ने कुछ विवरण पहले ही प्राप्त कर लिये हैं।

मेरे दिल्ली से मद्रास वापस जाने पर एक सब इन्स्पैक्टर मेरे घर आया था तथा उसने मुझसे बयान देने के लिये कहा था। परन्तु मैंने कहा कि मैं कोई शिकायत करने के लिये तैयार नहीं हूँ क्योंकि संसद सदस्य होने के नाते यह मेरे विशेषाधिकार का मामला है। अतः संसद ही मेरी तथा मेरे हितों की रक्षा करने वाला एकमात्र निकाय है।

तीन व्यक्तियों के बयानों का संदर्भ दिया गया है। ये तीनों ही व्यक्ति मेरे मित्र हैं। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर डराया-धमकाया गया तथा उनके बयान लिये गये।

रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री के० मनोहरन ने कोई शिकायत नहीं की। मैंने पुलिस से केवल इसलिये शिकायत नहीं की कि मैं इस मामले को फौजदारी का मामला बिल्कुल नहीं समझता हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मैं एक यात्री था। विमान उड़ान लेने वाला था। मेरे पास शिकायत लिखाने के लिये समय भी नहीं था। मैं पुलिस से किस प्रकार शिकायत कर सकता था।

पुलिस अधीक्षक के अनुसार, हवाई अड्डे पर पुलिस का कोई सिपाही मौजूद नहीं था। परन्तु मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मेरे हवाई अड्डे पर पहुँचने से पहले वहाँ पुलिस के सिपाही मौजूद थे तथा मेरे वहाँ पहुँचते ही गायब हो गये। मैं नहीं जानता कि यह सब किस प्रकार हुआ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हाथापाई में श्री मनोहरन की कमीज फट गई। जब तक हमला करने का प्रयास न किया जाये तब तक कमीज कैसे फट सकती है? इसलिये स्पष्ट है कि मुझे संसद के सत्र में भाग लेने से रोकने का प्रयास किया गया।

'करैन्ट' नामक समाचारपत्र के उद्धरणों से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राज्य-सरकार की रिपोर्ट राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित है तथा मनगढ़न्त है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय। विशेषाधिकार समिति को इस मामले की जांच करने और अपने निष्कर्ष सभा को प्रस्तुत

करने के लिये कहा जाना चाहिये तथा सभा द्वारा इस मामले में निर्णय किया जाना चाहिये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यदि सदन का मत हो तो यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है समिति के निर्देश पद निश्चित किये जाने चाहिये। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पुलिस की रिपोर्ट के अभाव में आगे कार्यवाही किस प्रकार की जा सकती है। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिये एक प्रक्रिया बनानी चाहिये। श्री मनोहरन ने राज्य सरकार की रिपोर्ट को राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित तथा मनगढ़न्त बताया है। कोई सदस्य यदि श्री मनोहरन के वक्तव्य को ही मनगढ़न्त बताये तो इसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। विशेषाधिकार समिति को इसके प्रक्रियात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिये। संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये परन्तु इसके लिये एक प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिये। इस मामले पर निर्णय करते समय भी हमें प्रक्रिया की बात ध्यान में रखनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब सही एक रास्ता है कि इस विषय पर विशेषाधिकार समिति पूर्णरूप से विचार करे।

श्री सेझियान ने पूछा है कि पुलिस की रिपोर्ट की अनुपस्थिति में स्थिति क्या होगी, सो श्री मनोहरन ने कहा है कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और वह यह चाहते भी नहीं थे कि कोई आपराधिक कार्यवाही उन आक्रमणकारियों के विरुद्ध की जाये। वह इन तथ्यों को इस सभा के समक्ष पेश करना चाहते थे। जिन्हें मंत्री महोदय ने भी तमिलनाडु सरकार प्राप्त सूचना के बाद स्वीकार कर लिये हैं। अत: विशेषाधिकार समिति इन सभी बातों पर विचार करेगी। माननीय सदस्य तो यही चाहते हैं कि यह सभा निर्णय करे कि उनको सभा में आने से रोका गया अन्यता नहीं।

इस प्रकार स्पष्ट रूप से दो प्रश्न हैं। मुझे आशा है कि आप दल गत भावना से ऊपर उठकर इस पर विचार करेंगे। क्योंकि ऐसी घटना भविष्य में भी किसी भी सदस्य के साथ घट सकती है। विशेषाधिकार समिति इस पर विचार करके आगे के लिए भी हमारा मार्गदर्शन करेंगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा ऐसा चाहती है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अत: यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है। यह मैं पहले बता चुका हूं कि समिति किन किन पहलुओं पर विचार करेगी परन्तु फिर भी समिति इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार कर सकती है। मैंने कोई निश्चित सीमा नहीं बांधी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने सभा के एक सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में आपको लिखा है। मैं पत्र भी भेज चुका हूं। उक्त बातें श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी कही थीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति नहीं दी है क्योंकि उसमें विशेषाधिकार की कोई बात नहीं है। मैंने वक्तव्य देखे हैं तथा मुझे कुछ जानकारी चाहिए भी जो मैं आपसे लेकर बाद में इस सम्बन्ध में आपको बता दूंगा। मैंने जांच कर ली है, पुन: भी कर लूंगा आप अपनी बातें मुझे स्पष्टीकरण के लिए बता सकते हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कृषि पुनर्वित्त निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, विदेश यात्रा कर संशोधन, विनियम तथा अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कृषिक पुनर्वित्त निगम, के 30 जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 3869/72)

(2) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 52 के अन्तर्गत विदेश यात्रा कर (संशोधन) विनियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1370 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० बी० 3836/72)

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1098 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 3877/72)

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 1342, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 1423, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 1424, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3878/72)

वायुयान अधिनियम 1934 के अन्तर्गत वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 1972

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महीषि) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14 के अन्तर्गत वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1256 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3879/72)

एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग आदि के बारे में वार्षिक प्रशासन के प्रतिवेदन

कम्पनी कार्य विभाग में उप मंत्री (छेबेदबतहबूत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूँ :

(क) एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :––

(एक) एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के 6 अगस्त, 1970 से 13 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन।

(दो) एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के 1 जून, 1970 से 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के कार्यकरण और प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन।

(2) उपयुक्त प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण के साथ–साथ हिन्दी संस्करण सभा–पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5865/72)

चाय बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, अधिसूचनाये आदि

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) चाय बोर्ड के वर्ष 1970–71 सम्बन्धि वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3880/72)

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत इण्डिया यूनाइटिड मिल्स लिमिटेड, बम्बई, के प्रबन्ध के बारे में अधिसूचना संख्या का० आ० 686 (ड़) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3868/72)

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या का० आ० 3641 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रन्थालय में रखा गया था। देखिये संख्या एल० टी० 3867/72)

विधेयक पर अनुमति

ASSENT TO BILL

सचिव : मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किया गया तथा राष्ट्रपति अनुमति प्राप्त खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अधिरिक्त उत्पाद शुल्क) संशोधन विधेयक, 1972 सभा-पटल पर रखता हूँ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : मैं आपकी अनुमति से 4 दिसम्बर, 1972 को आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित कार्य लिये जाने की घोषण करता हूं :—

(1) आज की कार्यसूची से बचे हुए कितनी मद पर विचार।

(2) कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1972

(विचार तथा पास करना)

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा

(4) (एक) प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) विधेयक, 1972 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

(विचार तथा पास करना)

(दो) शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 1972

(विचार तथा पास करना)

(तीन) राजनियक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) (जम्मू और काश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये गये रूप में

(विचार तथा पास करना)

(5) विदेश मंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किये जाने पर अन्तराष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा

(6) श्री समर गुह द्वारा बुधवार, 6 दिसम्बर, 1972 को अपराह्न 3 बजे प्रस्ताव पेश किये जाने पर दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार पर चर्चा।

श्री एस० एम० बानर्जी : सी० आई० ए० के बारे में चर्चा का क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : वह अगले सप्ताह होगी।

श्री ज्यतिर्मय बसु : इस सत्र के पहले की बुलेटिन में दलबदल विरोधी विधेयक का नाम था। प्रेस बिल भी सूची में शामिल था परन्तु उस पर भी चर्चा नही हुई। सरकार स्पष्टीकरण दे कि दलबदल विरोधी विधेयक को नहीं पेश किया जा रहा है। भविष्य निधि विधेयक भी पुरस्थापन से आगे नही बढ़ा। उस पर चर्चा इसी सत्र में की जानी चाहिये।

मैंने नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए कई सूचनाएं दी हैं। मैंने मारूति लिमिटेड के बारे में सरकारी व्यवस्था में पक्षपात पर चर्चा की सूचना दी थी परन्तु उसके स्थान पर दूसरों के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी हमारे प्रस्ताव पर नहीं। सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण दे। क्योंकि मेरा अनुरोध है कि नियम 193 अथवा 184 के अन्तर्गत जिस चर्चा की मैंने सूचना दी है उस पर चर्चा होनी चाहिये।

फिर पंजाब तथा हरियाणा के कालेज अध्यापकों की हड़ताल संबंधी विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर अपनी अनुमति नहीं दी थी। माननीय सदस्य केवल वही विषय यहां उठायें जिन के बारे में कार्यवाही सलाहकार समिति में चर्चा की गई थी। वह कृपया संबंधित ही बोलें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने संबंधित ही बोला है तथा संबंधित ही बोलूंगा। दिल्ली के हजारों अध्यापक भूख हड़ताल पर है उन्होंने कल प्रदर्शन भी किया था। उसी प्रकार हरियाणा और पंजाब के कालेज अध्यापक हैं। श्रीमन्, यह विषय तो आपके राज्य से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बारे में सूचना दें। ऐसे ही उठकर चाहे जिस विषय पर बोलने न लग जायें मैं उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह विषय अब केन्द्रीय विषय बन चुका है क्योंकि राज्य सरकार ने यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेज दिया है।

श्री समर गुह : कल उपमंत्री श्री एफ० एच० मोहसिन ने अपने वक्तव्य में कहा था कि असम में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है। मेरे पास ऐसी तथ्यात्मक जानकारी है जिससे सिद्ध होता है कि वहां स्थिति बिलकुल भी सामान्य नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि अगले सप्ताह एक वक्तव्य दिया जाये जिस में अन्तिम स्थिति का सही सही ब्यौरा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कोई नया विषय उठाने का प्रयास न करें।

श्री समर गुह (कन्टई) : यह सांस्कृतिक अत्याचार तथा सांस्कृतिक सर्वनाश का एक नया सिद्धान्त है। क्या सरकार की नीति भाषायी अलपेसंख्यकें को बहुसंख्यकों से पूर्णतः मिलाने की है और, यदि हां, तो मैं चाहूंगा कि सदन में इस मामले पर चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

श्री समर गुह : दिल्ली विश्वविद्यालय के बंद रहने की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इससे विद्यार्थियों के अध्ययन और पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार इस बारे में अपना वक्तव्य दे।

श्री ए० पी० शर्मा (बकसर) : मैं अनुरोध करता हूं कि पहले बोनस अधिनियम (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं संसदीय कार्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री से दो प्रश्नों पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

Mr. Speaker: Is it possible for a man to listen to two men at a time?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आपको नियम 377 के अधीन लिख चुका हूं। यह एक गम्भीर मामला बनने वाला है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: (बेगुसराय) : ओ० पी० एम० मेहता के ऊनी चिथड़े सम्बन्धी प्रस्ताव का क्या बना। दो दिन पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि इस पर चर्चा की जायेगी (**व्यवधान**)

प्रो मधु दंडवते (राजापुर) : कृपया राज कमेटी के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए प्राथमिक्ता दीजिये।

श्री दीनेनभट्टाचार्य (सीरमपुर) : हमारे दल ने मंत्री महोदय को सी० आई० ए० पर चर्चा निश्चित करने के लिए कहा था लेकिन उसका यहां कोई ज़िक्र नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह 12 तारीख के लिये रखा गया है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): The discussion on land reforms is very important when should be taken up during the current session.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : मारुती लि० सम्बन्धी प्रस्ताव का क्या बना ?**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ये वचनबद्ध है।

श्री राजबहादुर : दल–बदल विरोधी विधेयक के बारे में सरकार ने प्रेस को कोई भी वक्तव्य नहीं दिया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

श्री राज बहादुर : मैं कहता हूं कि सरकार ने प्रेस को कोई भी वक्तव्य नहीं दिया (**व्यवधान**)। विधेयक पर गम्भीरता से विचार हो रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 193 तथा 184 के अधीन मारुती लि० के सम्बन्ध में चर्चा के लिए मेरी सूचना का क्या बना ?

श्री राज बहादुर : यह एक अपमानजनक वक्तव्य है (**व्यवधान**) यह एक अपमानजनक वक्तव्य है कि सरकारी मशीनरी का उपयोग हो रहा है। **जब तक नियम 353 के अधीन पूरा वक्तव्य न दिया जाये और जब तक मंत्री महोदय को आप अपना उत्तर देने के लिये न कहें उस समय तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राज बहादुर : मैं अध्यापकों की हड़ताल के बारे में शिक्षा मंत्री से बात करूंगा।

श्री पी० एम० मेहता ने स्वयं इस बात को मान लिया है कि उनके प्रस्ताव को अगले सप्ताह के बाद पेश किया जाये————'**व्यवधान**)। सी० आई० ए० सम्बन्धी प्रस्ताव 5 तारीख के लिए रखा गया था, जो इन्द्रजीत गुप्त के लिए सुविधाजनक नहीं और अब इसे उनकी सुविधा के अनुसार रखा जायेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप इसे श्री इन्द्रजीत गुप्त के नाम नहीं निश्चित कर सकते। अनेक सदस्यों ने सूचना दी थी। हम इससे सहमत नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रस्ताव को नियम 193 के अधीन श्री इन्द्रजीत गुप्त के नाम कार्य मन्त्रणा समिति ने स्वीकार किया था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : नहीं (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी: सी० आई० ए० की गतिविधियों सम्बन्धी श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रस्ताव को नियम 193 के अधीन स्वीकार किया गया।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया

Expunged as ordered by the Chair

श्री राज बहादुर : मैं उस प्रस्ताव को नियम 193 के अधीन स्वीकार करता हूं—।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोलता आ रहा हूं कि श्री राजबहादुर ने कुछ ऐसी बात कही है कि जो ठीक नहीं। नियम 184 के प्रस्ताव और नियम 193 के प्रस्ताव में से किसे अनुमति दी गयी :

अध्यक्ष महोदय : नियम 193 नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु ; यहां ऐसा वक्तव्य क्यों दिया गया कि यह अपमानजनक है। पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): By what time will the Scheduled castes and Scheduled Tribes (Amendment) Bill be introduced?

श्री राजबहादुर : हमने इसके बारे में कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि हम इसे इसी सत्र में ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, नाम को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने एक अपमानजनक वक्तव्य दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: किस नियम के अधीन ?

अध्यक्ष महोदय : आप कोई नाम लेते हैं और ये इनकार करते हैं।

यह नियम 193 है 184 नहीं। नियम 193 को अभी तक अनुमति नहीं दी गयी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 184 के अन्तर्गत अनुमति दे दें। इसमें कोई नाम नहीं है।

कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक
COAL MINES LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि कोयला खान श्रम कल्याण निदि अधिनियम 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए हमें प्रति दिन दोपहर के भोजन से वंचित रह कर अपने आप को दंडित करना चाहिए (व्यवधान)

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till was past Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 34 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirty four minutes past fourteen of the Clock.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

Mr. Deputy Speaker in the Chair

सांविधिक संकल्प और बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION AND PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री कछवाय का संकल्प और श्री खाडिलकर के बोनस सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा करेंगे

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): I beg to move the following resolution.

"This House disapproves of the Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1972 (Ordinance No. 8 of 1972) promulgated by the President on the 23rd September, 1972."

This Bill seeks to raise the minimum bonus from 4 percent to 8.33 percent. We welcome it. But it is regrettable that no attempt has been made in this Bill to remove the other short comings and defects of the present Bonus law.

The definition of bonus should be very clear. Majority of workers are not getting a living wages. It is, therefore necessary that all salaried workers should have the right to get bonus whether they are mill or mine workers or Government or domestic servants. There should not be any discrimination between the industrial and non-industrial workers.

At present no bonus is paid to the workers in those establishments in which less than 20 workers are employed. They should also be given bonus.

In the present Bill new establishments and industries have been exempted from paying bonus for first five years. There should not be such a provision. The workers should be paid bonus since the start of the industry.

It is good that the minimum bonus formula will be applicable to all public sectors industries. This benefit should also be extended to the Central Government employees. There is a persistent demand for the bonus in all the departments of the Government and the Government cannot ignore it for long.

There is no need of putting the Ceiling of 20 percent on bonus. It should be removed.

The whole amount of bonus to the workers should be paid in cash. If the part of the bonus is deposited in their provident fund they will not be able to get immediate relief from the burden of rising prices.

The Government has not been successful in arresting the rise in prices. It should take steps to hold the price line. The Government should take steps against profit makers. Arrangement should be made to provide articles of daily use to the workers at cheap rates. The millowners should be asked to open fair price shops for this purpose.

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): मैं प्रस्ताव करता हूं :– "कि बोनस अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें"

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करने की मांग इसलिए की गई भी कि अधिनियम के अन्तर्गत देय बोनस की न्युनतम और अधिकतम राशी में वृद्धि की जा सके। बोनस संदाय अधिनियम, 1956 के पुनरावलोकन के लिए डा० बी० के० मदान के ने तृत्व में एक बोनस पुनरवलोकन समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने देय बोनस की न्युनतम राशि को बढ़ाने के बारे में अपना निर्णय किया है लेकिन वह किसी सर्वसम्मत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। दो पृथक प्रतिवेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने बोनस अधिनियम के अन्तर्गत बोनस की देय राशि की दर को वर्ष 1971 से 4 प्रतिशत से $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत करने का निर्णय किया हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने कुछ अन्य संरक्षात्मक उपाय ली किये हैं जिससे मुद्रा स्फ्रिाति के दवाब के कारण अधिक न्युनतम बोनस का लाभ निष्प्रभावी हो जाये।

यह दो मुख्य निर्णय बोनस संदाय (संशोदन), अध्यादेश जो संविधान के अनुच्छेद 123 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 23 सितम्बर, 1972 को प्रख्यापित किया गया था, लोग किये गये हैं तथा इस विधेयक का उद्देश्य उस अध्यादेश का स्थान लेना हैं।

बोनस की राशि निर्धारित करने के बारे में विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं। इस विधेयक में उपयुक्त उपबन्ध करने उन विषमताओं को दूर किया गया है।

इस विधेयक के उपबन्ध केवल एक वर्ष के बोनस, अर्थात् 1971 के लेखा वर्ष ; चाहे वह किसी भी तारीख से आरम्भ होता है, के भुगातान से सम्बन्धित हैं। अत: विधेयक के उप–बन्ध अस्थायी है। यह सम्भव है कि बोनस पुनरावलोकन समिति का अन्तिम प्रति वेदन प्राप्त होने के बाद सरकार और व्यापक संशोधन के प्रस्ताव सभा के सम्मुख लाये। इस बीच वर्तमान विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तृत हुआ "कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

इस प्रस्ताव के बारे में दो संशोधन हैं। एक संशोधन श्री रामनारायण शर्मा का है जो सभा में उपस्थित नहीं है और दूसरा की चपलेन्दु भठ्टाचार्य का है। क्या आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे है?

श्री चपलेन्द्र भटाट्चार्य (गिरीडीह) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० पी० शर्मा का एक और संशोधन है। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं अपना संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: संसद् के समुख उक्त संशोधन विचाराधीन हैं।

Shr Mohammad Ismail (Barrackpore): I support the Bonus Bill. The issue of increasing the bonus is long over due and it was after a good deal of struggle, strikes and agitations all over the country that Government has now brought forward this Bill. It is provided in the Bill that any amount of bonus exceeding 8.33 per cent will be credited to the provident fund of the beneficiaries. It is stated that if the entire amount of the bonus is paid in cash it will cause inflation. The Government do not care about the floating of the black money worth 7,000 crores of rupees in the country, but when the question of payment of a small amount to the poor workers arises, it takes the plea of inflationary trends.

Making such provisions in the Bill is not proper.

So far as the question of depositing provident fund is concerned, the Government has failed to collect the fund of workers worth crores of rupees from the employers. The Government finds itself helpless in this matter.

If the Government has accepted the minimum bonus as 8.33 per cent irrespective of profit or loss, it means that it has accepted the principle of 'Deferred Wage'. If it is so, I cannot understand why the employees working in the Railway, P & T, Defence and other departments are denied their rightful claim for the same amount of bonus?

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करेगी।

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक

(धारा 2, 3, आदि का संशोधन)

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Secs 2, 3 etc.)

श्री पी० वैंकटसुब्बया (नन्दयाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाध अपमिश्रण रोक, अधिनियम, 1954 में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खाध अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(The Motion was Adopted)

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

बाल-विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक

(धारा 2, 3 आदि का संशोधन)

CHILD MARRIAGE RESTRAINT (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Secs. 2, 3 etc.)

Dr. Laxmi Narayan Pandey (Mandasaur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend Child Marriage Restraint Act, 1929.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

Dr. Laxminarayan Pandeya: I move the Bill.

नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक

(धारा 4, 8, आदि का संशोधन)

COIR INDUSTRY (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Sections 4, 8 etc.)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 290 का लोप)

Constitution (Amendment) Bill

(Omission of Act 290A)

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वैज्लौर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधक करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय :– प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री० आर० पी० उलनगम्बी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 324 का संशोधन)

Constitution (Amendment) Bill

श्री आर० पी० उलगनम्बी :– मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री आर० पी० उलगनम्बी :–– मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(अनुच्छेद 240 तथा प्रथम अनुसूची का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय :– 17 नवम्बर को श्री बी० के० दास चौधरी द्वारा पुर:स्थापित किये गये विधेयक पर आगे विचार किया जाये

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

श्री मारखंडेराय : बोल रहे थे वह अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैंने गलती से उन्हें उसके लिए 3.30 मध्याह्न का समय बता दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह 3.30 मध्याह्न पर आते हैं तो तब देखेंगें। श्री समरगुह भी उपस्थित नहीं है। श्री रामरतन शर्मा भी उपस्थित नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बुलाता हूँ।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) खड़े हुये।

श्री एस० एम० बनर्जी: सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह देखना मेरा कार्य है।

श्री समरगुह: मैं आपसे अनुरोध करता हूँ....

श्री एस० एम० बनर्जी: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब आप किसी वक्ता का नाम पुकारें और वह सभा में उपस्थित न हो तो इसकी यह तात्पर्य नहीं कि सभा में कोई वक्ता है ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं अपना निर्णय देता हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी: कृपया आप मेरी पूरी बात सुनें। जब सूची में दिये गये वक्ताओं में से कोई भी सभा में उपस्थित न हो तो किसी भी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति दी जा सकती है। यहां कुछ सदस्य उस विषय पर बोलने के लिए उत्सुक हैं। कृपया आप उन्हें बोलते की अनुमति दें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने गणपूर्ति की बात उठायी। यह देखना मेरा कार्य है। मैंने मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बुलाया है। यदि सभा में गणपूर्ति नहीं होगी तो वह अपना भाषण बन्द कर और गणपूर्ति होने पर पुनः आरम्भ करेंगे। मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि क्या वे कुछ और सदस्यों की बात सुनना पसंद करेंगे। यदि वह इससे इनकार करते है तो अपना उत्तर देना आरम्भ करेंगे।

श्री एफ० एच० मोहसिन: मुझे प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री समरगुह खड़े हुये।

श्री एस० एम० बनर्जी: श्रीमन्, श्री मारखंडेराय आ चुके हैं।

मारखंडे राम खड़े हुये

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठ जाइये। सभा की कार्यवाही ध्यान पूर्वक गम्भीरता से तथा सम्मान के साथ की जानी चाहिए।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): Last time I was saying that Andaman & Nicobar islands have a long history behind them and that the sacrifices and sufferings of the revolutionaries during the freedom struggle of the country are intimately connected with them. The suggestion that plebiscite or a referendum should be held there to assess the public opinion in regard to changing names of these islands can not be supported. The opinion of the members of Parliament representing those islands is enough in this matter. In the past we have changed the names of many places, it is not a new thing to change the old names.

It is regrettable that the Government have not honoured the pledge taken by Shri Subhash Chandra Bose in front of cellular Jai in Andaman and Nicobar islands that a martyr's memorial would be erected at that place after the country had gained independence. At port Blair Jail

where the martyrs and revolutionaries have laid down their lives for the cause of the country a national memorial must be erected.

Govt. has also failed to give due honour to our old revolutionaries and freedom fighters during the last twenty five years. It is a matter of satisfaction that under the Primeministership of Shrimati Indira Gandhi, something is now being done in that direction.

Shri Subhas Chandra Bose had also taken a pledge in front of the grave of Late Bahardurshah Jafar in Rangoon that the last Emperor of this country would be burried again at the Red Fort with full national honour after India achieves independence. The Late emperor first soldier of India's independent struggle, had expressed his desire that after his death he should be buried on the sacred soil of his mother land. His desire has not been fulfilled so far.

With these words I support the Bill and commend the House to adopt it unanimously.

आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के विरुद्ध लाल किले में मुकदमे की पैरवी करते हुए श्री भोला भाई देसाई ने तर्क दिया था कि ब्रिटिश सरकार को उनपर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। उनका तर्क था कि जनरल शाह वाज कर्नल टिल्लों और कर्नल सहगल स्वतंत्र भारत के सैनिक हैं तथा उक्त सरकार प्रभुसत्ता सम्पन्न है जिसका राज्य क्षेत्र अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह है। इन तर्क का आधार नेताजी सुभाश चन्द्र बोस की सरकार का उक्त द्वीप समूह पर नियन्त्रणा था। उस समय का नेताजी का सन्देश स्वतंत्र भारत की प्रथक सरकार के प्रथम राष्ट्रपति का राष्ट्र के प्रति, नई पीढ़ियों के प्रति अभिवचन है जिसका आदर किया जाना चाहिए।

नेताजी ने उक्त द्वीप का नाम स्वराज्य द्वीप रखा था क्योंकि स्वंतंत्रता संधर्ष के दिनों में सेलूयुलर जेल शाही बन्दयों का कारागार थी। अतएव यह समूचे राष्ट्र के क्रान्तिकारियों की परम्परा है। यही कारण है कि नेताजी ने समूचे भारत के शहिदों के सम्मान में उसका नाम शहीद द्वीप रखा था। इन्हीं कारणों से इस का नाम शहीद द्वीप रखा जाना चाहिए।

दूसरे द्वीप का नाम उन्होंने स्वराज्य द्वीप क्यों रखा? इसलिए कि वहां पर स्वतंत्र भारत का झंडा पहली बार फहराया गया था। इसलिए नेताजी ने इस द्वीप का नाम स्वराज्य द्वीप रखने का सुझाव दिया था।

संसद में इस मामले पर चर्चा के पश्चात एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल वहां गया था जिसका मैं भी सदस्य था। पोर्ट ब्लेयर पर नेताजी की मूर्ति स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपया स्वीकार करने का वचन दिया गया था। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

द्वीप समूह का वर्तमान नाम ब्रिटिश साम्राज्य वादियों द्वारा रखा गया है। 'पोर्ट ब्लेयर' का नाम बदल कर 'सुभाष बन्दर रखा जाना चाहिए। "कार्नवालिस पोर्ट तथा अन्य स्थानों का नाम उन लोगों के नाम पर रखा जाना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था।

यदि सरकार इस विधेयक को स्वीकार करने को उद्यत नहीं है तो उसे जनता की राय जानने के लिए परिचालित करना चाहिए।

Shri R. R. Sharma (Bande) I whole-heartedly support the Bill. The spirit of nationality is behind this Bill without which no nation can live. The names of towns and places given by the foreigners especially by the Britishers should be immediately changed. The city of 'Lucknow was named after the words such new. All these should be changed.

Shri D. N. Tewari (Gopalganj): This Bill is the no way against the Government. So the Government should not hesitate to accept it.

Our national sentiments are involved in it. In Delhi itself the names of various places and roads have been changed in adherence to our sentiments. These names are thought to be changed on account of the fact that the memories of ghostly sufferings and in human tortures are associated with the present names.

The present names should be so re-named to reflect the aspirations and ambitions of the nation. The statues of foreign rulers were removed and replaced by the statues of our patriots to honour our national spirit.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामा बाद) : सम्पूर्ण राष्ट्र श्री दासचौधरी को इस विधेयक के प्रस्तुत करने के लिए वधाई देता हूं। इन स्थानों पर हमारे वीरों और क्रान्तिकारियों को भारी यातनाएं दी गई थीं। अतएव हमारी यादें इन्से जुडी हुई हैं। नेताजी सुभाश चन्द्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का झंडा पहली बार फहराया था। नेताजी ने अरविन्द घोष तथा वीर सावरकर के मार्ग को अपनया था। अनेक आतंकवादियों को इस द्वीप में कष्ट दिये गये थे।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): Not terrorist but revolutionaries.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : आतंकवादी शब्द में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्री भोलभाई देसाई ने अपने प्रसिद्ध तर्कों में कहा था यदि आप विदेशी सरकार को हटाना चाहते हैं तो राष्ट्र को उसके विरुद्ध विद्रोद करने में शक्ति के प्रयोग से कोई नहीं रोक सकता।

Shri Jharkhanderai: The word 'terrorist' is not honourable. It was first used by Sir George Endersen the Governor of Bengal in 1933. Prior to the word revolutionary was used in all such cases.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मुझे 'रेवेल्यूशनरी' शब्द पर कोई आपत्ति नहीं है।

दिल्ली में भी औरंगजेब रोड जैसे नाम अभी भी चल रहे हैं। यह अपमानजनक है कि हिन्दुओं को बलात् मुसलमान बताने वाले हिन्दुओं से 'जजिया' लेने वाले मुगल बादशाह के नाम पर सड़कों के नाम अब भी चलें।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि न केवल द्वीप समूह के नाम को बदलने वाले विधेयक को ही स्वीकार करे अपित् औरंगजेव रोड जैसे नामों को भी बदलें।

श्री वसन्त साठे (ऊकोला) : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस तर्क संगत विधेयक तथा हमारे सुझाव को स्वीकार करें। इस नाम को बदलने में सरकार को क्या आपत्ति है? वर्तमान नाम निरर्थक भी है और यह बुरी यादों का प्रतीक है। इस नाम को बदल दीजिए और उसका नाम अद्वितीय शौर्य प्रदर्शित करने वाले बहादुरों

के नाम पर शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप रख दीजिये, अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई नाम है तो सुझाव दीजिये, या तो आप हमारा सुझाव स्वीकार कर लीजिये या अपने नकारात्मक उत्तर के संबंध में पूरा स्पष्टीकरण दीजिये या इसे सलाहकार समिति को सौंप दीजिये या अन्दमान के लोगों पर इसका निर्णय छोड़ दीजिये ।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह हमारे लिए और विशेष कर स्वतंत्रता के बाद आने वाली पीढ़ी के लिए बुरी यादों का प्रतीक है। यह देश के हित में है कि देश के प्रत्येक भाग का नाम ऐसा रखा जाना चाहिए जिसका सम्बंध बलिदान, देश-सम्मान आदि गौरव पूर्ण बातों से हो। जो सुझाव अभी आया है उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, अगर आपके पास इससे बेहतर कोई नाम है तो उस पर विचार किया जाये अन्यथा यह कार्य किसी संसदीय समिति को सौंपा जा सकता है।

Shri M. C. Daga (Pali): The Hon. Minister should not brush aside our suggestion. If he requires time for it he can take it but his answer to our suggestions should not be 'No.'

श्री धामनकर (भिवंडी) : आज हमारे सुझाव को अस्विकार करके हमें परेशानी की स्थिति में न डालियेगा, आप चाहें तो इसे किसी संसदीय समिति को सौंप सकते हैं।

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar): I also support it. There should be a change in this name of Andaman and Nicobar.

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa): The Islands of Andaman and Nicobar are associated with our freedom struggle. It is necessary to make a change in their present names so that the coming generation may look at it in right perspective and in correct background. This change should be in accordance with the history of our Freedom struggle. It will be a matter of self-respect and pride for us. It will be painful for us if the Hon. Minister replies in the negative. This island is very important and people wish to go there. Its name should be changed and it should be maintained as national monument. The statues and portraits of the persons who were sentenced and punished there should be installed. With these words, I support this Bill from the core of my heart.

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे आज उत्तर न दें, यदि आवश्यक हो तो वे सरकार से परामर्श करने के लिए पर्याप्त समय ले लें और फिर सरकार के निर्णय को लेकर सामने आयें। तब तक विधेयक को रोक दिया जाये। ऐसा पहले श्री नाथपाई जी के संविधान (संशोधन) विधेयक के मामले में भी हुआ है।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : यदि मेरी बात सुनने के पश्चात सभा यह चाहती है कि मामला सरकार को बताया जाये तो मुझे खुशी होगी, लेकिन पहले मैं पूरी स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलने का मामला कई बार संसद में उठाया गया है। मैं सभी पक्षों के सदस्यों की भावनाओं से अवगत हूं और उनके साथ सहमत हूं। इस प्रस्ताव की लम्बी कहानी से सभा को अवगत करना मेरा कर्तव्य है, वक्ताओं में से कई नये सदस्य भी हैं और शायद उनको उस सम्बंध मामले की पृष्टभूमि की जानकारी भी न हो। द्वीप समूह के

नामों को बदलने हेतु तीसरी लोक सभा में सर्वप्रथम श्री एच० वी० कामथ द्वारा एक संविधान (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और यह विधेयक सभा में चर्चा के लिए 3 दिसम्बर, 1965 को लाया गया था। विधेयक पर चर्चा के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि नाम बदलने सम्बंधी यह सम्बंधी गृह मंत्री की अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह सम्बन्धी सलाहकार समिति के सामने रखा जाएगा। इस बात को देखते हुए श्री कामथ ने विधेयक वापस ले लिया था। आश्वासन के अनुसार प्रस्ताव 7 दिसम्बर, 1965 को सलाहकार समिति के सामने रखा गया। समिति के सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि वर्तमान नाम में परिवर्तन न किया जाये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : कृपया गलत धारणा पैदा न कीजिये। वह संसदीय समिति नहीं थी। वह मनोनीत सदस्यों की समिति थी।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह गृह मंत्री की अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह सम्वन्धी सलाहकार समिति है और इसके सदस्य ली वहीं के हैं। केवल मुख्य आयुक्त बाहर के हैं।

श्री समर गुह : यहां व्यक्त की गयी इतनी उदात्त भावना को उन्हें दूषित नहीं करना चाहिए। यहां से एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, मैं भी उसमें शामिल था। हम द्वीप समूह में 10 दिन तक रहे। हमने सार्वजनिक सभायें कीं और लोक-मत जानने का प्रयत्न किया। वे लोग उससे सहमत थे।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह प्रश्न 29-2-1948 को तब गृह मंत्री सरदार पटेल के सामने भी आया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू से परामर्श करके यह उत्तर दिया गया था कि नाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

श्री समर गुह : आप बेकार में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, उस समय की स्थिति कुछ और थी लेकिन आज आप उनको क्यों बीच में ला रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : सरदार पटेल तथा पंडित जी का नाम इस प्रकार लेना ठीक नहीं है। उनकी स्थिति भिन्न थी, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा था इसलिये हमें अपना मुंह बन्द रखना चाहिए।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं जो कह रहा हूं वे तथ्य हैं, मैं संसद की कार्यवाही के आधार पर बोल रहा हूं। मैं किसी प्राइवेट बातचीत के आधार पर नहीं बोल रहा हूं। यह प्रश्न 1950 से लेकर 1961 तक संसद में उठाया जाता रहा है। पांच बार यह प्रश्नों के रूप में उठाया गया और पांच बार संकल्पों अथवा ध्यानाकर्षण सूचनाओं के रूप में उठाया गया तथा पांच बार विधेयक पेश किये गये। एक बार यक प्रस्ताव भी किया गया था कि द्वीप का नाम बदलकर सुभाष द्वीप रख दिया जाये। डा० एन० जी० खरे ने संसद में प्रस्ताव पेश किया था कि द्वीप का नाम वीर सावरकर तथा भाई परमानन्द द्वीप रखा जाये। एक बार यह प्रस्ताव भी किया गया था कि पोर्ट ब्लेयर का नाम पोर्ट लाल बहादुर रख दिया जाये। इस प्रकार नाम में परिवर्तन करने के बारे में अनेक प्रस्ताव किये गये।

Shri R. R. Sharma (Banda): I want to raise a point of order. The previous proposals were regarding renaming Andaman and Nicobar islands on the basis of the names of individuals but the present proposal is to rename them as Swaraj Dweep and Saheed Dweep. Individual names can be ignored but Saheed and Swaraj Dweep names are not such. The Hon. Minister is twisting the matter.

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वसन्त साठे : किसी विशिष्ट नाम पर तो आपत्ति के सकती है लेकिन स्वराज और शहीद नामों के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : धैर्य से सुनिये, मैं आपको कारण बता रहा हूं, ये आधार हैं।

किसी क्षेत्र का नाम बदलते समय अन्य स्थानों के लोगों की राय जानने के बजाए उस क्षेत्र के निवासियों की इच्छाओं और आंकाक्षाओं का आदर करना कहीं अधिक श्रेस्कर होता है। माननीय सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि उस क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं का निरादार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए किसी क्षेत्र का नाम बदलने के लिए यह सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की हैसियत से हमें उस क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं का सदा आदर करना चाहिए । गृह मंत्री की परामर्श -दत्री समिति ने यह सर्व सम्मति से निर्णय किया था और उस क्षेत्र से निर्वाचित संसद सदस्यों ने भी उस सुझाव पर अपनी सहमति दी थी। ऐसी बात नहीं है कि गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में हमने किसी व्याक्ति को रखा हुआ है। इस समिति में 6 ऐसे गैर सरकारी सदस्य हैं जो प्रसिद्ध नागरिक हैं और पंचायतों के प्रधान भी हैं। और अन्दमान का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य भी इस समिति में हैं। हम इस समिति से दुबारा सलाह ले सकते हैं। यहां माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से इस समिति को अवगत ,करा दूंगा। यदि अन्दमान और निकोबार के निवासी अपने क्षेत्र का नाम बदलना चाहेंगे तो हम स्वंय इस सम्बन्ध में विधेयक पेश करेंगे।

इस क्षेत्र का नाम बदलने के लिए पहले भी दो बार गैर सरकारी विधेयक पेश किए गये थे। इसके पश्चात् 12 मार्च, 1972 को गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया गया था। समिति के सदस्यों ने इस क्षेत्र के वर्तमान नाम की एतिहासिक महत्ता के कारण इसका नाम बदलने का विरोध किया था। फिर भी यदि यह देखा गया कि इस क्षेत्र के निवासी यह चाहते हैं कि इस क्षेत्र का नाम बदल कर शहीद तथा स्वराज्य द्वीप रख दिया जाए तो हम स्वंय इस आशय का विधेयक पेश करेंगे।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : इस बात का पता लगाने के लिए वहां संसद सदस्यों का एक शिष्टमण्डल भेजा जाना चाहिए।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं। इस आश्वासन से सदस्यों को सन्तुष्ट हो जाना चाहिए और उन्हें अपना विधेयक वापस ले लेना चाहिए।

श्री नटवरलाल पटेल (मेहसाना) : सरकार को संसद संस्दायों की एक समिति बनानी चाहिए जो वहां जाकर वहां के लोगों की भावनाओं को समझे।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : भारत के लगभग सब राज्यों से देश भक्तों को अन्दमान की जेल जाना पड़ा था। और ये देश भक्त कई वर्षों तक रहे थे। यदि भारत के सब राज्यों के प्रतिनिधि उस क्षेत्र का नाम बदलना चाहते हैं तो इस मामले पर क्यों नहीं विचार किया जाता है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह समस्त भारत के लोगों की भावनाओं को समझें।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : जहां तक मंत्री महोदय द्वारा दर्शाए गए सिद्धान्तों का सम्बन्ध है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि वहां के लोगों की इच्छाओं और भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि समिति के सदस्य गलती पर हैं क्योंकि वे एतिहासिक महत्व को नहीं समझ पाये हैं। श्री दासचौधरी के विधेयक का सब ने समर्थन किया है। किन्तु मंत्री महोदय को हमें कम से कम इतना आश्वासन तो देना चाहिए कि वे वहां के लोगों की इच्छाओं और भावनाओं की जानने के लिए कोई उपयुक्त और सबको स्वीकार्य मानदण्ड अपनाया जायेगा। हम एतिहासिक कारणों के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यदि माननीय सदस्यों के पास इन लोगों की भावनाएं जानने का कोई और अच्छा मानदण्ड है तो वे कृपया मुझे बताएं। जिस समिति से हमने परामर्श किया है वह एक प्रतिनिधि निकाय है और उसमें पंचायतों के प्रधान हैं। और यदि माननीय सदस्यों के पास इस उद्देश्य के लिए कोई अधिक अच्छी पद्धति है तो मैं उसे सरकार को बता दूंगा, और यदि इसके आधार पर सरकार इस निर्णय पर पहूंची कि उस क्षेत्र का नाम बदल दिया जाए तो हम अवश्य ही इस सम्बन्ध में सरकारी विधेयक पेश करेंगे।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : इस सम्बन्ध में मैं दो या तीन वैकल्पिक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचार रिकार्ड में रख लिए गये हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम उनके विचारों की सलाहकार समिति को भेज देंगे ताकि वह इस मामले पर पुनर्विचार कर सकें।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से अपील करता हूं। सभा के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को रिकार्ड में रख लिया गया है और मंत्री महोदय ने सभा को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि ये विचार केवल सलाहकार समिति को ही भेजे जायेंगे। चूंकि एक प्रतिनिधि समिति है और जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति इसके सदस्य है अतः विधेयक पेश करने वाले माननीय सदस्य को इस आश्वासन से सन्तुष्ट हो जाना चाहिए। इस बीच विधेयक को निलम्बित रखा जा सकता है।

उस समस्त परिस्थिति में एक बात मौलिक है और वह यह कि उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों से परामर्श किए बिना उस द्वीप समूह का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। लोगों की राय जानने के लिए उस मामले को उस समिति के पास पुनः भेजना ही एक मात्र उपाय है।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच–बिहार) : संसदीय कार्य मंत्री की उस अपील को देखते हुए ही संसद सदस्यों की भावनाओं को समिति को अवगत करा दिया जायेगा, मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को तब तक के लिए निलम्बित रखा जाये जब तक कि वह समिति उसपर पुनर्विचार नहीं कर लेती –

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बाद विचार स्थगित करने के लिए प्रस्ताव पेश करें।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं। हमने यह निर्णय सरकार के अनुरोध पर किया है। अतः इस मामले पर बेलट का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सरकार के विशेष अनुरोध पर ही विधेयक को निलम्बित किया जा रहा है जहां तक अधिकार का प्रश्न है मैंने अभी वाद विवाद का उत्तर नहीं दिया है। यह तो केवल सहलियत का प्रश्न है कि जैसे ही सरकार को समिति अपना मत व्यक्त करेगी, सरकार इसके लिए समय निर्धारित करेगी।

श्री विक्रम महाजन : हमें ऐसा निर्णय करना चाहिए जिससे निगम 109 उस मामले पर लागू न हो। अतः वाद विवाद को स्थगित कर देना चाहिए क्योंकि सरकार भी यह चाहती है।

श्री सभापति महोदय : क्या आप यह प्रस्ताव पेश कर रहे हैं?

श्री विक्रम महाजन : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :
"उस विधेयक पर वाद–विवाद स्थगित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि उस विधेयक पर वाद–विवाद स्थगित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

राष्ट्रीय राइफल प्रशिक्षण विधेयक
NATIONAL RIFLE TRAINING BILL

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "20 और 30 वर्ष के बीच की आयुवाले सभी समर्थ शरीर वाले नागरिकों को आनेवाली अनिवार्य राइफल परिक्षण की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैंने उद्देश्य और कारणों को बताने वाले विवरणों में इस विधेयक को पेश करने सम्बन्धी कारणों को बताया है। 5 मार्च, 1954 में इस सभा में एक संकल्प पारित किया गया था कि सरकार को भारत में राइफल प्रशिक्षण संस्थानों को तत्काल समुचित और व्यवहार्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे भारत के नवयुवकों में अनुशासन लक्ष्यें लेद, प्रेरणा और नेतृत्व की भावना उत्पन्न हो इस दिशा में सरकार ने कुछ कार्यवाही तो की है, किन्तु जो कुछ किया गया है और जो कुछ किया जाना है, उसे संहित बद्ध किया जाना चाहिए। इस विधेयक को पेश करने का मेरा यही मुख्य आशय है।

जिम प्रकार किसी व्यक्ति को शान्तिपूर्वक ज़ीवन यापन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपनी रक्षा करने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार राष्ट्र को भी बाहरी शक्तियों से अपनी रक्षा करने की आवश्यकता होती है. यदि हमारे देश पर किनी बाहरी शक्ति का आक्रमण होता है तो अपनी रक्षा करनी पड़ती है। युद्ध के दौरान नागरीक सुरक्षा नितान्त आवश्यक हो जाती है; किन्तु ऐसी व्यवस्था युद्ध के दौरान ही की जाती है। लेकिन देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्वस्थ शरीरवाले नागरिक को जिसकी आयु 20 और 30 वर्ष के बीच हो, राइफल का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में एक संकल्प 1954 में पारित किया गया था, जिससे फलस्वरूप सरकार ने नागरिक राइफल प्रशिक्षण योजना संवर्द्धन सम्बन्धी एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की थी। इस बोर्ड के अध्यक्ष गृह मंत्री थे।

बोर्ड अभी तक कायम है अथवा नहीं, यह मैं, नहीं जानता। सरकार ने 'सिविल राईफल ट्रेनिंग न्यूज़' के नाम से एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था। इस समाचार की सबसे पहली प्रति मेरे पास है किन्तु बाद में उसका कोई अंक देखने में नहीं आया। सम्भवतः वह पत्र अब बंद हो गया है। सिविलियन राईफल प्रशिक्षण योजना का महत्व बताते हुए तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा था कि गत 5 वर्षों की अवधि में दो दो बार युद्ध का सामना करने के पश्चात देश आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए जागरूक हो गया है हम अपने उद्देश्य में केवल उसी स्थिति में सकल हो सकते हैं जबकि शाँतिकाल में हम इसकी तैयारी करते रहें। इस प्रशिक्षण योजना को तत्काल आपात स्थिति का सामना करने के लिए एक आवश्यकता के रूप में जाना गया है। मैं आशा करता हूँ कि केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को सफल बनायेंगी तथा जनता सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने में समर्थ ही सकेगी।

राईफल प्रशिक्षण संस्था को अभी तक सरकार ने संहित नहीं किया है। इसके संहिताकरण के लिए हो मैंने सदन की स्वीकृति हेतु यह विधान पेश किया है।

1963 में गृह मंत्री ने सिविल राईफल प्रशिक्षण योजना के बारे में राज्य सरकारों को एक पुनरीहित योजना भेजी थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—

यह राष्ट्र के युवा वर्ग को अच्छा निशानेवाज बनाना सिखाती है। यह खेल-कूद को प्रोत्साहन देती है। यह नागरिकों को प्रात्मर रक्षा के लिए तैयार करता है और देश की रक्षा हेतु नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना को जन्म देती है।

जहां तक केन्द्रीय सिविलियन राईफल ट्रेनिंग बोर्ड का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि यह अभी तक कायम है अथवा नहीं। यदि यह कायम है, तो क्या इसके गठन में कोई परिवर्तन हुआ है और यदि नहीं, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं और बोर्ड की गतिविधियां क्या हैं? क्या राज्य राईफल संस्थाओं को सहायता देने के लिए बाध्य हैं? क्या गोला बारूद की, विशेषकर 22 बोर राईफल की सप्लाई हो रही है क्योंकि पहले यह बंद कर दी गई थी? इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है। क्या राईफल क्लबों को पुलिस प्रोत्साहन देती है। योजना के कार्यान्वयन का नियंत्रण और निरीक्षण कौन करता है। मैं ने विधेयक में उपबन्ध रखा है कि एक निरीक्षण प्राधिकरण होना चाहिए। मैंने राईफल चलाने और उसके रख रखाव का भी उपबन्ध रखा है। 1954 में संकल्प पारित किया गया था परन्तु अब भी सरकार ने संहिताकरण विधेयक पेश नहीं किया है। अत: मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर विचार करने के बाद इसे पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि 20 और 30 वर्ष के बीच की आयु वाले सभी समथगि नागरिकों को अनिवार्य राईफल प्रशिक्षण की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री बी० के० दासचौधरी (कुच-बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को जनमत जानने के लिए 31 मार्च, 1973 तक परिचालित किया जाये।"

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बीस और तीस वषे के बीच की आयु वाले सभी समथगि नागरिकों को राईफल चलाने में अनिवार्य प्रशिक्षण देने का उपबन्ध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 10 सदस्य हों, अर्थात्:

श्री एस० एम० बनर्जी,
श्री धरनीधर बसुमतारी,
श्री ज्योतिर्मय बसु,
श्री मूलचन्द डागा,
श्री समर गुह,
श्री श्याम सुन्दर महापात्र,
श्री एस० एम० सिद्दय्या,
श्री शंकर दयाल सिंह,
श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और
श्री सुबोध हंसदा

और उसे आगामी सत्र के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

सभापति महोदय : ये संशोधन भी सभा के समक्ष हैं। श्री अजीत कुमार साहा।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं समझ रहा था कि पहले मैं बोलूंगा क्योंकि पहला संशोधन मेरा है। मुझे कुछ और भी लाभ है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें पहले बोलने का मौका दिया जाये। संशोधन पेश करने मात्र से उन्हें स्वयं बोलने का अवसर नहीं मिल जाता है।

***श्री अजित कुमार साहा** (विष्णुपुर) : में श्री एस० सी० सामन्त द्वारा पेश किये गये विधेयक का समर्थन करता हूं। श्री सामन्त ने केवल चीनी आक्रमण का हवाला किया है जबकि इसके अतिरिक्त हमने 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमणों का भी सामना किया अत : इनका उल्लेख भी माननीय सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए था।

मेरा सुझाव है कि राईफल प्रशिक्षण 16 वर्ष से अपर की आयु वाले युवक ग्रामीणों तथा श्रमिकों को भी किया जाना चाहिए। बड़े ही दुख की बात है कि निर्धन वर्ग और मज़दूर वर्ग को यह प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

राईफल प्रशिक्षण पंचायती स्तर पर दिया जाना चाहिए। हमारी 80 प्रतिशत जनता ग्रामो में रहती है। अत : उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे देश की रक्षा करने के योग्य हो सकें।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। विधेयक का उद्देश्य हष्ट पुष्ट लोगों को देश की रक्षा के लिए तैयार करना है। इतिहास देखने से पता चलता हो कि मातृ-भूमि पर जब भी आँच आई, भारतवासियों ने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान लड़ा दी। समतावादी समाज तथा सभ्यता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि देश के लोग उसकी रक्षा करने में समर्थ हों।

1951 में नेशनल राईफल ऐसोसिएशन हुआ करती थी जिसका गठन सरकार द्वारा किया गया था। अब भी यह संस्था कायम है। इसका उद्देश्य युवा-वर्ग को सैनिक शिक्षा जिसमें राईफल प्रशिक्षण भी शामिल है, देना ताकि उनमें निडरता और आत्म विश्वास की भावना जागे। इसके अतिरिक्त उनको हष्ट-पुष्ट बनाने तथा आग्नेम अस्त्रों के प्रयोग सिखाना, सीमा के निकट रहने वाले ग्रामीणों को अपने पशु आदि की सुरक्षा के लिए उपाय बताना निशानेबाजी मुकाबलों का आयोजन करना तथा हष्ट-पुष्ट लोगों को देश की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल था।

एन० सी० सी० प्रशिक्षण जो कभी सभी शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य था अब वैकल्पिक कर दिया गया है। युवकों को निडरता, अनुशासन सिखाना, शारीरिक शिक्षा देना ही केवल आवश्यक नहीं है बल्कि हमें रक्षा के लिए एक सहायक सेना तैयार करनी है जो आवश्यकता पड़ने पर काम आ सकें।

---

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bangla.

अमरीका में थल सेना, वायु सेना और नौ सेना में 90 प्रतिशत भरती उन लोगों में से की जाती है जो सहायक सेना में होते हैं। रूस में भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले युवकों की अनिवार्य भर्ती की जाती है। फ्रांस तथा ग्रेट ब्रिटेन में भी ऐसा ही है।

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि आयु सीमा 20 और 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मेरे विचार में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए अन्यथा इस विधेयक को स्वीकृति दे देनी चाहिए। इससे युवा-वर्ग को अनुशासन में रखकर देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : यद्यपि राईफल निशानेबाजी की गतिविधियों से मेरा सम्पर्क पिछले 20 वर्षों से है, फिर भी गत कुछ वर्षों से मुझे इसके बारे में दुबारा सोचना पड़ रहा है। माननीय सदस्य द्वारा पेश किया गया विधेयक यदि दस वर्ष पहले लाया गया होता, तो सदन को इसका पूरा समर्थन मिलता परन्तु आजकल की विधिहीन घटनाओं को देखते हुए निशानेबाजी गतिविधियों से सक्रिय रूप में सम्बन्ध लोगों के मन में भी शंका पैदा होने लगी है कि क्या ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो इसका दुरूपयोग कर सकते हैं। मै कुछ वर्षों तक सिविलियन राईफल प्रशिक्षण समिति में रहा हूँ। कुछ दिन पूर्व जब मुझे इस समिति में फिर से शामिल होने के लिए कहा गया था, तो मैंने बताया कि मैं ऐसे प्रशिक्षण का विरोध करता हूँ। 20 वर्ष पहले लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना थी पर अब असामाजिक तत्वों ने हमें फिर से सोचने पर मज़बूर कर दिया है।

श्री सामन्त के विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ लेकिन साथ ही मैं कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, देश में अगले पांच वर्षों तक बड़े पैमाने पर लोगों को राइफल चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। राइफल चलाने का प्रशिक्षण या तो संगठित राइफल क्लबों द्वारा दिया जाना चाहिए अथवा यदि सरकार को बड़े पैमाने पर राइफल चलाने का प्रशिक्षण देना है तो यह प्रशिक्षण देश के सीमावर्ती क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों अथवा अन्य भागों में दिया जाना चाहिए जहाँ डाकुओं का आतंक है अथवा जहां अराजकता व्याप्त है। किन्तु सामान्य व्यक्ति के लिये राइफल चलाने का प्रशिक्षण क्लबों तक ही सीमित रहना चाहिए जो कि बहुत उदारता से यह प्रशिक्षण दे रहे हैं। वास्तव में कोई भी दस नागरिक मिल कर एक राइफल क्लब आरम्भ कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ नियंत्रण लगाना चाहिए। आज यदि कोई राइफल क्लब नेशनल राइफल क्लब के माध्यम से अथवा सीधे ही पंजीकृत हो जाता है तो उसे राइफल प्रशिक्षण के लिए हजारों कारतूस तथा पर्याप्त संख्या में राइफलें उपलब्ध हो जायेंगी। "कोई से दस नागरिक" एक बहुत विस्तृत शर्त है। इसके लिये कुछ बातें निर्धारित की जानी चाहिए जिससे सरकार नियंत्रण रखने और यह सुनिश्चित करने की स्थिति में हो सके कि क्या ये दस व्यक्ति वस्तुतः हथियार रखने के योग्य हैं और ये अपने हथियारों को समाज की सेवा करने में उपयोग में ला रहे हैं।

स्विटजरलैंड एक छोटा देश है और यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को राइफल का प्रशिक्षण दिया जाता है। सका कारण यह है कि वहां पर कोई स्थायी सेना नहीं है और खतरा

होने की स्थिति में प्रत्येक नागरिक ही उस देश की सेना होगा। लेकिन भारत में इस तरह की स्थिति नहीं है। अपने देश की रक्षा के लिये हमारे पास पर्याप्त स्थायी सेना है। हमारे पास होमगार्डस, एन० सी० सी०, प्रादेशिक सेना, सशस्त्र सेनायें तथा विभिन्न प्रकार के अन्य पुलिस बल हैं। वस्तुत: भारत को देश की रक्षा के लिये दूसरी रक्षा पंक्ति की आवश्यकता नहीं है। अत: उस समय बड़े पैमाने पर लोगों को प्रशिक्षण देना सुरक्षा की दृष्टि से अधिक लाभदायक नहीं होगा।

भारत जैसे देश में, जिसने वन्य जीवों को सुरक्षित रखने का अभियान चलाया है, शिकारियों को अधिक गोला बारूद नहीं दिया जाना चाहिए। हथियारों का सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए और योग्य व्यक्तियों के हाथों में ही हथियार पहुंचने चाहिए। इस समय नेशनल राइफल संघ से 404 क्लब सम्बद्ध हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है। कोई भी क्लब 100, 200 अथवा 2000 तक सदस्य बना सकता है। इसके अतिरिक्त देश में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं की भी कमी नहीं है। अत: देश में प्रत्येक व्यक्ति को राइफल चलाने का नि:शुल्क प्रशिक्षण देना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि वह प्रशिक्षण लेने के बाद अपनी इस योग्यता का उपयोग समाज और देश के हित के विरुद्ध करे।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): It is a tradition in our country that only the privileged class of the community, which have wealth and property, are allowed to keep arms. There are also criminals and anti-social people who managed to procure arms as a result of corruption prevalent in the administration. Only such people misuse the arms. We must trust our people and should have no fear that they will misuse this training.

Since the country is surrounded by neighbours who are not friendly with us, it is essential that the people here should be given training in rifle handling. Therefore, any apprehension that any scheme of rifle training to the people would result in misuse of arms is baseless. A spirit of courage and fearlessness and a sense of discipline should be aroused in the youth of the country. They should be given compulsory training in handling rifles for defending our country at the time of any emergency. Government should not make any excuse in this matter and accept this bill in the larger interests of the security and defence of the country. I support this Bill.

श्री सुबोध हंसदा: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक के प्रस्तावक ने ठीक ही कहा है कि वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के समय हमें अति कटु अनुभव हुए हैं क्योंकि उस समय, हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। निश्चित रूप से हमारी सशस्त्र सेनायें अब बहुत शक्तिशाली हैं। वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में हम विजयी हुए और बंगलादेश अब आजाद है।

हमारे युवकों को राइफल प्रशिक्षण अथवा शूटिंग प्रशिक्षण सुरक्षा कार्यों के लिये ही नहीं दिया जाना चाहिए अपितु शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये भी दिया जाना चाहिए। जंगली पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिये सरकार शिकारियों को नियुक्त करती है।

हमारी सीमा बहुत लम्बी है। निश्चित रूप से हमारी सशस्त्र सेना किसी विदेशी आक्रमण का सामना करने में समर्थ है। परन्तु इसके साथ हमारा अपना कर्तव्य भी है। देश की रक्षा के लिये लड़ना हमारा नैतिक दायित्व है। हमारे पड़ौसी देशों का व्यवहार

हमारे साथ मित्रतापूर्ण नहीं है। चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। यह सही है कि हमारे पास दूसरी रक्षा-पंक्ति भी है। परन्तु फिर भी हमें देश के युवकों को राइफल चलाने का प्रशिक्षण अवश्य देना चाहिए।

इस समय राइफल प्रशिक्षण संबंधी सुविधायें केवल बड़े बड़े नगरों तक ही सीमित हैं, जहां पर राइफल क्लब अथवा राइफल संघ विद्यमान हैं। यह प्रशिक्षण इतना महंगा है कि जन साधारण के लिये राइफल क्लब में जाकर इसका प्रशिक्षण लेना संभव नहीं है।

इस प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाये जाने से पूर्व हर जगह चांदमारी के स्थानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अधिकांश स्थानों पर पुलिस तथा राष्ट्रीय छात्र सेना दल के लिये चांदमारी के स्थानों की व्यवस्था है। सरकार इन समस्त चांदमारी के स्थानों को अपने अधिकार में ले सकती है तथा जन साधारण के लिये राइफल चलाने संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

इस विधेयक पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अतः इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने के बारे में मैंने एक संशोधन पेश किया है। मुझे आशा है कि मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा।

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरि) : मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सरकार भी इस विधेयक की भावना को स्वीकार करेगी।

वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के समय सीमावरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग असहाय थे क्योंकि उन्हें राइफल चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। चीन की सेना से हमें जो मुंह की खानी पड़ी, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। इस संबंध में मेरे माननीय मित्र डा० कर्णी सिंह ने देश में राइफल क्लबों का उल्लेख किया है। लेकिन उन राइफल क्लबों पर अमीर लोगों का ही पूर्ण रूप से अधिकार होता है और जन साधारण इनमें राइफल प्रशिक्षण प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता है।

चीन के आक्रमण के समय आसाम के स्थानीय लोग चीनी सेना का कोई मुकाबला नहीं कर पाये। इसका कारण यह नहीं है कि उनमें देश का सम्मान बचाने के लिये साहस की कमी है। परतु उन्हें राइफल चलानी नहीं आती थी, इसलिये वे लाचार हो कर चीनी सेना को चुपचाप बढ़ता हुआ देखते रहे। इसलिये लोगों को राइफल प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में इस समय हजारों शिक्षित युवकों के नाम दर्ज हैं। धन की कमी के कारण सरकार ने उन्हें कोई बेरोजगारी भता देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इन व्यक्तियों को राइफल प्रशिक्षण दिया जा सकता है तथा राइफल प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें कुछ वृत्ति दी जा सकती है। आपात स्थिति के समय वे उपयोगी नागरिक सिद्ध हो सकते हैं और इससे उन्हें बेरोजगारी के कारण पैदा हुई निराशा से बचाया जा सकता है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षित हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

25 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद, अब भी हमारे गांवों के निवासी राइफल को देखते ही भयभीत हो जाते हैं। अतः देहाती क्षेत्रों में रहने वाले असंख्य लोगों को राइफल प्रशिक्षण देने से वे न केवल सब खतरों से अपनी रक्षा कर सकेंगे अपितु हमारे लोकतंत्र और हमारी स्वतंत्रता के लिये प्रहरी सिद्ध होंगे।

डा० कर्णी सिंह: माननीय सदस्य ने मेरे नाम का उल्लेख किया है हमने राइफल क्लब आन्दोलन के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था की है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी एक रु० प्रति माह खर्च करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।

Shri M. C. Daga (Pali): The rifle training is absolutely necessary, if we want to make our people disciplined, courageous and self-confident. Even today atrocities are committed on Harijans in rural areas, because these Harijans do not have any sort of rifle training. Not only men, even the women should receive rifle training. If rifle-training is made compulsory for all the people, the huge sum of 1400 crores of rupees would not be spent on Defence and it could be spent on the developmental works.

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar): I wholeheartedly support this Bill. It is shameful that Arms Act is still in operation even after twenty five years of independence. If rifle training was made compulsory immediately, after the independence, our people would have been more confident and stronger.

Whenever there was any external aggression we have felt ourselves helpless due to lack of this training. The rifle training should be made compulsory for all the people throughout the country. If we want to have a second line of defence at the time of crisis, we should train our people in rifle training. We should make rifle training compulsory even if we have to postpone one or the other national scheme.

श्री वसन्त साठे (अकोला): मैं विधेयक की भावना का समर्थन करता हूँ, परन्तु मैं डा० कर्णी सिंह से इस दृष्टि से असहमत हूँ कि इस विधेयक का तात्पर्य यह नहीं है कि 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच की आयु के प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के पास बन्दूक और गोली होगी। आम आदमी को आज बन्दूक और गोली नहीं, बल्कि रोटी चाहिए। उन्हें आत्म विश्वासी और फुर्तीला बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की बात तो समझ में आती है। पुलिस थाने को केन्द्र बनाकर, उसके क्षेत्राधिकार में आने वाली जनता को राइफल चलाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। संकट के समय इन प्रशिक्षित नागरिकों से काफी लाभ होगा। अतः मैं विधेयक की भावना का समर्थन करता हूँ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): I do not support the rifle-training as unfortunately there are more fifth columnist in our country. It has also been emphasised that by receiving rifle training people would be more courageous. Gandhiji had no power, but he had self-confidence. If a man wants to be strong, he should have good habits, good health and a strong-character.

Formerly, there used to be one rifle and hundreds of animals, but now there are hundreds of rifles, but no animal. For the defence of the country, there is military and second line of defence. Therefore, there should be no rifle-training for all the people.

सभापति महोदय: इस विधेयक पर बहस अगली बार जारी रहेगी।

आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता के एक निदेशक के निवास-स्थान पर छापा*

Raid on The Residence of Director of Anand Bazar Patrika, Calcutta

*आधे घण्टे की चर्चा
*Half-An-Hour Discussion

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : "आनन्द बाजार पत्रिका" भारत में सी० आई० ए० की घुसपैठ का प्रतीक है। मैं गृह मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि आनन्द बाजार पत्रिका से सम्बन्धित कितने व्यक्तियों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अमरीका के अतिथि के रूप में विदेशों की यात्रा की।

इन लोगों ने अपनी आत्मा अमरीका को बेच दी है। आनन्द बाजार पत्रिका के अधिकारियों के माध्यम से धन का वितरण किया जाता है। श्री अशोक सरकार के बड़े पुत्र और निदेशक श्री अभीक सरकार इन्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीट्यूट की शाखा एशियन न्यूज सर्विस के एक संवाददाता है। यह इन्स्टीट्यूट सी० आई० ए० से सम्बन्धित है और हांगकांग, मनीला और अन्य कई स्थानों पर उसके कार्यालय हैं।

क्या यह सच नहीं है कि श्री अभीक सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और प्रचार विभाग से प्रत्यय-पत्र प्राप्त नहीं किया? वे "आनन्द बाजार पत्रिका" और "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" के टैलेक्स का अवैधि रूप से प्रयोग करते रहे हैं। डाकतार विभाग का गुप्तचर विभाग क्या कर रहा है?

मैंने गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में यह प्रश्न उठाया था। आनन्द बाजार पत्रिका की स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान के लिये सराहना की गई।

विदेशों को इस प्रकार के समाचार भेजना अत्यंत खतरनाक तथा राष्ट्रविरोधी काम है। भारत-पकिस्तान युद्ध के दौरान ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिनमें से केवल एक का पता लगाया गया। सलाहकार समिति में गलत वक्तव्य दिया गया कि यह श्री अशोक सरकार द्वारा नहीं भेजा गया था। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ तथा मेरे पास उसकी प्रति भी है जिसे मैं सभा-पटल पर रख सकता हूँ। इससे विदित होता है कि यह आनन्द बाजार पत्रिका के डायरेक्टर, श्री अशोक सरकार ने भेजा था।

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को कठोर दण्ड दिये जाने की व्यवस्था है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा समाचार भेजता है जो देश के हितों के प्रतिकूल हो।

कलकत्ता के पुलिस अधिकारियों ने इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर हमसे पूछ ताछ की तथा उसके मकान की तलाशी भी ली। यदि सरकार इस बात से इनकार करती है तो मैं इस बात के कारण जानना चाहता हूँ कि उसके मकान की तलाशी क्यों नहीं ली गई। उसके बाद पुलिस अधिकारियों पर ऊपर का दबाव पड़ा तथा सारा मामला रोक दिया गया। हमें पता है कि 78 वर्षीय संसदविज्ञ श्री सैयद बदुदस्जा को गिरफ्तार किया गया था तथा एक वर्ष तक उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इतना ही नहीं केवल पांच प्रतिशत तस्करी करने वालों को पकड़ा गया है।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि जब यह व्यक्ति अमरीका तथा अन्य देशों का दौरा करते रहते हैं तथा शानदार जीवन बिताते हैं तो इनके पास कहाँ से इतना धन आता है। हम इनके बारे में विस्तित जानकारी जानना चाहते हैं।

प्रत्येक समाचार पत्र का कर्तव्य देश की जनता को शिक्षित करना होता है और यदि समाचार पत्रों के मालिक देश वत्र न हों, तो वे देश का भारी अहित कर देते हैं। अतः सदन को इस बात की जांच करने का पूरा अधिकार है कि क्या ऐसे समाचार पत्रों को अधिकार में लिया जाये अथवा नहीं।

ये समाचार पत्र अखबारी कागज की भारी चोर बाजारी कहते हैं। उन्हें 4,322 मन अखबारी कागज की चोर बाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : महोदय माननीय सदस्य मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न उठा रहे हैं तथा मैं इन प्रश्नों का तत्काल उत्तर नहीं दे सकता। क्या यह उचित है?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य केवल अतारांकित प्रश्न संख्या 1232 से उत्पन्न होने वाली बातों तक ही सीमित रहें अथवा उन्हें उत्तर नहीं मिल सकेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय यथा सम्भव प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं शेष प्रश्नों का उत्तर अन्य समय दिया जा सकता है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जब आनन्द बाजार पत्रिका को चोर बाजारी करते हुये पकड़ा गया तो उसका कोटा बन्द क्यों नहीं किया गया? क्या इंस्पैक्टरों ने उनके गोदामों की वास्तव में जांच की तथा उन इंस्पैक्टरों को कहाँ ठहराया जाता है तथा उनका खर्च कौन वहन करता है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि भविष्य निधि का दुरुपयोग करने वाले मालिकों को एम० आई० एम० ए० के आधीन दण्ड दिया जाएगा। कांग्रेस के संकल्प में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को फांसी लगा देनी चाहिये। अब वह संकल्प कहां है। आनन्द बाजार पत्रिका ने हाल में 13.42 लाख रुपयों का दुरुपयोग किया तथा यह राशि कर्मचारियों की थी। उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? रवीन्द्र मैमोरियल फण्ड से भी लगभग 10 लाख रुपयों का घाटोला किया गया। आनन्द बाजार पत्रिका एक परिवार के सदस्यों की पत्रिका है तथा अशोक कुमार सरकार, आलोक सरकार, अवीक कुमार सरकार आदि ही इसके निदेशक हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों से आनन्द बाजार पत्रिका को दिये गये ऋणों में से लगभग 70 लाख रुपयों की राशि का वापस भुगतान नहीं हुआ है तथा उसके भुगतान की कोई निश्चित तिथि भी नहीं दी गयी है।

ये लोग सरकारी और जनता के धन से देश में तबाही ला रहे हैं।

मुझे दुःख है कि माननीय प्रधान मंत्री स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित हुई थी, संभवतः उन्हें उस समय इन बातों के बारे में पता नहीं था, मेरा यह कहना है कि इस बारे में विवरण सभा पटल पर रखा जाये तथा इस मामले की पूरी जांच करवाई जाये, सरकार को इस समाचार पत्र का स्वामित्व अपने अधिकार में ले लेना चाहिए क्योंकि इसमें आधिकांश धन सरकार का लगा हुआ है।

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : क्या सरकार एशिया न्यूज सर्विस का ब्यौरा जानती है और यदि हाँ तो वह क्या है ?

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या निदेशक अभीक सरकार को कलकत्ता स्थित लाल बाजार पुलिस थाने में पूछताछ के लिए ले जाया गया था और यदि हाँ तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय अपने उत्तर में जो कुछ कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं, मैं इस बात को समझता हूँ कि मंत्री महोदय के पास कई विभाग होने के कारण उनके लिए प्रत्येक बात का उत्तर देना कठिन है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह जानते हुए भी कि मैं सब प्रश्नों का उत्तर न दे सकूंगा, वे प्रश्न पूछ रहे हैं। उनके द्वारा 22 नवम्बर 1972 को पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि मई, 1972 में राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस ने श्री अशोक सरकार के न तो निवास स्थान और न तो कार्यालय की तलाशी ली थी। यदि आगे कोई कार्यवाही की गई है तो उसके बारे में राज्य सरकार से सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसा उत्तर देने का कारण यह है कि मई में ऐसा प्रश्न पूछा गया था और इसके उत्तर में उस समय पश्चिम बंगाल की सरकार से प्राप्त सूचना दी गई थी, इस प्रश्न का उत्तर हमें पश्चिम बंगाल की सरकार से समय पर प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए हमने वही उपलब्ध सूचना उत्तर के रूप में दी है, माननीय सदस्य की आपत्ति सही है कि यह आज तक की सूचना नहीं है परन्तु इसमें अपवचन की कोई बात नहीं है, उनके नोटिस मिलने पर हमने पुनः राज्य सरकार से इस संबंध में जानकारी मांगी, राज्य सरकार से 25 नवम्बर 1972 को प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस ने न कोई तलाशी ली और न कोई गिरफ्तारी की।

श्री ज्योतिर्मय बसु: यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था और इसका खंडन नहीं किया गया था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं राज्य सरकार से प्राप्त सूचना दे रहा हूँ, उनके अनुसार पुलिस ने कोई तलाशी नहीं ली है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप उन्हें संरक्षण दे रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसमें संरक्षण देने की कोई बात नहीं है, यह तथ्य है।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है, पुलिस द्वारा तलाशी लेने के बारे में असंबद्ध प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : चूंकि पुलिस ने कोई तलाशी नहीं ली है अतएव मैं इस संबंध में और कुछ नहीं कह सकता हूँ।

इसके पश्चात लोकसभा सोमवार, 4 दिसम्बर, 1972/13 अग्रहायण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 4, 1972/Agrahayana 13, 1894 (Saka).

MGIPCBE—S1—2 LSS/ND/72—11-4-73—490.

यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.